प्रश्न शाखा का प्रकाशन

# मध्यप्रदेश विधान सभा

(षोडश)

## खण्ड-4

## फरवरी 2024 से मार्च 2025 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन

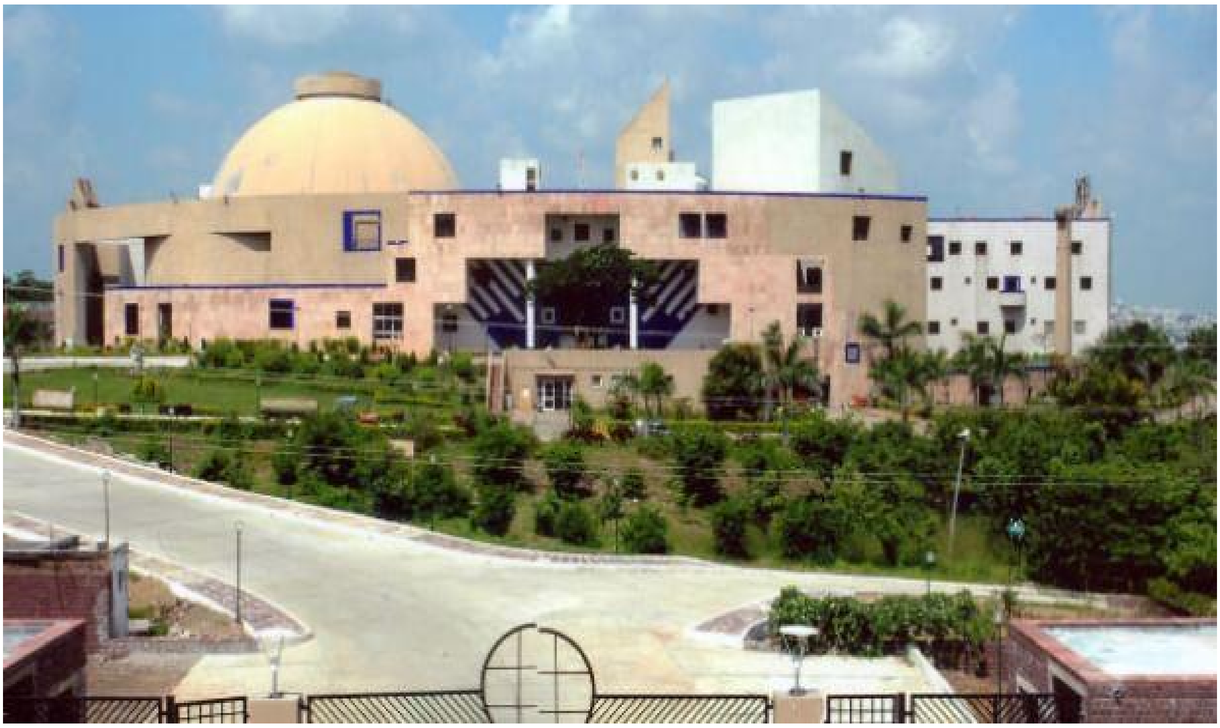

( जुलाई-अगस्त 2025 सत्र में पटल पर रखा गया )

# मध्यप्रदेश विधान सभा

## (षोडश)

## खण्ड-4

## फरवरी 2024 से मार्च 2025 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन

भोपाल (म.प्र.)

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| निर्देशन : | श्री ए.पी. सिंह | -- | प्रमुख सचिव |
| संपादन : | श्री अरविन्द शर्मा | -- | सचिव |
| | श्री बीरेन्द्र कुमार | -- | अपर सचिव |
| | श्री रमेश महाजन | -- | उप सचिव |
| | श्री नरेन्द्र कुमार मिश्रा | -- | अवर सचिव |
| | श्री माधव दफ्तरी | -- | अवर सचिव |
| | श्री साकेत त्रिपाठी | -- | अनुभाग अधिकारी |
| संकलनकर्ता : | श्री संजीव सराठे | -- | सहायक ग्रेड-1 |
| | श्री रामगोपाल शुक्ला | -- | उप सहायक मार्शल |
| | श्री मनीष बनोदे | -- | सहायक ग्रेड-3 |

# <u>प्रस्तावना</u>

इस संकलन में मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 51 की अपेक्षानुसार **<u>फरवरी 2024 से मार्च 2025 सत्र</u>** में शासन द्वारा जिन प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर दिये गये थे तथा प्रश्नोत्तर सूची मुद्रित होने के पश्चात् विभागों से प्राप्त जिन उत्तरों को सदन में पृथकत: वितरित किया गया था, उन्हें भी सम्मिलित किया गया है.

प्रश्नों के संदर्भ में शासन द्वारा पूर्व में दी जानकारी को बड़े कोष्ठक में [..........] दर्शाया गया है.

**स्थान : भोपाल (म.प्र.)**

**दिनांक : 11 जुलाई, 2025**

**ए.पी. सिंह**

**प्रमुख सचिव,**

**मध्यप्रदेश विधान सभा**

# विषय-सूची


| क्रमांक<br>(1) | विषय<br>(2) | | | पृष्ठ संख्या<br>(3) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | फरवरी, 2024 सत्र | - - | - - | 1-14 |
| 2. | जुलाई, 2024 सत्र | - - | - - | 15-42 |
| 3. | दिसम्बर, 2024 सत्र | - - | - - | 43-66 |
| 4. | मार्च, 2025 सत्र | - - | - - | 67-100 |

# फरवरी, 2024

## दिनांक 12 फरवरी, 2024

### भू-अधिकार पुस्तिका के आधार पर रजिस्ट्री

**[ राजस्व ]**

**1. अता.प्र.सं.9 (क्र. 122) श्रीमती निर्मला सप्रे** : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या खरगोन जिले के बड़वाह तहसील के ग्राम मोयदा के किसानों को राजस्व विभाग द्वारा दी गई भू-अधिकार पुस्तिका का उल्लेख कर उप पंजीयक मुद्रांक शुल्क बड़वाह द्वारा रजिस्ट्री की एवं उसी आधार पर पटवारी ने खसरा पंजी में नामान्तरण किया है? **(ख)** यदि हाँ, तो उप पंजीयक मुद्रांक शुल्क बड़वाह ने किस-किस क्रमांक की भू-अधिकार पुस्तिका का उल्लेख कर ग्राम मोयदा के किस खसरा नम्बर का कितना रकबा किसे विक्रय किए जाने का दस्तावेज पंजीबद्ध किया? उस रजिस्ट्री के आधार पर खसरा पंजी में किस दिनांक को नामान्तरण दर्ज किया गया? ग्राम मोयदा की अभिलेखागार एवं आनलाइन उपलब्ध खसरा पंजी वर्ष 1955 से 2023 तक में किस वर्ष में कितने किसानों के भूस्वामी पर कितनी भूमि दर्ज है? इन भूमियों को किस प्रकरण क्रमांक, आदेश दिनांक से कितना मुआवजा निर्धारित कर आरक्षित वन अधिसूचित करने हेतु अर्जित किया?

**राजस्व मंत्री** : [ ***(क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।*** ] **(क)** जिला खरगोन के बड़वाह तहसील के वनग्राम मोयदा के किसानों की भू-अधिकार ऋण पुस्तिका का उल्लेख कर उप पंजीयक द्वारा मुद्रांक शुल्क लेकर रजिस्ट्री की गई है। ग्राम मोयदा वनग्राम होने से नामांतरण की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा नहीं की जाती है। **(ख)** उप पंजीयक द्वारा मुद्रांक शुल्क लेकर रजिस्ट्री की जाती है। किस खसरा नंबर का कितना रकबा विक्रय किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। ग्राम मोयदा वन ग्राम होने से नामांतरण की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा नहीं की जाती है एवं MP भू-पोर्टल पर खसरा पंजी ऑनलाइन प्रदर्शित हो रही है।

### जिम्मेदारों पर कार्यवाही

**[ राजस्व ]**

**2. ता.प्र.सं. 20 (क्र. 843) श्री अभय कुमार मिश्रा** : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा जिले के नगर पंचायत सेमरिया के वार्ड क्र. 14 में स्थित आराजी क्र. 121/2 एवं 122 के वर्तमान में कितने बटे/खंड हैं, इनके भूमि स्वामी राजस्व अभिलेख अनुसार कौन है? **(ख)** प्रश्नांश (क) की भूमि जिसका मूल नं. 121 राजस्व अभिलेख में दर्ज था, म.प्र. शासन जिसका भूमि स्वामी कॉलम अंकित था, लेकिन इसका आवंटन/व्यवस्थापन किस आधार पर किन-किन को किन शर्तों पर किस अवधि हेतु किया गया? संबंधित आदेश नोटशीट की प्रति देते हुये बतावें कि आवंटन/व्यवस्थापन के आदेश किन अधिकारियों/कर्मचारियों के अनुशंसा व सहमति से दर्ज किए गये? पद, नाम सहित विवरण

दें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) की भूमिओं का कब किन के द्वारा किनकी अनुमति से विक्रय किया गया, का विवरण विक्रय पत्र एवं नामान्तरण पंजी की प्रति देते हुये बतावें कि भूमि का हस्तान्तरण किस नियम से कब-कब, किन-किन को किन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया है? **(घ)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) की भूमियों की प्लाटिंग का विक्रय करने की कार्यवाही कर विक्रय किया जा रहा है तो क्यों? किसकी अनुमति से आवंटित भूमि की बिक्री किये जाने बाबत् क्या अनुमति के नियम हैं? प्रति देते हुये बतायें। अगर नहीं है तो विक्रय पर रोक लगाने के निर्देश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों? **(ङ.)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) की भूमि से लगी शासकीय भूमियों को अतिक्रमण किया गया है, अतिक्रमण हटाने बाबत् फील्डबुक तैयार कर सीमांकन हेतु क्या निर्देश देंगे एवं अतिक्रमण कब तक हटवा देंगे। नियम विरूद्ध शासकीय भूमि की व्यवस्थापन/आवंटित कर विक्रय करने पर रोक के साथ नियम विरूद्ध कार्य करने से भूमि को स्वामित्व प्रदान करने वाले पर धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध करने के साथ पुनः म.प्र. राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बाबत् निर्देश देंगे तो कब तक, अगर नहीं तो क्यों?

**राजस्व मंत्री :** [ *(क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।* ] **(क)** से **(ड.)** **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।**

**राजस्व भूमि की जानकारी**

**[ राजस्व ]**

**3. अता.प्र.सं.114 (क्र. 1130) कुँवर अभिजीत शाह** : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर भू-अभिलेख खरगौन को यह जानकारी है कि ग्राम मोयदा की वर्ष 1948-49 की मिसल, वर्ष 1955 से 2023 तक की खसरा पंजी, वर्ष 1929 से 2002 तक की गई 44 रजिस्ट्रियां, किसानों को दी गई भू-अधिकार पुस्तिका उपलब्ध होने की जानकारी है? **(ख)** यदि हाँ, तो ग्राम मोयदा की किस-किस वर्ष की खसरा पंजी उपलब्ध है, उसमें किस वर्ष में कितने किसानों के भू-स्वामी हक पर कितनी भूमि दर्ज बताई है किस वर्ष की खसरा पंजी में किसका नामान्तरण दर्ज है, किस किसान को क्रमांक की भू-अधिकार पुस्तिका दी गई है। **(ग)** ग्राम मोयदा की भूमि को राजस्व विभाग के अधिकारी किस आधार पर आरक्षित वन भूमि प्रतिवेदित कर रहे है, आरक्षित वन भूमि को खसरा पंजी में भू-स्वामी हक की भूमि दर्ज करने भूअधिकार पुस्तिका देने का क्या प्रावधान किस कानून में है?

**राजस्व मंत्री :** [ *(क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।* ] **(क)** तहसील बड़वाह के वनग्राम मोयदा में 44 रजिस्ट्रियां होना पाया गया तथा भू-अधिकार ऋण पुस्तिका की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–'अ' अनुसार।** **(ख)** वन ग्राम मोयदा तहसील बड़वाह की खसरा पंजी वर्ष 1965 से वर्ष 2014-15 तक वन विभाग द्वारा तैयार की गयी है जो जिला राजस्व अभिलेखागार में उपलब्ध हैं। ग्राम मोयदा वन ग्राम होने से राजस्व विभाग द्वारा नामांतरण एवं भू अधिकार पुस्तिका दी जाने की कार्यवाही नहीं की जाती है उक्त ग्राम की खसरा पंजी ऑनलाइन भू-पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है। **(ग)** वर्ष 1954 को ग्राम के गजट नोटिफिकेशन क्रमांक 1623/XF/114{54} DATED 09 OCTOMBER 1954 में सरल क्रमांक 35, 36, 37, 38 पर बड़वाह वनक्षेत्र रिजर्व फारेस्ट सम्बन्धी अधिसूचना प्रकाशन होने से रिजर्व फारेस्ट प्रतिवेदित हैं। नोटिफिकेशन की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार।**

## दिनांक 15 फरवरी, 2024

### प्रदेश के कॉलेजों में टीचिंग स्टाफ की कमी

**[ उच्च शिक्षा ]**

**4. परि.अता.प्र.सं. 44 (क्र. 1557) डॉ. हिरालाल अलावा :** क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के कितने सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में प्राचार्य की नियुक्ति नहीं हुई है? कितने सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में मापदंड अनुरूप टीचिंग स्टाफ नहीं है? सरकार इन कॉलेजों में प्राचार्य तथा टीचिंग स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं की तो क्यों? **(ख)** क्या उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सीधी भर्ती के प्रोफेसर्स को एकेडमिक ग्रेड-पे का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन पदोन्नत प्रोफेसर्स को एकेडमिक ग्रेड-पे का लाभ नहीं दिया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्यों? शासन एकेडमिक ग्रेड-पे की विसंगति को कब तक दूर करेगा? **(ग)** प्रदेश में ऐसे कितने प्रकरण सामने आए हैं, जिनमें सरकारी कॉलेजों के लिए छात्रों द्वारा जमा की गई फीस की कियोस्क सेंटर द्वारा दी गई रसीद फर्जी पाई गई? ऐसे कितने कियोस्क सेंटर मिले हैं जिनके द्वारा फीस की रसीद का फर्जीवाड़ा किया गया है? क्या सरकार प्रदेश के सभी कॉलेजों में जमा की गई कियोस्क सेंटरों की फीस रसीदों की जांच कराएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

**उच्च शिक्षा मंत्री :** [ ***उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ] **(क)** प्रदेश में 548 शासकीय महाविद्यालयों में नियमित प्राचार्य एवं 40 अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य की नियुक्ति नहीं हुई है। शासकीय महाविद्यालयों में टीचिंग स्टाफ मापदण्ड अनुसार कार्यरत है। रिक्त पदों की पूर्ति करने हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर को मांगपत्र प्रेषित किया गया है। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर संबंधित महाविद्यालयों में टीचिंग स्टाफ की पूर्ति की जावेगी। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी हाँ। जी हाँ। पदोन्नत प्रोफेसर्स को एकेडमिक ग्रेड पे का लाभ दिए जाने के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। **(ग)** विभाग में कियोस्क सेंटर द्वारा फर्जी रसीद दिए जाने के संबंध में मात्र एक प्रकरण शासकीय स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, दतिया से प्राप्त हुआ है। दतिया में स्थित 02 कियोस्क सेंटर द्वारा विद्यार्थियों से प्रवेश एवं परीक्षा शुल्क राशि प्राप्त कर विद्यार्थियों को फर्जी रसीद दिए जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। जी नहीं। इस आशय की शिकायत किसी अन्य महाविद्यालय से प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

### अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण

**[ पंचायत एवं ग्रामीण विकास ]**

**5. परि.अता.प्र.सं. 84 (क्र. 2132) श्री रामनिवास रावत :** क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में पंचायत सचिवों का रोस्टर 2018 में लागू हुआ है? यदि हाँ, तो रोस्टर अनुसार कितने-कितने पद रिक्त हैं? रोस्टर में वर्गवार पद रिक्त न होने से अनुकम्पा नियुक्तियों के कितने आवेदन लंबित हैं? कृपया बतावें व लंबित आवेदनों पर शासन अनुकम्पा नियुक्ति देने की व्यवस्था

करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? **(ख)** चम्बल संभाग के जिलों में जनवरी 2024 की स्थिति में अनुकम्पा नियुक्ति के कितने आवेदन कब से लंबित है? किस विभाग में किस कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके किस वारिस ने अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था? आवेदक का नाम, पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता, पता एवं आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक सहित जिलेवार, विभागवार जानकारी दें। **(ग)** अनुकम्पा नियुक्ति हेतु लंबित आवेदनों में समय-सीमा में किन-किन को किन-किन कारणों से अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान नहीं की गई? **(घ)** चम्बल संभाग के जिलों में ऐसे कितने पद किस-किस विभाग में रिक्त हैं जिन पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकती है? जिलेवार, विभागवार जानकारी दें।

**पंचायत मंत्री :** [ *(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।* ] (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – "अ" अनुसार** है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – "अ" अनुसार** । समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – "ब" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – "स" अनुसार** है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – "द" अनुसार** है।

## <u>दिनांक 16 फरवरी, 2024</u>

### उप पंजीयक कार्यालय एवं उपकोषालय की स्थापना

### [ वाणिज्यिक कर ]

**6. अता.प्र.सं.50 (क्र. 1969) श्री प्रणय प्रभात पांडे :** क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी जिला अंतर्गत कहां-कहां पर उप पंजीयक कार्यालय एवं उपकोषालय स्थापित हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यालय किसी अन्य तहसील में खोलने के नियम, दिशा-निर्देश क्या हैं? निर्देशों की छायाप्रति देवें। **(ग)** क्या जन सुविधा की दृष्टि से प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यालय तहसील मुख्यालय बहोरीबंद में प्रारंभ किया जा सकता है? उत्तर में यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक?

**उप मुख्यमंत्री, वित्त :** [ *(क) कटनी जिला अंतर्गत कटनी एवं विजयराघवगढ़ में उप पंजीयक कार्यालय स्थापित हैं, शेष* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** *(ख) नवीन उप पंजीयक कार्यालय खोलने संबंधी मापदण्ड मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश दिनांक 25 अप्रैल, 2012 में निर्धारित किए गए हैं एवं तत्संबंधी प्रस्ताव का प्रावधान पंजीयन मैन्यूअल की कंडिका 55 में वर्णित है। शासनादेश एवं संगत नियम की* ***प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार*** *है। (ग) तहसील मुख्यालय बहोरीबंद में उप पंजीयक कार्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतएव समय-सीमा का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ]
**(क)** कटनी जिला अंतर्गत कटनी एवं विजयराघवगढ़ में उप पंजीयक कार्यालय स्थापित हैं। कटनी जिला अंतर्गत जिला मुख्यालय पर जिला कोषालय स्थापित/संचालित है। उप कोषालय स्थापित नहीं है। **(ग)** तहसील मुख्यालय बहोरीबंद में उप पंजीयक कार्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव

विचाराधीन नहीं है। अतएव समय-सीमा का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। कोषालयीन कम्प्यूटरीकृत परियोजना (IFMIS) के अंतर्गत समस्त कोषालयीन संव्यवहार स्वीकृति एवं भुगतान ऑनलाईन होने से उप कोषालय खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## दिनांक 19 फरवरी, 2024

### वेतन प्रदान कराना एवं प्राचार्य के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही

**[ स्कूल शिक्षा ]**

**7. अता.प्र.सं.5 (क्र. 358) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) :** क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर परिषद सारंगपुर, जिला-राजगढ़ नियोक्ता द्वारा एवं प्रभारी प्राचार्य शासकीय क.उ.मा.वि. सारंगपुर की अनुशंसा के पश्चात दिव्यांग अध्यापक को बी.एड. की अनुमति प्रदान करने पर दिव्यांग अध्यापक द्वारा बी.एड. कॉलेज में प्रवेश के पश्चात बी.एड. कॉलेज द्वारा प्रतिमाह उपस्थिति प्रदान करने के पश्चात भी विगत 7 माह के वेतन से वंचित किया गया है, जिस पर दिव्यांगजन आयुक्त भोपाल द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। **(ख)** वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वेतन रोकने के कोई दिशा-निर्देश प्रदान नहीं किये गये हैं, इसके पश्चात भी 7 माह का वेतन किसके निर्देश पर रोका गया है तथा वेतन प्रदान हेतु मार्गदर्शन किस आधार पर मांगा जा रहा है? इस सम्बन्ध में संस्था प्राचार्य द्वारा आयुक्त नि:शक्तजन को गुमराह करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? **(ग)** नियोक्ता द्वारा विभागीय अनुमति प्राप्त करने के पश्चात द्वेष-भावना से संस्था प्राचार्य द्वारा विगत 7 माह का वेतन रोककर नि:शक्त अध्यापक को मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने पर संस्था प्राचार्य के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के आदेश प्रदान किये जाएंगे? **(घ)** नि:शक्त अध्यापक का 7 माह का वेतन प्रदान करने के आदेश जारी किये जायेंगे? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं?

**परिवहन मंत्री :** [ *(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ] **(क)** श्री सुभाष चन्द्र शर्मा अध्यापक को नियमानुसार अशासकीय संस्था से बी.एड. करने की पात्रता नहीं हैं। सुभाष चन्द्र शर्मा द्वारा संस्था से विधिवत कार्य मुक्त न होकर सीधे अशासकीय संस्था ज्योति कॉलेज ऑफ एजुकेशन डोडी जिला सीहोर में बी.एड प्रशिक्षण हेतु संस्था में प्रवेश लिया हैं तथा संबंधित द्वारा अध्ययन करने हेतु किसी भी प्रकार का अध्ययन अवकाश या अन्य कोई अवकाश आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया हैं, जिससे दिनांक 17.06.2023 से अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण वेतन की पात्रता नहीं आती है। दिव्यांगजन आयुक्त द्वारा प्राचार्य को प्रेषित पत्र एवं तद्प्रांत प्राचार्य से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर श्री सुभाष शर्मा को दिव्यांगता के प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। **(ख)** संबंधित को अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थिति के कारण वेतन भुगतान नहीं किया गया है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश "क" एवं "ख" अनुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** उत्तरांश "क" एवं "ख" के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

## मोहनपुरा डैम से पेय जल की उपलब्धता

**[ जल संसाधन ]**

**8. अता.प्र.सं.7 (क्र. 595) श्रीमती प्रियंका पैंची :** क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लोकसभा क्षेत्र राजगढ़ के अंतर्गत मोहनपुरा डेम की निर्माण काल के समय कितनी भराव क्षमता एवं कितनी रूपांकित सिंचाई क्षमता थी? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मोहनपुरा डेम की वर्तमान समय में जल भंडारण क्षमता एवं सिंचित एरिया सहित सूची देवें। सिंचित एरिया कम होने के क्या कारण है एवं इसे बढ़ाने हेतु शासन क्या प्रयास कर रहा है? **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित डेम द्वारा सिंचाई हेतु निर्धारित अंतिम बिन्दु (ग्राम) बतलावें एवं क्या इन जलाशयों की नहरों का पानी क्रमश: तहसील चाचौड़ा कुंभराज तक पहुँच रहा है? **(घ)** प्रश्नांश (ग) के उत्तर में यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है? क्या इस डेम से सिंचाई हेतु पानी चाचौड़ा कुंभराज तक पहुँचाने का प्रयास शासन स्तर पर विचाराधीन है? यदि हाँ, तो किस योजना के तहत और कब तक? नहीं तो क्यों नहीं? **(ड.)** मोहनपुरा डैम से पेय जल की उपलब्धता तहसील चाचौड़ा जिला गुना के लिए कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है? अगर हाँ तो कब तक पेयजल की उपलब्धता हो पायेगी? अगर नहीं तो सर्फ़ेस वाटर की व्यवस्था पेयजल के लिए चाचौड़ा तहसील हेतु कहाँ से किया जाना प्रस्तावित है?

**जल संसाधन मंत्री :** [ *(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ] **(क)** मोहनपुरा डेम की निर्माण काल के समय रूपांकित जल भराव क्षमता 616.27 मि.घ.मी. एवं रूपांकित सिंचाई क्षमता 60, 750 हेक्टेयर थी। **(ख)** वर्तमान समय में भी परियोजना की जल भराव क्षमता 616.27 एम.सी.एम यथावत है। रूपांकित सिंचाई क्षमता 1, 45, 661 हेक्टेयर हो गई है। **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** सिंचित क्षेत्र कम नहीं हो रहा है, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित डेम द्वारा सिंचाई हेतु अंतिम बिंदु (ग्राम) जलालपुरा है। जी नहीं। **(घ)** मोहनपुरा परियोजना की मूल प्रशासकीय स्वीकृति के समय से ही इस तहसील चाचौड़ा, कुंभराज तक पानी दिया जाना प्रस्तावित नहीं था। वर्तमान में चाचौड़ा व कुंभराज तक पानी पहुंचाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि संशोधित पार्वती कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कुंभराज कॉम्प्लेक्स से चाचौड़ा व कुंभराज में सिंचाई प्रस्तावित होना प्रतिवेदित है। **(ड.)** जी नहीं। संशोधित पार्वती कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कुंभराज कॉम्प्लेक्स से चाचौड़ा तहसील में पेयजल हेतु जल प्रावधानित होना प्रतिवेदित है।

## बण्डा परियोजना से एक फीडर कैनाल विकसित करना

**[ जल संसाधन ]**

**9. अता.प्र.सं.11 (क्र. 619) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी :** क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बण्डा विधान सभा के शाहगढ़ ब्लॉक में बीला डैम को निर्माणाधीन बण्डा परियोजना से एक फीडर कैनाल द्वारा जोड़ दिये जाने की कार्यवाही पर शासन विचार करेगा जिससे यह डैम पुनर्जीवित हो जायेगा तथा भरपूर जलभराव होने से दर्जनों गावों एवं सैकड़ों किसानों को बीला डैम

का लाभ पुनः मिलने लगेगा। **(ख)** क्या बण्डा परियोजना से वीला फीडर कैनाल विकसित की जा सकती है? **(ग)** क्या यह कैनाल बनाने का कार्य बण्डा परियोजना की कार्ययोजना में जोड़ा जा सकता है? **(घ)** अगर नहीं तो ऐसा करने में क्या बाधा है? **(ङ.)** क्या पृथक से इसकी कार्ययोजना बनाई जा सकती है? **(च)** अगर हाँ तो कब तक इस पर कार्य प्रारंभ हो जायेगा?

**जल संसाधन मंत्री :** [ ***(क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ] **(क)** एवं **(ख)** जी हाँ। **(ग)** से **(ङ.)** जी हाँ, बीला फीडर केनाल (नहर) का निर्माण कार्य बंडा वृहद सिंचाई परियोजना की कार्ययोजना में जोड़ा जा चुका है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(च)** वर्तमान में बण्डा वृहद सिंचाई परियोजना का कार्य निर्माणाधीन एवं आवश्यक स्वीकृतियों की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से वर्तमान में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

## सुठालिया सिंचाई परियोजना से प्रभावित किसानों को मुआवजा

### [ जल संसाधन ]

**10. अता.प्र.सं.20 (क्र. 921) श्रीमती प्रियंका पैंची :** क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सुठालिया सिंचाई परियोजना के अंतर्गत गुना जिले के लगभग 8 गाँव प्रभावित हो रहे हैं और लगभग 3 गाँव विस्थापित हो रहे हैं विस्थापित होने वाले लोगों के लिए उनके ही जिले में आवास दिए जा रहे है या किसी अन्य जिले में? यदि हाँ, तो कब तक मिल जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित परियोजना में जमीन और मकान का मुआवजा किस आधार और रेट पर दिया जा रहा है? क्या विस्थापित लोगों की जमीन का बाज़ार मूल्य पर मुआवजा मिलेगा? यदि हाँ, तो कितना और यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** 13 मई 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा मोहनपूरा डेम स्थल पर किसान कल्याण शिविर में सुठालिया परियोजना से प्रभावितों को विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी? क्या लोगों को विशेष पैकेज दिलाने हेतु योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो कब तक लाभान्वित हो पाएंगे? यदि नहीं, तो कारण बताएं। **(घ)** विस्थापित किसानों के पास उनके पशु भी रहते है उस आधार पर उन्हें कितने क्षेत्रफल के आवास प्रदाय किए जायेंगे और कब तक? **(ङ.)** क्या डूब क्षेत्र के किसानों की जमीन और मकान के अलावा अन्य परिसंपत्तियां जैसे कुआं, ट्यूबवेल, पेड़-पौधे पाइप लाइन और खाली प्लाटों की राशि दिया जाना प्रस्तावित है? क्या उन्हें रोजगार के लिए शासन के पास प्रस्ताव है? यदि नहीं, तो क्यों?

**जल संसाधन मंत्री :** [ ***(क) से (ङ.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ] **(क)** जी हाँ, सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना से प्रभावित गुना जिले के 03 ग्रामों को राजगढ़ जिले की तहसील-सुठालिया के ग्राम बड़बड़ला में पुनर्बसाहट कराया जाना है। पुनर्वास कॉलोनी में बुनियादी सुविधाओं से संबंधित निर्माण कार्य प्रगतिरत है एवं प्लाट आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होना प्रतिवेदित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** परियोजना में जमीन एवं मकान का मुआवजा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 26 में प्रावधान अनुसार जिला कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण किया जाकर तदानुसार अवार्ड पारित कर कृषकों को मुआवजा दिया जाना प्रावधानित है। **विवरण**

**पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** **(ग)** जी हाँ, किन्तु वर्तमान में सुठालिया परियोजना का विशेष पैकेज का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** विस्थापितों को भू-अर्जन अधिनियम-2013 के प्रावधान एवं परियोजना हेतु आयुक्त, भोपाल द्वारा अनुमोदित पुनर्वास नीति अनुसार प्रति वयस्क परिवार के मान से साइज लगभग 1800 वर्ग फुट क्षेत्रफल (15x11 वर्ग मीटर) का विकसित प्लॉट उपलब्ध कराया जाना है एवं पशुओं के लिये क्षेत्रफल उक्त एरिये में ही समाहित है। यद्यपि विस्थापित हो रहे किसानों के पशुओं को भू-अर्जन अधिनियम-2013 के अनुसूची-2 अनुसार रू.25, 000/- की वित्तीय सहायता पशुवाड़ा हेतु दिया जाना प्रावधानित है। **(ङ.)** डूब क्षेत्र में प्रभावित परिसंपत्तियों का मुआवजा कलेक्टर एवं जिला भू-अर्जन अधिकारी द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा 29 में वर्णित प्रावधानों अनुसार दिया जाना प्रस्तावित है, साथ ही भू-अर्जन अधिनियम-2013 की अनुसूची-2 के सरल क्र.4 में वार्षिकी या नियोजन का विकल्प प्रावधानित है। यदि किसी कारणवश रोजगार का विकल्प नहीं उपलब्ध है तो उसके एवज में प्रति प्रभावित कुटम्ब को रु.5.00 लाख एकमुश्त प्रदाय किया जाना प्रावधानित है।

## गांधी सागर बांध की सुरक्षा

**[ जल संसाधन ]**

**11. अता.प्र.सं.21 (क्र. 927) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया :** क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मंदसौर जिले के गरोठ विधानसभा अंतर्गत स्थित गांधी सागर बांध की सुरक्षा की दृष्टि से विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है? जानकारी दें। **(ख)** गांधी सागर बांध को निर्मित हुए 63 वर्ष हो गए है बांध की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से विभाग द्वारा कोई कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है? यदि हाँ, तो अब तक की गयी कार्यवाही से अवगत कराये।

**जल संसाधन मंत्री :** [ ***(क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ] **(क)** एवं **(ख)** मंदसौर जिले के गाँधी सागर बांध की सुरक्षा की दृष्टि से बांध सुरक्षा इकाई (सक्षम अधिकारियों) द्वारा बांध का नियमानुसार वर्षा पूर्व एवं वर्षा पश्चात निरीक्षण किया जाकर निरीक्षण प्रतिवेदन भारत-सरकार द्वारा विकसित धर्मा पोर्टल के माध्यम से राज्य बांध सुरक्षा संगठन को प्रेषित किया जाता है एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक सुधार एवं रखरखाव कार्य प्रस्तावित किये जाते हैं। बांध की सुरक्षा की दृष्टि से गाँधी सागर बांध को भारत सरकार की विश्व बैंक सहायतित बांध सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन परियोजना के द्वितीय चरण (ड्रिप-II) में प्रस्तावित कर दिनांक 14.02.2022 को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। एक उच्च स्तरीय दल जिसमें मुख्य अभियंता बोधी भोपाल के साथ 05 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिनके द्वारा दिनांक 11.01.2022 एवं 12.01.2022 को बांध का निरीक्षण कराया जाना प्रतिवेदित है। निरीक्षण दल से प्राप्त सुझावों एवं अनुशंसाओं के आधार पर तैयार प्राक्कलन राशि रू.56.50 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.11.2024 को प्रदान की गई है। जिसकी निविदा आमंत्रित कर कार्यवाही प्रचलन में होना प्रतिवेदित है।

## विभाग के विश्राम गृहों का संधारण

## [ जल संसाधन ]

**12. अता.प्र.सं.30 (क्र. 1079) श्री रजनीश हरवंश सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा केवलारी एवं सिवनी जिला के अंतर्गत जल संसाधन विभाग के कितने विश्राम गृह है? इनका निर्माण कब हुआ? विश्राम गृह में कितने नियमित/कार्यभारित कर्मचारी पदस्थ है? **(ख)** क्या ऐसे विश्राम गृह हैं जिनकी दीवालें गिर रही है, कभी भी दुर्घटना हो सकती हैं। जर-जर हालत दिख रही है, यदि हाँ, तो कौन जिम्मेदार है? क्या जल संसाधन विभाग के स्माल टैंक पर विश्राम गृह बना है यदि बना है तो इसका रिनोवेशन कब हुआ, यदि नहीं, हुआ तो क्यों नहीं हुआ? यदि हुआ है तो किस ठेकेदार ने किया और क्या कार्य किया? जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** विगत 3 वर्षों में क्या-क्या व्यय हुआ? कितनी राशि वार्षिक रख-रखाव के लिए दी जाती है या नहीं, यदि नहीं, दी जाती तो क्यों? इसका संधारण किस मद से किया जाता है एवं इसकी जवाबदेही किसकी है? **(घ)** विश्राम गृह में कितने कर्मचारी कार्यरत है और कितने नियमित कर्मचारी है या नहीं, नहीं तो क्या कार्यवाही की गई? यही नहीं की गई तो क्यों? **(ड.)** क्या विश्राम गृह निवास योग्य है या नहीं?, यदि है तो क्या-क्या सुविधा उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्यों? विश्राम गृह के उन्नयन हेतु क्या योजना है?

**जल संसाधन मंत्री** : [ *(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ] **(क)** विधान सभा केवलारी एवं सिवनी जिला के अंतर्गत 08 विश्राम गृह हैं। इनके निर्माण की तिथि एवं इनमें पदस्थ कर्मचारियों का **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** जी नहीं। पुराने होने के कारण मरम्मत की आवश्यकता है। झाड़ियों की वर्षाकाल उपरान्त साफ-सफाई करवा दी जाना प्रतिवेदित है। अतः किसी को जवाबदार ठहराना उचित नहीं है। जी हाँ। रूमाल जलाशय पर वर्ष 1910 में विश्राम गृह निर्मित किया गया। विगत कई वर्षों से रूमाल टैंक के विश्राम गृह की मरम्मत कार्य नहीं कराया जाना प्रतिवेदित है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। है। **(ग)** विश्राम गृहों के वार्षिक रखरखाव में विगत 03 वर्षों में कोई राशि व्यय नहीं हुई है और न ही रख-रखाव हेतु राशि प्राप्त होना प्रतिवेदित है। मरम्मत मद में संधारण किया जाता है। मरम्मत कार्य का प्राक्कलन तैयार किया जाना प्रतिवेदित है। अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी की जवाबदारी तय करने की स्थिति नहीं है। **(घ)** सिवनी जिले के 08 विश्राम गहों में कुल 05 कार्यभारित/स्थाई कर्मी कार्यरत हैं। इनमें से एक भी नियमित कर्मचारी कार्यरत नहीं है। नियमित कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने एवं विभाग में नियमित कर्मचारियों की कमी होने के कारण कोई नियमित कर्मचारी की पदस्थापना नहीं की जा सकी है। **(ड.)** 08 में से 03 विश्राम गृह (1) निरीक्षण गृह सिवनी (2) विश्राम गृह भीमगढ़ बांध स्थल एवं (3) विश्राम गृह गौशाला बांध स्थल निवास योग्य हैं। शेष 05 विश्राम गृह निवास योग्य नहीं है। निवास योग्य बनाने हेतु प्राक्कलन मैदानी स्तर पर तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरांत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाकर मरम्मत/उन्नयन की कार्यवाही की जाना संभव हो सकेगी।

## कलेक्टर के आदेश का पालन नहीं किया जाना

## [ राजस्व ]

**13. अता.प्र.सं.34 (क्र. 1156) श्री मधु भाऊ भगत :** क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कलेक्टर के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 10227/अ-68/2020-21 में तहसीलदार तहसील नौगांव के द्वारा उक्त प्रकरण दिनांक 20/07/21 को पारित किया जिसके अनुसार ग्राम पंचायत बिलहरी के खसरा नं. 104 में अवैधानिक हेरा-फेरी कर तत्कालीन पंचायत सचिव द्वारा अपने ड्राइवर मनोज सेन को दे दिया जिस पर मनोज सेन द्वारा पक्का मकान बना लिया गया जिस पर 50, 000/- जुर्माना व बेदखली का आदेश किया गया। मकान तोड़ने तत्कालीन कलेक्टर छतरपुर ने आदेशित किया किन्तु कार्यवाही क्यों नहीं की गई? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त भूमि शासकीय स्कूल हेतु दान की गई थी, कब्जा अभी भी बरकरार है जिसमें तत्कालीन सचिव रविशंकर द्विवेदी पर कार्यवाही प्रस्तावित हुई किन्तु नहीं की गई, कौन अधिकारी जिम्मेदार है, संबंधित पर कब तक कार्यवाही होगी? **(ग)** क्या ग्राम पंचायत बिलहरी में माध्यमिक शाला के सामने शासकीय भूमि, जो मुख्य मार्ग नौगांव महोबा पर स्थित है पर तत्कालीन सचिव रविशंकर द्विवेदी द्वारा बिना अनुमति अवैधानिक तरीके से चौदह दुकानों का निर्माण कराया गया? **(घ)** क्या उक्त ग्राम के बेरोजगार नौजवानों से रूपयों की वसूली की गई दुकानों की लालच देकर, जिसमें पंचायत की राशि का दुरूपयोग किया गया? तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति में हेर-फेर है, नियम संगत नहीं है कार्यवाही होना आवश्यक है एवं अवैध दुकानों को जमींदोज करना जरूरी है। उक्त अवैध दुकानों को कब तक जमींदोज किया जायेगा? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।

**राजस्व मंत्री :** [ ***(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।*** ] **(क)** न्यायालय तहसीलदार नौगांव के प्र.क्र. 0227/ अ-68/ 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 20/07/2021 से अनावेदक ममता पत्नी मनोज सेन के विरुद्ध शासकीय आबादी भूमि ख.नं. 104 कुल रकबा 0.194 हे. मॅसे रकबा 0.020 हे. पर अतिक्रमण के कारण 50, 000/- रुपये अर्थदण्ड आरोपित किया गया किन्तु उक्त प्रकरण की म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के तहत अनावेदिका द्वारा अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी में प्रस्तुत होने पर प्रकरण क्रमांक 0053/ अपील/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 20/07/2023 के अनुसार आवेदित भूमि कलेक्टर महोदय के प्र.क्र.0001/अ-20 (1) /भूमि हस्ता./ 2015-16 आदेश दिनांक 02/06/2016 से आबादी घोषित होने से तहसीलदार नौगांव का आदेश अपास्त किया गया। **(ख)** प्रश्नांश "ख" के संबंध में कार्यालय में अभिलेख उपलब्ध न होने से जानकारी निरंक है। **(ग)** आवेदित भूमि ग्राम पंचायत बिलहरी अंतर्गत आबादी घोषित भूमि है जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा वैधानिक रूप से प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार 7 दुकानों का निर्माण कराया गया है शेष 7 दुकानों का निर्माण रतिराम अनुरागी द्वारा ग्राम पंचायत बिलहरी से आवासीय भवन की स्वीकृति प्राप्त कर अवैधानिक रूप से व्यावसायिक दुकानों का निर्माण किया जाना पाया गया है। **(घ)** ग्राम पंचायत बिलहरी में दुकान निर्माण कार्य सांसद चौपाल के पास माध्यमिक शाला के सामने ग्राम बिलहरी में 14 दुकानों का निर्माण किया गया है जिसमें से 07 दुकानों की तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 169 दिनांक 31/12/2019 एवं प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 25/ग्रा0पंचा0/2013 दिनांक 31/12/2019 से है। शेष 07 दुकानों के अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः उक्त भूमि ग्राम पंचायत अंतर्गत आबादी मद हेतु घोषित होने के कारण

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नौगांव के पत्र क्र. 393 /प्रवा-1/2024 दिनांक 18/06/2024 एवं पत्र दिनांक 28/06/2024 से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नौगांव को वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। वर्तमान में न्यायालय कमिश्नर महोदय सागर संभाग सागर के प्र.क्र. 16/निगरानी /2024-25 में पारित आदेश दिनांक 12/08/2024 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नौगांव के पत्र दिनांक 28/06/2024 के क्रियान्वयन को स्थगित किया गया है।

## प्रस्तावित सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति

**[ जल संसाधन ]**

**14. परि.अता.प्र.सं. 38 (क्र. 1621) श्री सोहनलाल बाल्मीक :** क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दूधी नदी जलाशय परियोजना का प्रोजेक्ट क्या है? सम्पूर्ण प्रोजेक्ट की छायाप्रति सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित उपलब्ध करायें। **(ख)** दूधी नदी परियोजना का कार्य कब से प्रारंभ किया जाकर, कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? इस पूरी परियोजना को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, दूधी नदी जलाशय के अन्तर्गत परासिया विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन से ग्राम लाभांवित होंगे और उन ग्रामों की कितने हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी? **(ग)** दूधी नदी जलाशय परियोजना में परासिया विधानसभा क्षेत्र के जो गांव लाभांवित हो रहे है, उन गॉवों में जो अन्य सिंचाई योजनायें प्रस्तावित थी, जिनके डीपीआर तैयार कर लिए गये थे और सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति हेतु अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया गया था, लाभांवित गॉवों की ऐसी सभी सिंचाई योजनाओं को विभाग द्वारा लंबित कर दिया गया है अधिकारियों से पूछने पर उनके द्वारा कहां जाता है कि दूधी नदी जलाशय परियोजना के कारण लाभांवित गॉवों में प्रस्तावित अन्य सभी सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति की कार्यवाही को विभागीय स्तर पर लंबित कर रोक दिया गया है। क्या इस प्रकार एक परियोजना के लिए अन्य सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति पर रोक लगाया जाना उचित है? जिन अन्य सिंचाई योजनाओं को लंबित कर रोक लगाई गई है ऐसी सभी सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति पर रोक को कब तक हटाते हुये सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?

**जल संसाधन मंत्री :** [ ***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ] **(क)** कार्यपालन यंत्री रानी अवन्ती बाई लोधी सागर संभाग नरसिंहपुर से प्राप्त उत्तर अनुसार दुधी नदी जलाशय परियोजना नर्मदा घाटी विकास विभाग की सिंचाई परियोजना है, जिसका क्रियान्वयन नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत किया जा रहा है। प्रोजेक्ट संबंधित **दस्तावेज की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट-1" अनुसार है। (ख)** नर्मदा घाटी विकास विभाग से प्राप्त उत्तर अनुसार कार्यपालन यंत्री रानी अवन्ती बाई लोधी सागर संभाग नरसिंहपुर मे प्राप्त पत्र क्र.-280/कार्य/विधान सभा/नरसिंहपुर दिनांक 07.02.2024 के अनुसार दूधी नदी पर प्रस्तावित बांध दिनांक 02.12.2022 को अनुबंध किया गया है। एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया है। कार्य को 72 माह में पूर्ण करने हेतु अवधि दिनांक 30.11.2028 तक निर्धारित है। परियोजना के अन्तर्गत प्रारंभिक सर्वेक्षणानुसार परामिया विधानसभा क्षेत्र के 87 ग्रामों की 23239.40 हे. भूमि सिंचित होगी। ग्रामवार **विवरण पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट-2" अनुसार है। (ग)** कार्यपालन यंत्री रानी अवन्तीबाई लोधी सागर नहर संभाग

नरसिंहपुर द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार तामिया/परासिया तहसील में 23239.40 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई दूधी नदी से प्रस्तावित है। **विवरण पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट-2" में दर्शित है।** परासिया विधानसभा क्षेत्र से लाभान्वित ग्रामों की सूची एवं परासिया विधानसभा क्षेत्र की प्रस्तावित योजनाएँ जिनका कमाण्ड क्षेत्र दूधी नदी परयोजना से ओवर लेप हो रहा है। **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-अ" अनुसार है।**

## बांध निर्माण एवं सिंचाई की जानकारी

## [ जल संसाधन ]

**15. परि.अता.प्र.सं. 58 (क्र. 2012) श्री ओमकार सिंह मरकाम :** क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** डिण्डोरी जिला सिंचाई हेतु कब-कब, कहां-कहां बांध एवं एकीकृत का निर्माण किया गया? **(ख)** क्या सभी बांध एवं एनीकट में प्राक्कलन में प्रस्तावित सिंचाई के रकबा के अनुसार सिंचाई नहीं हो रही है अगर हाँ तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है? क्यों सिंचाई नहीं हो पा रही है? क्या कारण है? कब तक सिंचाई हो पायेगी और अगर नहीं तो बतावें, गोपरा, भवरमण्डी, बरगी, नेवसा, केवलारी, रिवरीपिपरी ऊफरी ठोढ विलगड़ा आदि बांध एवं खरमेर, कचनारी, पिण्डरकरवी जीमटोला आदि एनीकटो में सिंचाई क्यों नहीं हो रही है?

**जल संसाधन मंत्री :** [ *(क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट-अ" अनुसार है। (ख)** जी हाँ। कुछ बांधों/एनीकट में प्राक्कलन में प्रस्तावित सिंचाई से कम सिंचाई वर्षाकाल में नहरें क्षतिग्रस्त होने एवं पूर्ण जल भराव में कमी के कारण पूर्ण क्षमता से सिंचाई नहीं हो पा रही है। आवश्यक सुधार कार्य उपरांत पूर्ण सिंचाई किया जाना लक्षित है। गोपरा, भवरमण्डी बरगी नेवसा, केवलारी, टिकरा (रिवरीपिपरी), उफरी (सुनियमर), ढोढ (ठोढ़), बिलगांव (बिलगड़ा) बांध एवं खाम्ही (खरमेर), कचनारी, पिण्डरूखी (पिण्डरकरवी), नीमटोला (जीमटोला) आदि एनीकटस से कम सिंचाई होने संबंधी **विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट-एक" अनुसार है।**

## देपालपुर वन व्यवस्थापन अधिकारी का आदेश

## [ राजस्व ]

**16. अता.प्र.सं.106 (क्र. 2130) डॉ. हिरालाल अलावा :** क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अनुविभागीय अधिकारी/वन व्यवस्थापन अधिकारी देपालपुर जिला इंदौर ने प्रकरण क्रमांक 449/बी/121 वर्ष 2021-22 आदेश दिनांक 11/03/2022 में बेटमा, कालीबिल्लौद एवं पीथमपुर वनखंड से संबंधित जांच कर आदेश किए हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो किस ब्लाक में किस ग्राम की मिसल बंदोबस्त, निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में किस-किस मद और किस-किस प्रयोजन के लिए दर्ज किस खसरा नंबर का कितना रकबा शामिल कर भा.व.अ. 1927 की धारा 4 के तहत अधिसूचित किया गया? **(ग)** धारा 4 में अधिसूचित किस खसरा नंबर का कितना रकबा कलेक्टर इंदौर ने किस प्रकरण क्रमांक में किस आदेश दिनांक से किस-किस विभाग, निगम को किन-किन कार्यों के लिए आवंटित किया है, आवंटन आदेश की प्रति सहित बताएं।

**(घ)** कलेक्टर द्वारा आवंटित किस खसरा नंबर के कितने रकबे को आदेश दिनांक 11/03/2022 से वनखंड से पृथक किया गया, पृथक करने का आदेश में क्या-क्या कारण बताया है?

**राजस्व मंत्री :** [ ***(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।*** ] **(क)** अनुविभागीय अधिकारी/वन व्यवस्थापन अधिकारी देपालपुर जिला इंदौर ने प्रकरण क्रमांक 449/बी/121 वर्ष 2021-22 आदेश दिनांक 11/03/2022 में बेटमा, काली बिल्लौद एवं पीथमपुर वनखंड की जांच उपरांत ही आदेश पारित किया गया है। **(ख)** अनुविभागीय अधिकारी, /वन व्यवस्थापन अधिकारी देपालपुर जिला इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 449/बी-121/2021-22 आदेश दिनाक 11/03/2022 से विस्तृत आदेश जारी किया गया है। **आदेश की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग)** अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देपालपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक/449/बी-121/2021-22 आदेश दिनांक 11/03/2022 में आदेश के पृष्ठ क्रमांक-2 पर अंकित पैरा क्रमांक-3 वनखण्ड बेटमा, पीथमपुर व कालीबिल्लौद अंतर्गत ग्राम के खसरा नम्बर, क्षेत्रफल, प्रस्तावित आरक्षित वन की सीमाएं वर्णित की है। इन सीमाओं के अतर्गत जो सर्वे नम्बर आदेश में उल्लेखित है, उनमें आदेश दिनांक 11/03/2022 के उपरान्त कलेक्टर जिला इन्दौर द्वारा कोई भी आवंटन आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं किया गया है। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में जानकारी निरंक है।

## अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई अतिक्रमण पर कार्यवाही

**[ राजस्व ]**

**17. परि.अता.प्र.सं. 90 (क्र. 2212) श्री फूलसिंह बरैया :** क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अनुविभागीय अधिकारी दतिया शहर में जनवरी 2024 में अतिक्रमण के नाम पर वर्षों से बैठे दुकानदारों, सब्जी वालों, ठेले वालों को हटाने का काम किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त दुकानदारों, सब्जी वालों, ठेलों वालों को हटाने से पूर्व नोटिस दिया गया था? यदि हाँ, तो नोटिस की प्रति उपलब्ध करावें। **(ख)** क्या उक्त दुकानदारों एवं अन्य को हटाने से पूर्व स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 का अनुपालन करते हुए व्यवस्था की गई है? यदि नहीं, तो कारण एवं हटाये गये व्यक्तियों की सूची सहित जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** उक्त दुकानदारों, सब्जी वालों, ठेले वालों को किस आदेश के तहत वहां से हटाया एवं दुकानों को तोड़ा गया है? आदेश सहित जानकारी उपलब्ध करावें।

**राजस्व मंत्री :** [ ***(क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।*** ] **(क)** जी नहीं, अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नगरपालिका परिषद् दतिया द्वारा की जाने से शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है। **(ख)** जी नहीं। उक्त अतिक्रमण अस्थाई प्रवृत्ति का था जो शहर के मुख्य मार्ग पर था। चूंकि शहर के मुख्य पाथवे स्ट्रीट बैडर्स एक्ट 2014 के तहत नहीं आते है। उक्त अतिक्रमण अस्थाई प्रवृत्ति का था इसलिये इनकी सर्वे नहीं कराया/सूची नहीं बनायी गयी है। **(ग)** नगरीय निकाय को उक्त अस्थाई अतिक्रमण सब्जी वालों, ठेले वालों आदि के कारण ट्राफिक जाम की समस्या संबंधी शिकायतें निरंतर प्राप्त हो रही थीं, इस कारण पूर्व में मुनादी कराकर अस्थाई अतिक्रमणकर्ताओं को उक्त मुख्य मार्ग से हटा दिया गया था।

## पुरवा एवं क्योटी नहर के कार्य

### [ जल संसाधन ]

**18. अता.प्र.सं.142 (क्र. 2266) श्री नागेन्द्र सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पुरवा नहर संभाग एवं क्योटी नहर संभाग रीवा अंतर्गत मुख्य नहरों की कुल लम्बाई कितनी है? पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करायें। **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नहरों की कुल लंबाईयों का पूरा निर्माण (लाइनिंग) सहित पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ, तो उनके लाइनिंग (कांक्रीट) का कार्य कितना और किन-किन स्थानों में हुआ? यदि कार्य नहीं हुआ है तो क्यों? कब तक पूर्ण किया जावेगा? समय-सीमा बतायें। **(ग)** क्या क्योटी नहर संभाग की मुख्य नहर का पूरा निर्माण कार्य सद्भान कम्पनी द्वारा किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त कम्पनी को कार्यों का कितनी राशि का भुगतान किया गया? पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो क्यों? निर्माण कब तक पूर्ण किया जायेगा? **(घ)** क्या क्योटी नहर के मुख्य नहर निर्माण के अधूरे कार्य को पूर्ण करने हेतु पृथक से निविदा आंमत्रित की गई? यदि हाँ, तो क्या ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया? यदि हाँ, तो कितने कि.मी. तक निर्माण कार्य कराया गया तथा इस कार्य का कितना भुगतान किया गया? अधूरा कार्य करने वाले ठेकेदार के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

**जल संसाधन मंत्री :** [ ***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ] **(क)** पुरवा नहर संभाग एवं क्योटी नहर संभाग की नहरों की पृथक-पृथक **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ-1" एवं "अ-2" अनुसार है।** **(ख)** जी नहीं। **विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ-1" एवं "अ-2" में दर्शित है।** क्योटी नहर, पुरवा नहर एवं गुढ़-मऊगंज नहर में स्वीकृति अनुसार लाइनिंग का कार्य कराया जा चुका है। बहुती नहर में लाइनिंग का कार्य प्रगतिरत है। कार्य पूर्ण किये जाने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** जी नहीं। बहुती नहर के निर्माण कार्य के ठेकेदार द्वारा कार्य का परित्याग किये जाने पर दांडिक कार्यवाही कर अनुबंध विखण्डित किये जाने के कारण कार्य अपूर्ण रहा। कार्य पूर्ण किये जाने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(घ)** जी हाँ। ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाकर 23.62% कार्य पूर्ण होना एवं कुल 76.79 करोड़ का भुगतान होना प्रतिवेदित है। बहुती नहर का अधूरा कार्य करने वाले ठेकेदार की निविदा को अनुबंध में निहित कंडिकाओं के अधीन विखंण्डित कर परफॉरमेन्स गारंटी एवं सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि को राजसात कर लिया जाना प्रतिवेदित है।

# जुलाई, 2024

## दिनांक 3 जुलाई, 2024

### भूमि की रजिस्ट्री एवं नामांतरण के प्रकरण

**[ राजस्व ]**

**1. अता.प्र.सं.103 (क्र. 991) श्री उमाकांत शर्मा :** क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक पंजीयक कार्यालय के संपदा पोर्टल से राजस्व के आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु कितने प्रकरण प्राप्त हुए? जिलावार एवं वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने प्रकरणों का निराकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता के पक्ष में किया गया तथा कितने प्रकरण निरस्त किये गये? निरस्त करने का कारण सहित जिलावार एवं वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। क्या जानबूझकर प्रकरणों को एकपक्षीय कर निरस्त किये गये? इसके लिए कौन-कौन दोषी है एवं दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? जिलावार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिला में कितने प्रकरण संपदा पोर्टल से राजस्व के आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर प्राप्त हुए हैं? हल्कावार, मण्डलवार, तहसीलवार, माहवार, वर्षवार नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में भूमिक्रेता को दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु सूचना किस माध्यम से दी गई? यदि हाँ, तो माध्यम बतावें। यदि नहीं, तो क्यों? **(ड.)** प्रश्नांश **(घ)** के संदर्भ में भूमिक्रेता को सूचना उपलब्ध नहीं होने पर कितने प्रकरणों का मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर एकपक्षीय कर निरस्तीकरण किया गया? **(च)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में साइबर तहसील संचालित होने के बाद प्रश्नांकित अवधि तक कितने प्रकरणों में नामांतरण निरस्त हुए? जिलावार, तहसीलवार, माहवार, वर्षवार नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें।

**राजस्व मंत्री : [ (क)** प्रदेश में 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक पंजीयक कार्यालय के संपदा पोर्टल से राजस्व के के आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख)** संपदा पोर्टल से राजस्व के आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु प्राप्त समस्त प्रकरणों का निराकरण क्रेता के पक्ष में समय-सीमा में गुणदोष के आधार पर किया गया। निरस्त प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। (ग)** विदिशा जिले से **जानकारी संकलित की जा रही है। (घ)** एवं **(ड.)** विदिशा जिले से **जानकारी संकलित की जा रही है। (च)** जिलों से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार है।] (ग)** उत्तरांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिला में 33253 प्रकरण संपदा पोर्टल से राजस्व के आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर प्राप्त हुए हैं। प्रश्नांश की शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (घ)** उप पंजीयक कार्यालय द्वारा सम्पदा पोर्टल के माध्यम से आवेदक के नामांतरण हेतु आवेदन रजिस्ट्री के उपरान्त आनलाइन प्रेषित किया जाता है तथा आवेदक को वेन्डर के माध्यम से उपरोक्त आवेदन की पावती प्रदाय की जाति है। आवेदक को

वेन्डर के माध्यम से 07 दिवस के भीतर संबंधित राजस्व न्यायालय में मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने हेतु सूचित किया जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त आर.सी.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर आवेदन दर्ज होने की तथा पेशी दिनांक की सूचना पोर्टल से एस.एम.एस. मैसेज के माध्यम से मोबाईल नंबर पर प्रेषित की जाती है। उपरोक्त के अतिरिक्त राजस्व न्यायालय द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई हेतु सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है। (ड.) उत्तरांश "घ" के अनुसार सभी भूमि क्रेता को सूचना दी जाकर न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत प्रकरणों का गुण-दोषों के आधार पर विधिवत निराकरण किया गया है।

## सिंचाई परियोजना एवं आवंटित राशि की जानकारी

## [ जल संसाधन ]

**2. अता.प्र.सं.104 (क्र. 992) श्री उमाकांत शर्मा :** क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विभाग द्वारा निर्माण एवं विकास कार्यों तथा अन्य कार्यों के लिए कौन-कौन योजनाओं में, किन-किन मदों में, कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? कार्य के नाम सहित, योजनावार, मदवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में भोपाल, संभाग में विभाग द्वारा कौन-कौन सी लघु, मध्यम, वृहद सिंचाई परियोजनाएं, नदी, तालाब, बैराज आदि स्वीकृत हैं तथा प्रगतिशील है? विकासखण्डवार लघु, मध्यम, वृहद् सिंचाई परियोजनावार, जानकारी उपलब्ध करावें। कितनी परियोजनाओं की डी.पी.आर. बन चुकी है? कितनी परियोजनाओं की साध्यता हो चुकी है? कितनी परियोजनाओं की साध्यता होना शेष है? विस्तृत जानकारी परियोजनावार, विकासखण्डवार उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उक्त सिंचाई परियोजनाओं का कार्य कब से प्रारंभ है? कार्यादेश की छायाप्रति, तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति, कार्यपूर्णत: की दिनांक सहित अभी तक हुये कार्य का विवरण एवं ठेकेदार को वर्ष 2014 से प्रश्नांकित अवधि तक सिंचाई परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति, भुगतान की जानकारी बतावें। यदि इन योजनाओं का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है तो कार्य प्रारंभ कब तक कर दिया जावेगा? समय-सीमा बतावें एवं विलंब के लिए दोषी कौन है? दोषी पर क्या कार्यवाही की गई? कृत कार्यवाही की छायाप्रति तथा कार्य प्रारंभ कब से कर दिया जावेगा? **(घ)** प्रदेश में कहां-कहां सिंचाई कौन-कौन सी पद्धति से प्रस्तावित है? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें।

**जल संसाधन मंत्री :** [ ***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ] **(क)** जल संसाधन विभाग द्वारा निर्माण एवं विकास कार्यों तथा अन्य कार्यों के लिये योजनावार/मदवार आंवटित राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश "क" के संदर्भ में भोपाल संभाग में विभाग द्वारा स्वीकृत लघु, मध्यम वृहद सिंचाई परियोजनायें, नदी, तालाब, बैराज आदि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ-1" एवं "अ-2" अनुसार है।** विकासखण्डवार लघु, मध्यम एवं वृहद सिंचाई परियोजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है,** प्रगतिशील योजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार है।** डी.पी.आर. तैयार योजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"द" अनुसार है।** साध्यता प्राप्त योजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ई" अनुसार** एवं साध्यता होना शेष योजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"च" अनुसार है। (ग)**

प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में योजनाओं की योजनावार, विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" एवं "छ" अनुसार है।** योजना प्रारंभ नहीं होने के लिये कोई दोषी नहीं होने से शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** प्रस्तावित योजनाओं की सिंचाई पद्धतियों की **जानकारी परिशिष्ट के प्रपत्र-"ज" अनुसार है।**

## जिलों में स्थित स्कूलों की जानकारी

**[ स्कूल शिक्षा ]**

**3. अता.प्र.सं.116 (क्र. 1050) श्री कमलेश्वर डोडियार :** क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला रतलाम, में स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के नाम, पते एवं उक्त स्कूलों में स्वीकृत पदों की सम्पूर्ण जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिले में वर्तमान में संचालित स्कूलों में जो पद नियमित शिक्षकों से भरे हुये हैं, उन पर पदस्थ शिक्षकों के नाम, पद नाम सहिंत बतावें एवं जो पद जिस दिनांक से रिक्त पड़े हुये है अथवा उन पदों पर अतिथि या अंशकालीन शिक्षक रखे गये है, उनके नाम, पदनाम सहित एवं उन्हें प्रतिमाह भुगतान किये जा रहे वेतन भत्तों की जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** क्या प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा दिनांक 5/6/2024 को अपने पत्र क्रमांक 489/व्ही.आई.पी./2024 को मुख्यमंत्री म.प्र. शासन एवं पत्र क्र. 490/व्ही.आई.पी./2024 को मुख्य सचिव म.प्र. शासन को उनके विभागीय ई-मेल पर भेजा गया था, यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र पर सदन में उत्तर देने की दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** क्या प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा दिनांक 5/6/2024 को आपने पत्र क्र. 494/व्ही.आई.पी./2024 के माध्यम से प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन से विधायक के विशेषाधिकार में जानकारी चाही गई थी, यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता विधायक को कब तक उक्त चाही गई जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

**परिवहन मंत्री :** [ *(क) एवं (ख) स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। वर्तमान में शैक्षणिक सत्र में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक नहीं रखे गये हैं, अतः शेषांश का प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) एवं (घ) जी हाँ। संचालनालय के पत्र क्र/योजना/विधायक/2024-25/507 भोपाल दिनांक 25.06.2024 द्वारा माननीय विधायक महोदय के मेल kamleshwar.dmp.vidhansabha.nic.in पर आंशिक जानकारी उपलब्ध कराई गई है। शेष **जानकारी संकलित कर उपलब्ध कराई जावेगी**।*]

**(ग)** एवं **(घ)** प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक-489 दिनांक 05-06-2024, पत्र क्रमांक-490 दिनांक 25-06-2024 एवं पत्र क्रमांक-494 दिनांक 05-06-2024 की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार।**

## <u>दिनांक 8 जुलाई, 2024</u>

## राजस्व ग्रामों की भूमि

**[ पंचायत एवं ग्रामीण विकास ]**

**4. अता.प्र.सं.97 (क्र. 1969) डॉ. हिरालाल अलावा :** क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राज्य के राजस्व ग्रामों के पटवारी मानचित्र, निस्तार, पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी

में दर्ज गैरखाते की दखल रहित भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 (1) के तहत आरक्षित भूमि को लेकर पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की किस धारा में क्या प्रावधान है। **(ख)** धारा 237 (1) में आरक्षित भूमियों बाबत् संविधान की 11वीं अनूसूची, पेसा कानून 1996, वन अधिकार कानून 2006 में पंचायती राज व्यवस्था को क्या अधिकार दिए है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में आदेश दिनांक 28/1/2011 में क्या प्रावधान दिए है। **(ग)** धारा 237 (1) में आरक्षित भूमियों को भा.व.अ.1927 की धारा 29 धारा 4 धारा 20 में अधिसूचित कर पंचायती राज व्यवस्था के किन-किन अधिकारों को समाप्त किए जाने का क्या-क्या अधिकार संविधान, कानून या न्यायालीन आदेश में दिया गया है?

**पंचायत मंत्री :** [ *(क) म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के प्रावधान* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार*** *है।* ***(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार*** *है।* ***(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।***] **(ग)** धारा 237 (1) में आरक्षित भूमियों के भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29, धारा 4 तथा धारा 20 में अधिसूचित हो जाने से भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधान लागू होते हैं। उक्तानुसार अधिसूचित होने पर म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 में वर्णित अधिकार भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुरूप नियंत्रित होते हैं। इसी प्रकार म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के ऐसे प्रावधान जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 से सुसंगत नहीं हैं, वे भी भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधान लागू होने से प्रभावित होते हैं। भारतीय वन अधिनियम, 1927 के संबंधित प्रावधानों की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार है।**

## जिम्मेदारों पर कार्यवाही

### [ सहकारिता ]

**5. परि.अता.प्र.सं. 114 (क्र. 2310) श्री अभय कुमार मिश्रा :** क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विधानसभा प्रश्न क्रमांक 343 उत्तर दिनांक 08.02.2024 में विधानसभा क्षेत्र सेमरिया अन्तर्गत कुम्हरा जुड़वानी को धान एवं गेहूँ खरीदी केन्द्र बनाए जाने की जानकारी दी गई? कुम्हरा जुड़वानी खरीदी केन्द्र समिति क्षेत्र से बाहर पुर्वा में शुक्ला वेयर हाउस एवं मझिगंवा में कल्पना वेयर हाउस में बनाया गया है की जानकारी दी गई? **(ख)** यदि प्रश्नांश (क) हाँ, तो कुम्हरा जुड़वानी का खरीदी केन्द्र के बाहर पुर्वा में शुक्ला वेयर हाउस एवं मझिगवां में कल्पना वेयर हाउस में खरीदी केन्द्र बनाकर संबंधितों द्वारा भ्रष्टाचार करने हेतु किया गया, इस पर कार्यवाही बाबत् क्या निर्देश जारी करेंगे? बतावें। अगर नहीं तो क्यों? **(ग)** क्या पत्र क्रमांक 264 दिनांक 01.03.2024 एवं पत्र क्रमांक 213 दिनांक 19.02.2024 द्वारा प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल एवं कलेक्टर रीवा को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया था एवं पत्र क्रमांक 256 दिनांक 29.02.2024 के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के साथ उपरोक्त उल्लेखित लोगों को भी पत्र लिखा गया, जिस पर कार्यवाही अपेक्षित क्यों है? समय पर कार्यवाही कर दोषी जिम्मेदारों को चिन्हांकित कर कार्यवाही न करने के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? उन पर क्या कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे? बतावें! अगर नहीं तो क्यों?

**खेल एवं युवा कल्याण मंत्री :** [ *(क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। उपार्जन नीति के अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा कुम्हरा जुड़वानी को पुर्वा में शुक्ला वेयर हाउस एवं मझिगंवा में कल्पना वेयर हाउस में खरीदी केन्द्र बनाया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते हैं। (ग) पत्र क्र. 264 दिनांक 01.03.2024 की* ***जानकारी संकलित की जा रही है।*** *शेष प्राप्त पत्रों के परिप्रेक्ष्य में उप आयुक्त सहकारिता जिला रीवा से जांच कराई गई, उपार्जन संबंधी कोई अनियमितता नहीं पाई गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* ] **(ग)** प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र क्र. 264 का विवरण एवं की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**। शेष प्राप्त पत्रों के परिप्रेक्ष्य में उप आयुक्त सहकारिता जिला रीवा से जांच कराई गई, उपार्जन संबंधी कोई अनियमितता नहीं पाई गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

### जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रोटोकॉल

**[ पंचायत एवं ग्रामीण विकास ]**

**6. अता.प्र.सं.158 (क्र. 2377) श्री मधु भाऊ भगत :** क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला पंचायत अध्यक्ष की शक्तियां, कार्य, जिला पंचायत कार्यालय पर नियंत्रण, उसकी भूमिका, वेतन भत्ते आदि के संबंध में समस्त नीति नियम निर्देशों की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावें। **(ख)** जिला पंचायत अध्यक्ष को केंद्र एवं राज्य सरकार के किन-किन विभागों में, अर्ध शासकीय विभागों में, शासकीय विभागों में, जिला स्तरीय समितियों में, अध्यक्ष, सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में रखा गया है? उन समस्त विभागों एवं समितियों के नाम बतावें एवं इस संबंध में जारी परिपत्र की प्रमाणित छायाप्रति देवें। **(ग)** वर्तमान में मध्यप्रदेश में कुल कितने जिला पंचायत अध्यक्ष को शासकीय आवास आवंटित किया है? आवंटित भवन का प्रकार विभाग एवं पता बताएं तथा आवंटन आदेश की प्रति देवें। **(घ)** बालाघाट जिला पंचायत अध्यक्ष को शासकीय आवास आवंटित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? इसके जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी का नाम बताते हुए कब तक नियमानुसार शासकीय आवास आवंटित कर दिया जाएगा? तिथि बताएं।

**पंचायत मंत्री :** [ ***(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।*** *(ग) जानकारी एवं आवंटन आदेशों की* ***प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है।*** *(घ) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* ] **(ख)** मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के तत्संबंधी प्रावधान **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार** है।

## <u>दिनांक 9 जुलाई, 2024</u>

### करोड़ों रूपयों की राशि की वसूली नहीं किया जाना

**[ वाणिज्यिक कर ]**

**7. अता.प्र.सं.43 (क्र. 1639) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह :** क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सहायक आबकारी आयुक्त इंदौर कार्यालय में हुए कूट रचित बैंक चालान प्रकरण में

प्रवर्तन निदेशालय (E.D.) के द्वारा आबकारी आयुक्त ग्वालियर एवं उपायुक्त आबकारी इंदौर को पत्र क्रमांक (फाइल नम्बर) 11109/11111, दिनांक 06-05-2024 या अन्य पत्र भेजकर जानकारी मांगी गई है। क्या उक्त गबन की रकम 70 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गई है? **(ख)** प्रदेश के किन-किन जिलों में प्रश्न तिथि तक किस नाम एवं पते वाले वर्तमान एवं पूर्व लायसेंसियों से/व्यक्तियों/फर्मों से कितनी-कितनी राशि वसूली जाना कब से शेष है? **(ग)** वसूली न करने वाले किस नाम/पदनामों के विरूद्ध शासन कब तक निलंबन की कार्यवाही करेगा? प्रकरणवार, बिन्दुवार विवरण दें।

**उप मुख्यमंत्री, वित्त :** [ ***(क)*** *जी हाँ। सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय जिला इन्दौर में हुए कूटरचित बैंक चालान प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय, वित्त मंत्रालय/राजस्व विभाग भारत सरकार, इन्दौर (म.प्र.) द्वारा पत्र क्रमांक File No: T-1/19/INSZO/2024/11109 दिनांक 06.05.2024 के माध्यम से आबकारी आयुक्त कार्यालय एवं पत्र क्रमांक File No: T-1/19/ INSZO/ 2024/11155 दिनांक 21.05.2024 से सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय जिला इंदौर से जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु पत्राचार किया गया है। इंदौर में सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय में कूट रचना कर बने बैंक चालानों वाले प्रकरण में आबकारी आयुक्त कार्यालय के आदेश क्रमांक–678 दिनांक 27.04.2023 से दिए गये निर्देशों के अनुक्रम में बकाया राशि के संबंध में जिला कार्यालय इन्दौर के आदेश/क्र/आब/ठेका/2023/2731 दिनांक 19.05.2023 से गठित समिति के द्वारा दिनांक 06.07.2023 को संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पूर्व में गठित जांच समिति द्वारा आंकलित कुल कम जमा राशि रूपये 41, 65, 21, 890/- के स्थान पर पुनर्गणना के आधार पर रूपये 71, 58, 52, 047/- परिगणित की है। उक्त परिगणित राशि का परीक्षण मुख्यालय स्तर पर वित्त अधिकारियों से कराया जा रहा है। परीक्षण उपरांत वास्तविक बकाया राशि की स्थिति स्पष्ट होगी।* ***(ख)*** *प्रदेश में जिन लायसेंसियों/व्यक्तियों/फर्मों से बकाया वसूली की जाना है, से संबंधित* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक, दो, तीन, चार, पांच, छ: एवं सात अनुसार*** *है।* ***(ग)*** ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।***]

**(ग)** प्रदेश में विभिन्न जिलों के मदिरा समूहों/दुकानों पर बकाया राशि निर्मित होने हेतु मुख्य रूप से संबंधित मदिरा समूह/दुकान के अनुज्ञप्तिधारी/लायसेंसी जिम्मेदार होते हैं। उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु जिला स्तर पर अधिकृत अधिकारी द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु शासन नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। यदि बकाया राशि निर्मित होने संबंधी कारणों में संबंधित अधिकारियों द्वारा लापरवाही किया जाना परिलक्षित होता है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

## लोकायुक्त द्वारा प्रेषित शिकायत

### [ सामान्य प्रशासन ]

**8. ता.प्र.सं. 18 (क्र. 1694) कुँवर अभिजीत शाह :** क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या लोकायुक्त मध्यप्रदेश लोकायुक्त भवन, भोपाल ने नगर पालिका टिमरनी के विरूद्ध शिकायतों को क्रमांक 0038/ई/2023 के आधार पर कलेक्टर हरदा, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन को प्रेषित किया, जिनकी प्रश्नांकित दिनांक तक भी जांच कर प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया गया?

**(ख)** टिमरनी नगर पालिका से संबंधित किस-किस विषय पर किसकी शिकायत वर्ष 2022-23 वर्ष 2023-24 में प्राप्त हुई? वह किस दिनांक को किसे प्रेषित की गई? किस दिनांक को जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ? किसने प्रश्नांकित दिनांक तक भी जांच प्रतिवेदन लोकायुक्त के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया? **(ग)** कब तक जांच करवाई जाकर टिमरनी नगरपालिका के संबंधितों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जावेगा?

**मुख्यमंत्री : [*(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] (क)** जी नहीं। कलेक्टर, हरदा द्वारा उक्त शिकायत को दो अलग-अलग प्रकरणों 0038/ई/2023 एवं 0024/ई/2023 में पंजीकृत किया गया है। **(ख)** वर्ष 2022-23 वर्ष 2023-24 में टिमरनी नगरपालिका से संबंधित प्राप्त शिकायतों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जांच प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्यवाही की जायेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

## दिनांक 10 जुलाई, 2024

### अतिवृष्टि/ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों की राहित राशि

**[ राजस्व ]**

**9. अता.प्र.सं.9 (क्र. 813) श्री अनिल जैन :** क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वित्तीय वर्ष 2023-24 में निवाड़ी जिले के अन्तर्गत निवाड़ी विधानसभा में अतिवृष्टि/ओलावृष्टि के कारण फसलें नष्ट हुई थीं? यदि हाँ, तो तहसीलवार अतिवृष्टि/ओलावृष्टि प्रभावित ग्रामों के नाम, कृषकों के नाम सहित स्वीकृत राशि की जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार कितने प्रभावित किसानों को राहत राशि वितरित कर दी गई है एवं कितने शेष है तथा मुआवजा राशि के लंबित होने के कारण सहित जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार शेष किसानों की लंबित राहत राशि का भुगतान शासन कब तक कर देगा?

**राजस्व मंत्री : [** *(क) जी हाँ। तहसील निवाड़ी, ओरछा, पृथ्वीपुर अन्तर्गत 69 ग्रामों में ओलावृष्टि से फसल क्षति हुई है। जिसमें निवाड़ी अन्तर्गत 19 ग्राम (जुगयाई, बिल्ट, रामनगर, कुलुआ खास, कुलुआ भाटा, झिंगौरा, धर्मपुरा, सियाभाटा, मकारा, पनियारा खेरा, मजरा मकारा, नीमखेरा, जिखनगांव, राजापुर, अस्तारी, टेहरका भाटा, रायपुरा खास, रायपुरा जंगल, नयाखेरा) व ओरछा में 31 ग्राम (कुम्हर्राखास, कुम्हर्राभाटा, ओरछा, फुटेरा, सावंतनगर, सिंहपुरा (वनग्राम), गुंदरई, नकटा, ढिमरपुरा, रूंदमकोरा, जमुनियां खास, चन्द्रवन, गुजर्राकलां, जमुनियां भाटा, गुजर्राखुर्द, रामनगर, मथुरापुरा, महाराजपुरा, राधापुर, लाडपुराखास, लाडपुरा उत्तरी, बागन, मडोरभाटा, मडोरपूर्वी, पठारी, लठेसरा, रजपुरा, मडोर पश्चिमी, वनगांय खास, मजरा वनगांय, बनगांय हार) तथा तहसील पृथ्वीपुर के विधानसभा निवाड़ी अन्तर्गत 19 ग्राम (अर्तरा, जैतवारा, पपावनी पूर्वी, कुवरंपुरा, चन्द्रपुरा, चन्द्रपुरा भाटा, सेवारी, बागपुरा, ढिल्ला, मौजन, दर्रोठा, लिदवाहा, मडवा जुगलपुरा, रागौली, मोहनपुरा, सैगुवां, सुजानपुरा, मजरा भेलसा, भेलसा) में ओलावृष्टि हुई है। जिसमें निवाड़ी तहसील में कुल कृषक 8645 प्रभावित स्वीकृति राशि 9, 03, 34, 101/- व तहसील ओरछा में कुल कृषक 13840 प्रभावित स्वीकृत राशि 12, 49, 80, 809/- तथा तहसील पृथ्वीपुर अन्तर्गत कुल कृषक 8938 प्रभावित हुए*

*तथा स्वीकृत राशि 73, 2, 31, 041/- रूपये स्वीकृत की गई अस्तु विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अतिवृष्टि/ओलावृष्टि के कारण 31423 कृषक प्रभावित हुए व 28, 85, 45, 951/- रूपये स्वीकृत किये गये। कृषकों के नाम सहित* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।(ख)*** *तहसील निवाड़ी अन्तर्गत 6963 कृषकों को राशि 7, 49, 45, 265/- वितरित की जा चुकी है व 1682 कृषकों को रूपये 1, 53, 88, 836/- वितरण शेष है व तहसील ओरछा अन्तर्गत 6335 कृषकों को राशि रूपये 103937451/- वितरित की जा चुकी है तथा 7505 कृषकों को रूपये 21, 0, 43, 358/- वितरण को शेष है। तहसील पृथ्वीपुर के विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी अन्तर्गत 4568 कृषकों 6, 06, 17, 893/- रूपये वितरित हो चुके है व 4370 कृषकों के 12613148 रूपये वितरण होना शेष है। अस्तु विधानसभा निवाड़ी अन्तर्गत 17866 कृषकों को 23, 95, 00, 609/- वितरण हो चुका है व 13557 कृषकों को 4, 90, 45, 342/- रूपये वितरण हेतु शेष है। कृषकों के बैंक खातों की DBT न होने से, आधारकार्ड इनेक्टिव होना तथा कुछ कृषकों के बैंक खाता नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर उपलब्ध न होने से राशि वितरित नहीं की जा सकी है।* ***(ग)*** *राशि वितरण जारी है। कृषकों द्वारा बैंक खातों की डीबीटी, आधारकार्ड एक्टिव होना तथा कुछ कृषकों के बैंक खाता नम्बर उपलब्ध होते ही भुगतान कर दिया जाता है।*] **(क)** जी हाँ। वित्तीय वर्ष 2023-24 में निवाड़ी जिले के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में 69 ग्रामों में ओलावृष्टि हुई है। जिसमें तहसील निवाड़ी के 19 ग्राम (जुगयाई, बिल्ट, रामनगर, कुलुवाखास, कुलुवाभाटा, झिगोंरा, धर्मपुरा, सियाभाटा, मकारा, पनियाराखेरा, मजरामकारा, नींमखेरा, जिखनगांव, राजापुर, अस्तारी, टेहरकाभाटा, रायपुराखास, रायपुराजंगल, नयाखेरा) व तहसील ओरछा में 31 ग्राम (कुम्हर्राखास, कुम्हर्राभाटा, ओरछा, फुटेरा, सावंतनगर, सिंहपुरा (वनग्राम), गुदरई, नकटा, ढिमरपुरा, रूदमकोरा, जमुनियाखास, चन्द्रवन, गुजर्राकलां, जमुनियाभाटा, गुजर्राखुर्द, रामनगर, मथुरापुरा, महाराजपुरा, राधापुर, लाडपुराखास, लाडपुरा उत्तरी, वागन, मडोराभाटा, मडोरपूर्वी, पठारी, लठेसरा, रजपुरा, मडोर पश्चिमी, वनगांयखास, मजरा वनगांय, वनगायहार) तथा तहसील पृथ्वीपुर के विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी अन्तर्गत 19 ग्राम (अतर्रा, जैतवारा, पपावनी पूर्वी, कुंवरपुरा, चन्द्रपुरा, चन्द्रपुराभाटा, सेवारी, बागपुरा, ढिल्ला, मौजन, दर्रेठा, लिदवाहा, मडवाजुगलपुरा, रागोली, मोहनपुरा, सैगुवां, सुजानपुरा, मजरा भेलसा, भेलसा) में ओलावृष्टि हुई है, जिसमें तहसील निवाड़ी के 8645 कृषक प्रभावित हुये तथा 9, 03, 34, 101/- रूपये राहत राशि स्वीकृत की गई व तहसील ओरछा के 13840 कृषकों को राहत राशि 12, 49, 80, 809/-रूपये स्वीकत की गई, तथा विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी अन्तर्गत तहसील पृथ्वीपुर के कुल 19 ग्रामों के 8938 कृषक प्रभावित हुये जिन्हें राहत राशि रूपये 7, 32, 31, 041/- स्वीकृत की गई। विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 मे अतिवृष्टि/ओलावृष्टि के कारण 31423 कृषक प्रभावित हुये तथा राशि 28, 85, 45, 951/- रूपये स्वीकृत किये गये। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

## किसानों को दी जाने वाली फसल क्षतिपूर्ति

**[ राजस्व ]**

**10. अता.प्र.सं.55 (क्र. 1985) श्री आतिफ आरिफ अकील :** क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में किसानों की फसल नष्ट हो जाने पर सरकार द्वारा फसल क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने का प्रावधान है? यदि यहां तो वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के कितने किसानों को

फसल नष्ट होने के बाद सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई? जिलेवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** क्या फसल क्षतिपूर्ति राशि वितरण के ऑडिट में महालेखागार द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट में प्रदेश के कई जिलों में क्षतिपूर्ति राशि वितरण में घोटाला बताया गया है? यदि हाँ, तो उक्त क्षतिपूर्ति राशि वितरण में कब-कब तथा कितना-कितना घोटाला किया गया है तथा घोटाले में संलिप्त किन-किन जिम्मेदारों पर प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? जिलेवार कार्यवाही अवगत करावें।

**राजस्व मंत्री :** [ *(क) जी हाँ। जिलेवार* ***जानकारी संकलित की जा रही है।*** *(ख) महालेखाकार द्वारा प्रस्तुत ड्रॉफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में प्रदेश के कुछ जिलों में राहत राशि वितरण में अनियमितता बतायी गई थी। जिलेवार* ***जानकारी संकलित की जा रही है।***] **(क)** जी हाँ। वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक फसल नष्ट होने से प्रभावित किसानों की संख्या एवं प्रदाय की गई क्षतिपूर्ति राशि की **जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। महालेखाकार ग्वालियर की रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2018-19 से 2021-22 में मध्यप्रदेश के कुल 13 जिलों में कुल 23.37 करोड़ की राशि की अनियमितता प्रतिवेदित की गई हे। जिलेवार अनियमितता की राशि की जानकारी तालिका अनुसार है।

| क्र. | जिले का नाम | अनियमितता की राशि (करोड़ में) |
|---|---|---|
| 1 | सिवनी | 11.79 |
| 2 | श्योपुर | 2.84 |
| 3 | सीहोर | 1.17 |
| 4 | शिवपुरी | 3.00 |
| 5 | देवास | 1.27 |
| 6 | छतरपुर | 0.42 |
| 7 | खण्डवा | 0.12 |
| 8 | मंदसौर | 0.70 |
| 9 | रायसेन | 0.88 |
| 10 | दमोह | 0.31 |
| 11 | सतना | 0.13 |
| 12 | आगर-मालवा | 0.27 |
| 13 | विदिशा | 0.47 |
| | **कुल योग** | **23.37** |

शेष प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

## अतिक्रमित भूमि की जानकारी

**[ राजस्व ]**

**11. परि.अता.प्र.सं. 94 (क्र. 2355) श्री निलेश पुसाराम उईके :** क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश के जिला-पांढुर्णा व छिंदवाड़ा में जनजातीय समुदाय के पॅनकड़ा

(देवस्थान) एवं मोक्षधाम/शमशान की भूमि व इसके पहुंच मार्ग राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं? यदि हाँ, तो उनका स्थान, रकबा, खसरा व वर्तमान स्थिति की जानकारी देवें। क्या उक्त स्थानों में वर्तमान में अतिक्रमण है? यदि हाँ, तो उसे हटाने हेतु शासन/विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक की जावेगी? **(ख)** प्रदेश के सिवनी जिले में शास. राजस्व मद व इसके अंतर्गत सभी मदों की रिक्त भूमि की तहसीलवार, मदवार, रकबा, स्थान व खसरा सहित जानकारी देवें। क्या उक्त भूमि में वर्तमान में किसी व्यक्ति व संस्था द्वारा अवैध रूप से कब्जा/अतिक्रमण किया गया है? यदि हाँ, तो वे कौन हैं? उनकी जानकारी देवें। क्या इस अतिक्रमित शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु शासन/विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो कब-कब और इससे मुक्त भूमि की जानकारी देवें। यदि नहीं, तो क्यों और कब की जावेगी? **(ग)** क्या प्रश्नांश (ख) में वर्णित जिलों में स्थित शमशान मद की आरक्षित भूमि में वर्तमान समय में किसी के द्वारा अतिक्रमण किया गया है व इस बाबत् जिला प्रशासन/विभाग को कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी?

**राजस्व मंत्री :** [ *(क) छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा जिले के अंतर्गत जनजातीय समुदाय के पॅनकड़ा (देवस्थान) एवं मोक्षधाम/शमशान की भूमि व इसके पहुंच मार्ग राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। पांढुर्णा जिला अंतर्गत जनजातीय समुदाय के पॅनकड़ा (देवस्थान) एवं मोक्षधाम/शमशान की भूमि व इसके पहुंच मार्ग राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। शेष जानकारी निरंक है।* ***(ख) एवं (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।*** ] **(ख)** सिवनी जिला अंतर्गत शासकीय राजस्व मद के अंतर्गत तहसीलवार रिक्त भूमि की मदवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। उक्त मदों की भूमि में से 269.24 हे. भूमि पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था जिसमें 189.24 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। **(ग)** जिला प्रशासन/विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है।

## लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू. एवं विभागीय जांच

## [ जल संसाधन ]

**12. अता.प्र.सं.178 (क्र. 2912) श्री उमंग सिंघार :** क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जल संसाधन विभाग के किन-किन वर्तमान एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं इंजीनियरों के विरूद्ध लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू. में प्रकरण पंजीबद्ध है एवं विभागीय जांच चल रही है? कृपया नाम पद एवं आरोप और प्रकरण क्रमांक दिनांक सहित पूर्ण ब्यौरा पृथक-पृथक दें। **(ख)** सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार विभागीय जांचों का निपटारा समय-सीमा में निपटारा नहीं किये जाने के क्या-क्या कारण है? शासन के नियमानुसार समय-सीमा विभागीय जांच का निपटारा नहीं करने पर किस-किस जांच अधिकारी को दण्डित किया गया है? **(ग)** उक्त विभागीय जांचों की अद्यतन स्थिति क्या-क्या है?

**जल संसाधन मंत्री :** [ *(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख)** विभागीय जांच प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर प्रचलित होती है। शेष प्रश्नांश निरंक। **(ग)** उत्तरांश "क" अनुसार।

## दिनांक 12 जुलाई, 2024

### सामुदायिक भवन का निर्माण

### [ अनुसूचित जाति कल्याण ]

**13. परि.अता.प्र.सं. 3 (क्र. 333) श्री लखन घनघोरिया** : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पूर्व विधानसभा क्षेत्र क्र.97 जबलपुर स्थित सिद्धबाबा वार्ड लालमाटी में सामुदायिक भवन का निर्माण हेतु कब कितनी राशि की प्रशासकीय स्वीकृति दी थी। इसके लिये कब कितनी राशि आवंटित की हैं? **(ख)** प्रश्नांकित सामुदायिक भवन हेतु जिला प्रशासन जबलपुर ने कब कितनी भूमि आवंटित की हैं एवं भू-स्वामित्व सम्बंधी अधिकार पत्र कब जारी किया हैं। **(ग)** संचालनालय नगर एवं ग्राम निवेश विभाग म.प्र. शासन भोपाल ने पत्र क्र.4559/न.ग्रा.नि./टी. सी./जबलपुर/107/2022 भोपाल दिनांक 09/11/2022 को कलेक्टर जबलपुर को प्रश्नांकित भूमि के सम्बंध में क्या जानकारी दी है। तत्सम्बंध में कलेक्टर जबलपुर ने कब क्या कार्यवाही की है? **(घ)** प्रश्नांकित सामुदायिक भवन का निर्माण हेतु अभी तक भूमि का उपांतरण न करने का क्या कारण है? क्या शासन इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही कर आवंटित भूमि का उपांतरण कराना सुनिश्चित करेगा?

**वन मंत्री** : [ ***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ] **(क)** एवं **(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** शासन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने से कार्यवाही नहीं की गई। **(घ)** उत्तरांश (ग) अनुसार है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

### अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग पर अत्याचार के प्रकरण

### [ अनुसूचित जाति कल्याण ]

**14. अता.प्र.सं.9 (क्र. 1124) श्रीमती प्रियंका पैंची** : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र चाचौड़ा में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग पर हुये अत्याचार संबंधी कितने-कितने प्रकरण अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 की किन-किन धाराओं में पंजीकृत किये गये? कितने-कितने प्रकरणों में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? कितने प्रकरण लम्बित/विवेचना में हैं। कितने प्रकरणों में कितने पीड़ितों को कितनी राशि की आर्थिक सहायता दी गई। कितने प्रकरणों में कितनी राशि वितरित नहीं की है एवं क्यों? वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक की जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में हत्या, आगजनी, जातिगत अपमान, दुष्कर्म सामूहिक दुष्कर्म, अपहरण व हत्या से सम्बंधित पंजीकृत कितने-कितने प्रकरणों में कितने-कितने पीड़ित परिवारों, पीड़ितों, पीड़ितों के आश्रितों को किस मान से स्वीकृत कितनी-कितनी राशि वितरित की गई? कितनी राशि वितरित नहीं की गई एवं क्यों? **(ग)** प्रश्नांश (क) में दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, दुष्कर्म व हत्या से सम्बंधित पंजीकृत कितने प्रकरणों में कितनी-कितनी महिलाओं, लड़कियों व नाबालिग कन्याओं को कितनी-कितनी राशि की सहायता दी गई? कितने प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई? कितने प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये?

**वन मंत्री :** [ *(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' पर उल्लेखित। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार।**

## अनुदान प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन का भुगतान

### [ अनुसूचित जाति कल्याण ]

**15. परि.अता.प्र.सं. 55 (क्र. 2908) श्री फूलसिंह बरैया :** क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक अनुदान प्राप्त संस्थाओं में कितने कर्मचारी कार्यरत है? कर्मचारियों की कब से कब तक वेतन लंबित हैं वर्तमान में कितना बजट उपलब्ध हैं? कार्यरत कर्मचारियों को कब तक वेतन भुगतान किया जायेगा? **(ख)** क्या मार्च में 9.5 करोड़ रूपये का बजट समर्पित किया गया यदि हाँ, तो क्यों? क्या कर्मचारियों का वेतन लम्बित था? यदि हाँ, तो वेतन भुगतान क्यों नहीं किया गया? क्या दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के प्रति कार्यवाही की जावेगी?

**वन मंत्री :** [ *(क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। जिलों द्वारा समुचित प्रस्ताव न प्राप्त होने से शेष राशि का व्यय नहीं हो सका। जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। संस्थाओं से प्राप्त प्रस्ताव पर निरंतर कार्यवाही की गई है, शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

## खाद्यान्न की जांच

### [ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ]

**16. अता.प्र.सं.111 (क्र. 3091) श्री प्रताप ग्रेवाल :** क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2019-20 से 2023-24 तथा मई 2024 तक केन्द्र और राज्य शासन के दल/संयुक्त दल द्वारा गेहूँ/चावल एवं अन्य खाद्यान्न की कब-कब जांच की गई? उसकी जांच रिपोर्ट की प्रति देवें। **(ख)** वर्ष 2019-20 से मई 2024 तक सार्वजनिक वितरण की कितनी दुकानों पर खराब सड़ा हुआ, अधिक मिट्टी वाला, कीड़े लगा हुआ आदि खाद्यान्न गेहूं/चावल की कितनी शिकायतें दुकान संचालक तथा हितग्राही द्वारा की गई तथा कितनी शिकायतों की जांच हुई कितनी सही पाई गयी जिलेवार/वर्षवार जानकारी दें। **(ग)** प्रश्नांश (क) की जांच में कितनी मात्रा में गेहूं/चावल किस-किस शहर में जानवरो के खाने लायक पाया गया उस खराब खाद्यान्न का बाहर की कुल मात्रा कितनी थी और उसमें से कितनी मात्रा हितग्राही को वितरित कर दी गई? विस्तृत जानकारी देवें। **(घ)** राज्य के गोदामों में वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक खराब खाद्यान्न से कितनी राशि की हानि हुई? क्या यह सही है कि जनवरी 2020 से नवम्बर 2022 तक खराब चावल से 387 करोड़ रूपये की हानि हुई तथा केन्द्र ने 805 करोड़ की सब्सिडी रोक दी? **(ड.)** वर्ष 2019-20 से मई 2024 तक खराब खाद्यान्न गेहूं/चावल का सप्लाई वितरण कर कितने सप्लायर, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी पर प्रकरण दर्ज कराया गया, उनमें से कितने प्रकरण में न्यायालय से फैसला शासन के पक्ष या विपक्ष में हुए प्रकरण क्र. सहित जानकारी दें।

**खाद्य मंत्री :** [ *(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ] **(क)** वर्ष 2019-20 से 2023-24 तथा मई 2024 तक केन्द्र राज्य शासन के दल एवं संयुक्त दल द्वारा मध्यप्रदेश के जिलों में गेहूं चावल एवं अन्य खादयान्न की, की गई जांच के प्रतिवेदन की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है।** **(ख)** **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।** **(ग)** भारत सरकार के निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 30/07/2020 को बालाघाट एवं मंडला जिले के विभिन्न गोदामों में संग्रहित चावल की जांच की गई। जिसमें वर्ष 2019-20 में बालाघाट जिले अन्तर्गत कुल 3193.13 मैट्रिक टन एवं मंडला जिले में 1657.90 मैट्रिक टन चावल जानवरों के खाने लायक खराब खाद्यान्न पाया गया है किन्तु अमानक चावल को हितग्राहियों को वितरित नहीं किया गया, हितग्राहियों को मानक स्तर का ही चावल वितरित किया गया। **(घ)** राज्य के गोदामों में वर्ष 2019-20 से 2023-2024 तक खराब खाद्यान्न की DCC व नीलामी पूर्व अनुमानित राशि रूपए 273.34 करोड़ है। नीलामी उपरान्त वास्तविक स्थिति ज्ञात होगी। जी नहीं, यह सही नहीं है कि वर्ष 2020-21 में खराब चावल से हानि हुई, भारत शासन द्वारा चावल की 387 करोड़ की राशि रोकी गई है। भारत सरकार द्वारा रोकी गई राशि रूपये 807.48 करोड़ के विरुद्ध राशि रूपये 289.56 करोड़ भारत शासन द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, शेष राशि रूपये 517.92 करोड़ का अनुदान देयक भारत सरकार को दिनांक 15-03-2024 को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है।** **(ड.)** खरीफ उपार्जन वर्ष 2019-20 में उपार्जित धान से निर्मित सी.एम.आर. की गुणवत्ता खराब पाये जाने के कारण कार्पोरेशन के जिला कार्यालय बालाघाट एवं मंडला में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए बालाघाट जिले के 01 अधिकारी एवं 03 कर्मचारी तथा मंडला जिले के 01 अधिकारी एवं 01 कर्मचारी की सेवायें समाप्त की गई, आदेश की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार है।** वर्तमान में उक्त 06 प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रचलन में है, किन्तु उक्त प्रकरणों में फैसला/निर्णय लंबित है। उक्त प्रकरण में बालाघाट एवं मंडला जिले में सी.एम.आर. प्राप्ति कार्य में अनियमितता की जांच मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र दिनांक 04/09/2020 जारी कर महानिदेशक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल को लेख किया गया है। कार्यवाही अपराध शाखा द्वारा की जा रही है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ई" अनुसार है।**

## दिनांक 16 जुलाई, 2024

### रॉयल्टी चुकता प्रमाण-पत्र

### [ खनिज साधन ]

**17. परि.अता.प्र.सं. 15 (क्र. 1700) कुँवर अभिजीत शाह** : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक एफ 14-10/2018/12- 1 दिनांक 15/3/2018 को 'रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र बावत् दिए आदेश का पालन नहीं किए जाने पर भी खनिज विभाग ने म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग कार्पो., मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम एवं

मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड के संबंधित भुगतानकर्ताओं के विरूद्ध प्रश्नांकित दिनांक तक भी कोई कार्यवाही नहीं की है। **(ख)** मंत्रालय ने दिनांक 15/3/2018 को रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र बावत् क्या निर्देश दिए, चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की किसकी जिम्मेदारी है, चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना बिलों को भुगतान करने से शासन को हुई रॉयल्टी की हानि के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है। **(ग)** रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना तथा उपयोग किए खनिज की बाजार मूल्य से राशि की वसूली किए बिना भुगतान करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध खनिज विभाग क्या-क्या कार्यवाही कर रहा है कब तक करेगा कब तक रॉयल्टी एवं बाजार मूल्य की वसूली की जावेगी समय सीमा सहित बतावें।

**मुख्यमंत्री : [ *(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ] (क)** प्रश्नांश अनुसार मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 14-10/2018/12/1 भोपाल, दिनांक 15/03/2018 अनुसार संबंधित विभागों से प्राप्त जानकारी अनुसार, निर्देश का पालन किया जा रहा है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ पर दर्शित** है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 14-10-2018/12/1 भोपाल, दिनांक 15/03/2018 से जारी निर्देश की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब पर दर्शित** है। रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी निर्माण विभाग के ठेकेदार की है। रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र बिना बिलों के भुगतान करने से शासन को हुई हानि की स्थिति प्रकाश में नहीं आयी है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## सीमेन्ट औद्योगिक इकाइयों द्वार श्रमिकों की नियुक्ति

## [ औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन ]

**18. परि.अता.प्र.सं. 26 (क्र. 2174) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी :** क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना/मैहर जिलान्तर्गत कार्यरत सीमेन्ट औद्योगिक इकाइयों में श्रमिक प्रदायकर्ता द्वारा श्रमिकों की नियुक्ति की जाती है। यदि हाँ, तो उद्योगवार सभी श्रमिक प्रदायकर्ता एजेंसियों की जानकारी, उनके द्वारा रखे गये सभी श्रेणी के श्रमिकों की संख्यात्मक जानकारी दी जावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में आये श्रमिकों को उनकी श्रेणीवार अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल का पारिश्रमिक भुगतान एवं शासन के नियमानुसार कटौती व अन्य सुविधाये संबंधित श्रमिकों को क्या दी जाती है? यदि हाँ, तो विगत 05 वर्षों की संपूर्ण जानकारी श्रमिकों की संख्या, बांटी गयी सुविधाओं के विवरण सहित जानकारी उपलब्ध करायी जावें।

**मुख्यमंत्री : [** *(क) जी हाँ। उद्योगवार श्रमिक प्रदायकर्ता एजेंसियों की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।*** *(ख) श्रम विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार, जी हाँ। सतना/मैहर जिला अंतर्गत कार्यरत 05 सीमेंट औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त जानकारी अनुसार श्रमिक प्रदायकर्ता एजेंसियों (ठेकेदार) के माध्यम से विगत 05 वर्षों से नियोजित अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों को श्रम कानूनों के अंतर्गत पारिश्रमिक भुगतान एवं शासन के नियमानुसार कटौती एवं अन्य सुविधाएं जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा इत्यादि सुविधाएं श्रमिकों को प्रदाय की जाती है। उपरोक्त*

*औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों को पिछले पांच वर्षों में किए गए पारिश्रमिक भुगतान की श्रमिकों के नामवार, पिता के नामवार, मासिक भुगतानवार, सम्पूर्ण पता सहित* ***जानकारी संकलित की जा रही है।***] **(ख)** श्रम विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार, जी हाँ। सतना/मैहर जिला अंतर्गत कार्यरत 05 सीमेंट औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त जानकारी अनुसार श्रमिक प्रदायकर्ता एजेंसियों (ठेकेदार) के माध्यम से विगत 05 वर्षों से नियोजित अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों को श्रम कानूनों के अंतर्गत पारिश्रमिक भुगतान एवं शासन के नियमानुसार कटौती एवं अन्य सुविधाएं जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा इत्यादि सुविधाएं श्रमिकों को प्रदाय की जाती है। उपरोक्त औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों को पिछले पांच वर्षों में किए गए पारिश्रमिक भुगतान की श्रमिकों के नामवार, पिता के नामवार, मासिक भुगतानवार के विवरण की श्रम विभाग से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है।**

## <u>दिनांक 18 जुलाई, 2024</u>

### जबलपुर जिले में सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन

**[ राजस्व ]**

**19. परि.अता.प्र.सं. 9 (क्र. 677) श्री सुशील कुमार तिवारी :** क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (सीमांकन) नियम 2018 के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक सीमांकन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं? तहसीलवार बतावे? **(ख)** कितने सीमांकन आदेश जारी किये गये? तहसीलवार बतावें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत कितने सीमांकन किये गये? तहसीलवार बतावें। **(घ)** कितने सीमांकन लंबित हैं? तहसीलवार, हितग्राहीवार कारण सहित जानकारी उपलब्ध करायें।

**राजस्व मंत्री :** [ ***(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।***] **(क)** जिला जबलपुर अंतर्गत वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक तहसीलवार प्राप्त सीमांकन आवेदनों की जानकारी निम्नानुसार है:-

| क्र. | तहसील का नाम | दर्ज आवेदनों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | रांझी | 1124 |
| 2 | जबलपुर | 5705 |
| 3 | कुण्डम | 1662 |
| 4 | मझौली | 2877 |
| 5 | आधारताल | 433 |
| 6 | शहपुरा | 2895 |
| 7 | सिहोरा | 2138 |
| 8 | पनागर | 3232 |
| 9 | पाटन | 979 |
| 10 | गोरखपुर | 1257 |
| **योग** | | **22302** |

**(ख)** जिला जबलपुर अंतर्गत वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक तहसीलवार सीमांकन आदेश जारी किये जाने की जानकारी निम्नानुसार है :-

| **क्र.** | **तहसील का नाम** | **दर्ज आवेदनों की संख्या** |
|---|---|---|
| 1 | रांझी | 1124 |
| 2 | जबलपुर | 5705 |
| 3 | कुण्डम | 1662 |
| 4 | मझौली | 2877 |
| 5 | आधारताल | 433 |
| 6 | शहपुरा | 2895 |
| 7 | सिहोरा | 2138 |
| 8 | पनागर | 3232 |
| 9 | पाटन | 979 |
| 10 | गोरखपुर | 1257 |
| **योग** | | **22302** |

**(ग)** जिला जबलपुर अंतर्गत वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक तहसीलवार किये गये सीमांकन (निराकृत) की जानकारी निम्नानुसार है :-

| **क्र.** | **तहसील का नाम** | **किये गये सीमांकनों की संख्या** |
|---|---|---|
| 1 | रांझी | 1120 |
| 2 | जबलपुर | 5705 |
| 3 | कुण्डम | 1662 |
| 4 | मझौली | 2877 |
| 5 | आधारताल | 430 |
| 6 | शहपुरा | 2895 |
| 7 | सिहोरा | 2138 |
| 8 | पनागर | 3225 |
| 9 | पाटन | 973 |
| 10 | गोरखपुर | 1257 |
| **योग** | | **22282** |

**(घ)** जिला जबलपुर अंतर्गत वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक तहसीलवार लंबित सीमांकन की जानकारी निम्नानुसार है :-

| क्र. | तहसील का नाम | लंबित सीमांकनों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | पनागर | 07 |
| 2 | पाटन | 06 |
| 3 | आधारताल | 03 |
| 4 | रांझी | 04 |
| | **योग** | **20** |

तहसीलवार, हितग्राहीवार लंबित सीमांकनों की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

## विभाग में भृत्य कर्मियों की नियुक्ति

## [ स्कूल शिक्षा ]

**20. अता.प्र.सं.10 (क्र. 1441) श्री रजनीश हरवंश सिंह** : क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला शिक्षा (ट्राईबल) विभाग के द्वारा जो मनमाने तरीके से भृत्य कर्मियों की नियुक्ति की गई क्या यह नियुक्ति विभाग द्वारा की गई? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विभाग में जो कर्मियों की नियुक्ति की गई, वह किन-किन विभागों के व कितने कर्मियों की नियुक्ति की गई? **(ग)** क्या विभाग द्वारा कोई सूचना दी गई व कब दी गई सूचना की छायाप्रति देवें और नहीं दी गई तो क्यों?

**परिवहन मंत्री : [** ***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला शिक्षा (ट्राईबल) विभाग के द्वारा मनमाने तरीके से भृत्य कर्मियों की नियुक्ति नहीं की गई है। **(ख)** एवं **(ग)** उत्तारंश (क) के संदर्भ में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

## शासकीय विद्यालयों में खेल मैदान

## [ स्कूल शिक्षा ]

**21. अता.प्र.सं.18 (क्र. 2049) श्री मोंटू सोलंकी** : क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा सेंधवा अंतर्गत कितने शासकीय विद्यालयों में खेल मैदान उपलब्ध हैं? प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल व हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल स्तर पर जानकारी उपलब्ध करायें? उनमें से कितने खेल मैदान अविकसित है और कितने खेल मैदान खेल गतिविधियों के लिए उपयुक्त हैं? अविकसित खेल मैदानों के विकास न होने के कारण सहित जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या खेल मैदानों के उन्नयन और विकास के लिए शासन की कोई योजना है? यदि हाँ, तो विद्यालयवार कितने बजट का प्रावधान किया गया है? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितना बजट प्रदान किया गया? विद्यालयवार, मदवार, राशिवार तथा

वर्षवार व्यय की जानकारी दें? **(घ)** क्या उक्त मैदानों पर शासकीय-अशासकीय अतिक्रमण हो रहा है? यदि हाँ, तो सीमांकन कराकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कब तक की जावेगी?

**परिवहन मंत्री :** [ ***(क)*** *विधान सभा सेंधवा अंतर्गत 441 प्राथमिक शाला, 120 माध्यमिक शाला, 03 हाई स्कूल एवं 03 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में खेल मैदान उपलब्ध है। हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार*** *है। हाई स्कूल/ हायर सेकेण्डरी स्कूलों के खेल मैदान खेल गतिविधियों के लिये उपयुक्त है। प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान का निर्माण एवं विकसितीकरण हेतु म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद के पत्र क्रमांक 5129/MGNREGS-MP/NR-3/2020 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाता है।* ***(ख)*** *एवं* ***(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ)*** *जी नहीं, खेल मैदान में अतिक्रमण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है।* ] **(ख)** जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** प्रश्नावधि में खेल मैदानों के उन्नयन और विकास के लिये जिलों को बजट प्राप्त नहीं हुआ है।

## लंबित प्रकरणों की जानकारी

## [ राजस्व ]

**22. अता.प्र.सं.22 (क्र. 2321) श्री अभय कुमार मिश्रा :** क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा जिले के विभिन्न राजस्व न्यायालयों (कलेक्टर, अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार) में कितने प्रकरण वर्ष 2021 से प्रश्नांश दिनांक तक के दौरान लंबित है? इन प्रकरणों की दायरा पंजी की प्रति देते हुये बतावें, प्रकरणों की वर्तमान में स्थिति क्या है? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार लंबित न्यायालयीन प्रकरणों में से कितने प्रकरण कम्प्यूटर के कारण हुई लिपिकीय त्रुटि के सुधार से संबंधित लंबित है एवं कितने प्रकरण वारिसाना से संबंधित कितने प्रकरण लंबित है एवं कितने निराकृत किये गये का विवरण प्रश्नांश (क) की अवधि अनुसार देवें? **(ग)** प्रश्नांश (क) के तारतम्य में प्रश्नांश (ख) अनुसार वारिसाना हेतु पारित किये गये निर्णयों के पूर्ण संबंधित हल्का पटवारियों द्वारा वैधानिक रूप से वारिसों को सत्यापन किन माध्यमों से किया गया की प्रति देते हुये विवरण देवें। अगर वारिसाना संबंधी पारित निर्णय में संबंधित की लड़कियों के नाम पर वारिसाना नामान्तरण न कर उनको हक से वंचित किया गया तो इसके लिये किन-किन को जिम्मेदार मानकर कार्यवाही बाबत् निर्देश देंगे? बतावें। अगर नहीं तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (क) अनुसार लंबित प्रकरणों के निराकरण बाबत् राज्य शासन एवं जिला कलेक्टर द्वारा कौन-कौन से आदेश जारी किये गये कि प्रति देते हुये बतावें अगर निर्देशों का पालन कर संबंधितों द्वारा समय-सीमा के अंदर प्रकरणों का निराकरण नहीं किया गया तो इन जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे बतावें एवं प्रश्नांश (ग) अनुसार वारिसाना नामांतरण में विधिक वारिस के रूप में बालिकाओं का नाम अंकित न कर व्यक्तिगत हितपूर्ति कर उनको हक से वंचित किया गया इसकी समिति बनाकर जांच बाबत् क्या निर्देश देंगे? बतावें। अगर नहीं तो क्यों?

**राजस्व मंत्री :** [ ***(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।*** ] **(क)** रीवा जिले के राजस्व न्यायालयों में प्रकरण वर्ष 2021 से प्रश्नांश दिनाक तक के दौरान लंबित प्रकरण निम्नानुसार है:-

| न्यायालय का नाम | लंबित प्रकरण | वर्तमान स्थिति में लंबित प्रकरण |
|---|---|---|
| कलेक्टर | 3252 | 236 |
| अपर कलेक्टर | 468 | 26 |
| अनुविभागीय अधिकारी हुजूर | 2380 | 101 |
| अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ | 797 | 41 |
| अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान | 460 | 70 |
| अनुविभागीय अधिकारी मनगवां | 678 | 54 |
| अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर | 1041 | 57 |
| अनुविभागीय अधिकारी जवा | 409 | 68 |
| अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर | 332 | 18 |
| अनुविभागीय अधिकारी सेमरिया | 202 | 23 |
| तहसीलदार तहसील हुजूर | 5343 | 96 |
| तहसीलदार तहसील गुढ़ | 826 | 05 |
| तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान | 1430 | 24 |
| तहसीलदार तहसील मनगवां | 1437 | 05 |
| तहसीलदार तहसील त्योंथर | 1624 | 23 |
| तहसीलदार तहसील जवा | 1096 | 07 |
| तहसीलदार तहसील सिरमौर | 2343 | 73 |
| तहसीलदार तहसील सेमरिया | 1459 | 6 |
| **योग** | **25577** | **933** |

**(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार लंबित न्यायालयीन प्रकरणों में से 16 प्रकरण प्रकरण कम्प्यूटर के कारण हुई लिपिकीय त्रुटि के सुधार से संबंधित है एवं वारिसाना से संबंधित लंबित प्रकरणों की संख्या निरंक है। कुल 1278 में से 1262 प्रकरण निराकृत किये गये है। **(ग)** आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र एवं ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत खानदानी सजरा के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा मौके से जाकर सजरा का सत्यापन किया जाता है। सजरा में यदि लड़कियों का नाम अंकित हैं तो नियमानुसार नामान्तरण किया जाता है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। **(घ)** राजस्व विभाग एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग एवं पाक्षिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से समीक्षा की जाकर समय सीमा में प्रकरणों के निराकरण के निर्देश प्रदान किये जाते हैं। इसी तरह जिला स्तर पर भी राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की जाकर कलेक्टरों के द्वारा निर्देश प्रसारित किये जाते हैं।

**कायाकल्प अभियान अंतर्गत बजट आवंटन**

**[ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ]**

**23. परि.अता.प्र.सं. 42 (क्र. 2546) श्री महेश परमार :** क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन जिले में शासन ने कायाकल्प अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग को कुल कितना बजट आवंटित किया गया? आवंटित बजट की कॉपी दीजिए। **(ख)** कायाकल्प अभियान के क्रियान्वयन के लिए शासन द्वारा विभाग के लिए कौन-कौन से नीति नियम निर्देश जारी किए गए? जारी निर्देश की प्रति देवें। **(ग)** कायाकल्प अभियान में उज्जैन जिले के कितने सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का चयन किया गया, उनकी सूची देवें। **(घ)** कायाकल्प अभियान में कौन-कौन से कार्य किए गए? कार्यों की सूची देते हुए बताएं, कार्यों की स्वीकृति किन-किन सक्षम अधिकारियों एवं सक्षम समितियां से अनुमोदन प्राप्त किया गया? संपूर्ण रिकॉर्ड देवें। **(ड.)** उक्त अभियान के अंतर्गत चयनित सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रवार मेजरमेंट बुक की कॉपी, इंजीनियरों की रिपोर्ट देते हुए बताओ कितनी राशि के कौन-कौन से निर्माण कार्य के किए गए हैं? **(च)** उज्जैन जिले में प्रत्येक केंद्रवार कितनी राशि खर्च की गई है? प्रत्येक केंद्र के बिल वाउचर एवं कैश बुक की प्रति उपलब्ध करावे। **(छ)** कायाकल्प अभियान कब से शुरू हुआ? कितनी योजनाएं एवं कार्य कराए गए? उनके अभिलेख देवें। **(ज)** कायाकल्प अभियान में सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कब कब कितनी राशि खर्च हेतु दी गई? उनकी ऑडिट रिपोर्ट दे। **(झ)** क्या राज्यस्तर से निरीक्षण हुए है? यदि हाँ, तो निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध करावें।

**उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा :** [ *(क) से (झ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ] **(क)** कायाकल्प अभियान के अंतर्गत उज्जैन जिले को कोई बजट आवंटन नहीं किया गया है। **(ख)** कायाकल्प अभियान के क्रियान्वयन संबंधित दिशा-निर्देश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। (ग)** कायाकल्प अभियान में उज्जैन जिले के चयनित सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार। (घ)** कायाकल्प अभियान के अन्तर्गत संस्था स्तर पर पेस्ट कन्ट्रोल, वाटर टेस्टिंग, हर्बल गार्डन का विकास, जैव अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बिन्स, थ्री बकेट सिस्टम के कार्य करवाये गये है। उक्त सभी कार्य संस्था स्तर से सक्षम अधिकारी से स्वीकृति से कराये गये। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार। (ड.)** कायाकल्प अभियान अतंर्गत कोई निर्माण कार्य नहीं करवाये गये। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार। (छ)** कायाकल्प अभियान मई 2015 से शुरू हुआ इसके अंतर्गत कोई निर्माण कार्य नहीं करवाये गये। शेष जानकारी निरंक है। **(ज)** राज्य स्तर से कायाकल्प अभियान हेतु सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे खर्च हेतु कोई राशि नहीं दी गयी है। **(झ)** जी। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" एवं "ई" अनुसार।**

**आदिवासियों की भूमि के प्रकरण**

**[ राजस्व ]**

**24. अता.प्र.सं.35 (क्र. 2850) श्री फूलसिंह बरैया :** क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिला जबलपुर में वर्ष 2006 से 2011 तक पदस्थ रहे अपर कलेक्टर द्वारा आदिवासियों

की भूमियों को गैर आदिवासियों की विक्रय की अनुमति देने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या राजस्व न्यायालयों द्वारा अधिकारिता विहीन या गलत आदेश जारी करने वाले अधिकारियों पर अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकता है? **(ग)** क्या मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के नियम के तहत आदिवासी की भूमि गैर आदिवासियों एवं शासन से प्राप्त भू-स्वामी को विक्रय की अनुमति कलेक्टर से कनिष्ठ श्रेणी का ही दे सकता है? **(घ)** यदि हाँ, तो क्या गजट नोटिफिकेशन या प्राधिकार पत्र में पदेन न्यायालयीन पावर कलेक्टर लेख है तो क्या कलेक्टर अपने निम्न अधिकारी अपर कलेक्टर न्यायालय पावर को डेली गेट्स कर सकता है? **(ड.)** यदि हाँ, तो नियम की प्रति उपलब्ध कराएं। **(च)** संभाग सागर में अपर कलेक्टरों द्वारा वर्ष 2000 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब आदिवासियों की एवं शासन से प्राप्त भूमियों की अनुमति दी गई है? आदेशों की प्रति उपलब्ध कराई जाए।

**राजस्व मंत्री : [*(क) से (च) जानकारी संकलित की जा रही है।*] (क)** जी हाँ। **(ख)** शासन द्वारा निहित नियम एवं विधि अनुसार कार्यवाही प्रावधानित है। **(ग)** मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 यथासंशोधित 2018 की धारा 165 (7-ख) में प्रावधानित है कि "उपधारा (1) में अनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी. कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो कोई भूमि राज्य सरकार से धारण करता है या कोई ऐसा व्यक्ति जो धारा 158 की उपधारा (3) के अधीन भूमि स्वामी अधिकार में भूमि धारण करता है अथवा जिसे कोई भूमि सरकारी पट्टेदार के रूप में दखल में रखने का अधिकार राज्य सरकार या कलेक्टर द्वारा दिया जाता है और जो तत्पश्चात ऐसी भूमि का भूमि स्वामी बन जाता है, ऐसी भूमि का अंतरण कलेक्टर की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की अनुज्ञा, जो लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जायेगी, के बिना नहीं करेगा।" **(घ)** उत्तरांश 'ग' में उल्लेखित प्रावधान अनुसार। म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक एफ-2-14/2019/ सात-7/546 दिनांक 1.12.2022 से विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये कार्यवाही के निर्देश समस्त कलेक्टरों को जारी किये गये है। **(ड.)** मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 यथासंशोधित 2018 की धारा 17 (1) (2) एवं 17 (3) की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (च)** सागर संभाग के 04 जिलों में 732 प्रकरणों में अपर कलेक्टरों के द्वारा आदिवासियों की भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है। जिलेवार विवरण - जिला दमोह में 56, जिला छतरपुर में 64, जिला टीकमगढ में 01, जिला सागर 611 जिला पन्ना, निवाड़ी के द्वारा किसी भी प्रकरण में अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

## शिव मंदिर के नाम पर दर्ज आबादी

**[ राजस्व ]**

**25. परि.अता.प्र.सं. 72 (क्र. 3434) श्री कुँवर सिंह टेकाम :** क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सीधी जिले के तहसील मझौली अन्तर्गत ग्राम डांगी के खसरा क्रमांक 117/1, रकबा 8.36 एकड़ (3.384 हेक्टे.) वर्ष 1995-1996 से 2006 तक शिव मंदिर एवं आबादी दर्ज थी? पूर्ण विवरण सहित जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वर्तमान में कितनी रकबा शिव मंदिर एवं आबादी के नाम दर्ज है? जानकारी खसरा एवं रकबा के साथ उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कूटरचित एवं फर्जी तरीके से जमीन दूसरे व्यक्तियों के नाम दर्ज कैसे

हो गयी? पूर्ण विवतरण सहित जानकारी उपलब्ध करावें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में फर्जी एवं कूटरचित तरीके से दूसरे व्यक्तियों के नाम दर्ज करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों एवं व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी क्या? यदि हाँ, तो तब तक कार्यवाही की जावेगी?

**राजस्व मंत्री : [ *(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।* ] (क)** ग्राम डांगी की आराजी क्रमांक 117/1 रकबा 8.36 एकड़ (3.384 हे.) वर्ष 1995-96 में म.प्र. शासन (मंदिर आबादी) दर्ज अभिलेख था। वर्ष 1995-96 में ही खसरा नम्बर 117/1 के अंश रकबा 0.405 हे. सुखलाल तनय राम ब्रा. के नाम न्यायालय नायब तहसील दार मझौली के प्रकरण क्रमांक 72/अ-19 (2) /1995-96 आदेश दिनांक 16.04.1996 के द्वारा व्यवस्थापन स्वीकृत दर्ज अभिलेख है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1995 के अवलोकन से पाया कि वर्ष 1995-96 में बन्दोबस्त की कार्यवाही हुई जिसमें पुराना खसरा नम्बर 117 से नया खसरा नम्बर 365 रकबा 2.500 हे, 537 रकबा 0.870 हे., 543 रकबा 0.570 हे., 544 रकबा 0.240 हे., 539 रकबा 0.230 हे., 541 रकबा 0.680 हे. कुल किता 0.6 रकबा 5.090 हे. भूमि निजी पट्टे में एवं खसरा नं. 337 रकबा 0.430 हे. 540 रकबा 0.350 हे. 542 रकबा 0.690 हे. कुल किता 0.3 रकबा 1.470 हे. म.प्र. शासन दर्ज है। बन्दोबस्त के पूर्व पुराना खसरा नं. 115 का कुल रकबा 7.427 हे. था जिसमें वर्ष 1995-96 के खसरा के अनुसार 2.979 हे. म.प्र शासन एवं 4.448 हे. निजी पट्टे में भूमि दर्ज अभिलेख थीं। बन्दोबस्त के बाद खसरा नं. 117 से बने नये बने नम्बरान उक्तानुसार 5.090 हे. निजी पट्टे की भूमि एवं 1.470 हे. म.प्र. शासन के नाम दर्ज है। इस प्रकार पुराना खसरा नं. 117 से बने नये नं. का वर्तमान में कुल रकबा 6.560 हे. पुराने रकबे की तुलना में 0.867 हे. रकबे में कमी है किन्तु बन्दोबस्त के बाद कुछ नये खसरा नं. 546, 536, 538, 545 कुल 4 किता भूमियां पुराना खसरा नं. 117 के साथ-साथ अन्य नम्बरों को मिलाकर बना हुआ है। **(ख)** वर्तमान वर्ष 2024-25 में ग्राम डांगी आ.ख.नं. 540 रकबा 0.3500 हे. म.प्र. शासन की भूमि पर देवस्थान बगीचा दर्ज अभिलेख है। **(ग)** उत्तरांश 'क' के संबंध में कूटरचित एवं फर्जी तरीके से जमीन दूसरे व्यक्तियों के नाम दर्ज होने प्रमाणित नहीं है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। **(घ)** उत्तरांश (ग) के अनुक्रम में शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

## गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में की गई अनियमितताएं

### [ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ]

**26. अता.प्र.सं.79 (क्र. 3624) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) :** क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रशासक, म.प्र नर्सिंग कौंसिल, में डॉक्टर की नियुक्ति जी.एम.सी., (गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल) भोपाल में सह-प्राध्यापक, मैक्सिलोफेशियल पृथक यूनिट पर वर्ष 2023 में विज्ञप्ति दिनांक 13/03/2023 द्वारा की थी, उससे अवगत करावें। **(ख)** क्या विज्ञप्ति की शर्त में उक्त पद विशेष हेतु एन.एम.सी. रेग्युलेशन 2022 के मापदंड अनुसार व विज्ञप्ति आवेदन और छानबीन प्रपत्र में सीनियर रेसिडेंट (एस.आर.) पद का शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रदान किया जाना अनिवार्य था? यदि हाँ, तो डॉ. के उक्त सीनियर रेसिडेंट (एस.आर.) पद के अनुभव प्रमाण पत्र/दस्तावेज की छायाप्रति प्रदान की जायेगी, यदि एस.आर. का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं, तो विज्ञप्ति की शर्त क्रमांक 12 का उल्लंघन कर अपूर्ण दस्तावेज/आवेदन

पर कैसे नियुक्ति प्रदान की गई की जानकारी दें। **(ग)** क्या एन.एम.सी., नई दिल्ली को अनिवार्य शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र/दस्तावेज के बिना दी गई नियुक्ति के प्रकरण से अवगत कराया गया, यदि हाँ, तो एन.एम.सी. से प्राप्त प्रतिवेदन की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें।

**उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [ *(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ]** **(क)** जी हाँ, डॉ. योगेश शर्मा, सह प्राध्यापक, डेंटिस्ट्री विभाग, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.08.2022 के अनुक्रम में प्रशासक, मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल में नियुक्त किया गया था के द्वारा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में सह प्राध्यापक, मैक्सिलोफेशियल के पद की नियमित नियुक्ति हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 13.03.2023 में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख)** जी नहीं। एन.एम.सी. मापदण्डानुसार 2022 की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।** शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## नामांतरण के लंबित प्रकरण

**[ राजस्व ]**

**27. परि.अता.प्र.सं. 100 (क्र. 3761) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन :** क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के सभी जिलों में रजिस्ट्री कराते ही नामांतरण की प्रक्रिया हो जाने की व्यवस्था तात्कालीन माननीय राजस्व मंत्री द्वारा लागू की गई थी। इस व्यवस्था को रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आर.सी.एम.एस.) नाम दिया गया। क्या शासन द्वारा यह व्यवस्था अभी भी लागू है? यदि हाँ, तो इसके तहत सागर जिले में कितने प्रकरण का निराकरण किया गया? यदि नहीं, तो शासन इस व्यवस्था को लागू करेगा? नहीं तो क्यों? **(ख)** क्या यह सही है कि राजस्व प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश होने के बाद अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा नामांतरण नहीं किया जाता है? यदि हाँ, तो सागर जिले में विगत 3 वर्षों में ऐसे कितने प्रकरण लंबित हैं? संख्यात्मक जानकारी देवें। **(ग)** सागर शहर अंतर्गत राजस्व विभाग के कितने प्रकरण लंबित हैं? प्रकरणों के लंबित होने का क्या कारण है? क्या शासन अनावश्यक लंबित प्रकरण को रखने वाले अधिकारी/कर्मचारियों पर कार्रवाई करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

**राजस्व मंत्री : [ *(क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।* ] (क)** जी हाँ। सागर जिले अंतर्गत राजस्व वर्ष 2024-2025 (दिनांक 1.4.2024 से 10.7.2024 तक) 11940 नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण आर.सी.एम.एस. से किया गया। म.प्र. शासन राजस्व विभाग एवं पंजीयन मुद्रांक विभाग द्वारा भूमि का पंजीयन होने पर नामांतरण करने की व्यवस्था राजस्व केस मैनेजमेंट सिस्टम पर प्रारंभ की जा चुकी है। **(ख)** सागर जिले में नामांतरण संबंधी तीन वर्ष से अधिक का कोई प्रकरण लंबित नहीं है। **(ग)** तहसील सागर नगर अंतर्गत वृत्त सागर नगर, मकरोनिया एवं वृत्त रतौना में माह जून 2024 तक कुल 1117 नामांतरण प्रकरण दर्ज है जिसमें से 238 प्रकरण लंबित है। प्रकरणों के लंबित रहने का मुख्य कारण पक्षकारों द्वारा दस्तावेज, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से वर्तमान में प्रकरण विचाराधीन हैं। प्रकरणों का प्रावधान अनुसार निराकरण किया जा रहा है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

## लंबित राजस्व प्रकरण का निराकरण

## [ राजस्व ]

**28. परि.अता.प्र.सं. 116 (क्र. 3903) श्री दिव्यराज सिंह :** क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या तहसील सिरमौर अंतर्गत आराजी क्रमांक 358/2 रकबा 0.233 हेक्टेयर भूमि के स्वामी एवं स्वामित्वधारी सन् 2016 के पूर्व तक राजस्व रिकॉर्ड में श्री भागवत प्रताप सिंह पिता स्व. भगवान सिंह का नाम अंकित था? यदि हाँ, तो सन् 2017 से खसरा आराजी के कॉलम नंबर 03 में शासकीय भूमि किसके द्वारा और किस आदेश के द्वारा अंकित कर दी गई? **(ख)** क्या फरियादी भूमि स्वामी श्री भागवत प्रताप सिंह के द्वारा सन् 2017 से लगातार आवेदन देकर राजस्व प्रकरण क्रमांक 40ए6ए/2016-17 के निराकरण के संबंध में आग्रह करने के बावजूद लगभग 07 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी आज दिनांक तक उक्त प्रकरण का निराकरण क्यों नहीं किया गया? **(ग)** प्रश्नांश (क) के प्रकाश में उक्त प्रकरण का निराकरण कब तक किया जा सकेगा? कृपया समय-सीमा बताने की कृपा करें। **(घ)** पटवारियों के द्वारा खसरा कम्प्यूटरीकरण करते समय हो रही त्रुटियों के कारण प्रदेश भर में कई हजार खसरा सुधार के प्रकरण लंबित हैं, क्या इस विषय पर शासन स्तर पर त्रुटिवश खसरे में गलत अंकन को सुधार करने के संबंध में समय-सीमा का निर्धारण कर आदेश जारी किये जावेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? कृपया समय-सीमा बताने का कष्ट करें।

**राजस्व मंत्री : [ *(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।* ] (क)** ग्राम हटवा तहसील सिरमौर जिला रीवा की आराजी क्रमांक 358/2 रकबा 0.233 हे. वर्ष 1999-2000 से 2003-2004 तक खसरे में पंजी क्रमांक 23 निर्णय दिनांक 20.09.1999 द्वारा बेंची नामान्तरण के आधार पर श्री भागवत प्रताप सिंह पिता स्व. भगवान सिंह के नाम दर्ज अभिलेख है। वर्ष 2005-2006 से खसरा आराजी के कॉलम नम्बर 3 में शासकीय दर्ज है। जिसका कोई आदेश सक्षम अधिकारी का खसरे में अंकित नहीं है। **(ख)** तहसीलदार, तहसील-सिरमौर जिला रीवा के न्यायालय का प्रकरण क्रमांक 40/ अ-6अ/2016-17 फरियादी के शिकायत पर मंगाया जाकर न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 31/स्व. निगरानी/2024-25 दर्ज किया गया जिसमें पेशी दिनांक 20.12.2024 न्यायालय में विचाराधीन है। **(ग)** प्रकरण स्वयमेव निगरानी में लिया गया है। पक्षकारों के सुनवाई व अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर निराकरण किया जायेगा। **(घ)** खसरा कम्प्यूटीकरण के समय होने वाली त्रुटियों को अभिलेख अद्यतन करते हुये सुधार का कार्य निरंतर किया जाता है। कार्य सतत प्रचलन में रहता है।

## हमीदिया अस्पताल में सेंट्रलाइज्ड ए.सी.

## [ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ]

**29. अता.प्र.सं.138 (क्र. 4039) श्री आतिफ आरिफ अकील :** क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग (डायलिसिस यूनिट) में सेंट्रलाइज्ड ए.सी. की व्यवस्था न होने के कारण डायलिसिस के लिए आए मरीजों को संक्रमण का खतरा होने की आशंका रहती है? **(ख)** यदि हाँ, तो वर्ष 2014 से हमीदिया अस्पताल की नवनिर्मित बिल्डिंग में पृथक-पृथक कौन-कौन से फ्लोर में किन-किन ब्लॉकों में

कितने-कितने सेंट्रलाइज्ड ए.सी. अस्पताल प्रबंधन द्वारा कब-कब स्थापित किए गए हैं तथा प्रश्न दिनांक तक किन-किन ब्लॉकों में कितने कितने सेंट्रलाइज्ड ए.सी. चालू हालत में है? ब्लॉकवार पृथक- पृथक जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं **(ख)** के परिप्रेक्ष्य में हमीदिया अस्पताल नवनिर्मित बिल्डिंग में कौन-कौन से ब्लॉक/फ्लोर में सेंट्रलाइज ए.सी. स्थापित करने के लिए शासन द्वारा हमीदिया अस्पताल प्रबंधन को कब-कब तथा कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं शासन द्वारा प्रदाय की गई राशि में से कितनी-कितनी राशि का कब-कब उपयोग कर कहां-कहां सेंट्रलाइज्ड ए.सी. स्थापित किए गए और प्रश्न दिनांक तक कितनी शेष राशि अस्पताल प्रबंधन के पास मौजूद है? वर्षवार राशि आवंटन एवं कार्य पूर्ति के लिए व्यय की गई राशि की ऑडिट रिपोर्ट सहित जानकारी उपलब्ध करावें।

**उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा :** [ *(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ] **(क)** जी नहीं, डायलिसिस एक्सक्लोज प्रोसीजर्स है। अत: मरीजों का डायलिसिस किये जाने के समय किसी प्रकार का संक्रमण का खतरा नहीं रहता है। **(ख)** एवं **(ग)** उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## जमीन अधिग्रहण मुआवजे के लंबित प्रकरण

### [ राजस्व ]

**30. अता.प्र.सं.158 (क्र. 4090) श्री नागेन्द्र सिंह** : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बाणसागर परियोजना हेतु जिन किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई है, क्या संबंधित किसानों को मुआवजा राशि वितरित कर दी गई है? यदि हाँ, तो संबंधित कृषकों के रकबा एवं दी गई मुआवजा राशि का विवरण ग्रामवार/पटवारी हल्कावार उपलब्ध करायें। लंबित प्रकरणों की जानकारी का विवरण कारण सहित ग्रामवार/पटवारी हल्कावार उपलब्ध करायें। **(ख)** प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत आने वाली तहसीलों में 01.01.2022 में प्रश्न दिनांक तक अनुविभागीय कार्यालय में खसरा सुधार एवं नक्शा सुधार के कुल कितने प्रकरण प्राप्त हुये? आवेदकों के नाम, पता सहित विवरण उपलब्ध करायें। कितने प्रकरण लंबित हैं? आवेदकों के नाम कारण सहित विवरण उपलब्ध करायें।

**राजस्व मंत्री :** [ *(क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।* ] **(क)** विधानसभा क्षेत्र नागौद के अन्तर्गत बाणसागर परियोजना के तहत कोई भी भू-अर्जन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और न ही भूमि अधिग्रहीत की गई है। अत: जानकारी निरंक है। **(ख)** अनुभाग उंचेहरा जिला सतना म.प्र. अन्तर्गत दिनांक 01.01.2022 से दिनांक 05.07.2024 तक कुल खसरा सुधार के 371 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें से 323 प्रकरण निराकृत किये गये एवं नक्शा सुधार के 3 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें से 02 निराकृत हुए कुल लंबित 28 खसरा सुधार एवं नक्शा सुधार के 01 प्रकरण लंबित हैं। आवेदकों के नाम एवं पता एवं कारण सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** अनुभाग नागौद जिला सतना म.प्र. अंतर्गत दिनांक 01/01/2022 से दिनांक 08/07/2024 तक कुल खसरा सुधार के 362 प्रकरण प्राप्त हुये, जिनमें से 298 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है तथा 64 प्रकरण विचाराधीन हैं। विचाराधीन प्रकरणों में जवाब हेतु, पक्षकारों की तलबी, साक्ष्य एवं तर्क हेतु नियत हैं।

सुनवाई पश्चात विचाराधीन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा, तथा नक्शा तरमीम के कोई भी प्रकरण प्राप्त नहीं हुये हैं, न ही लंबित हैं। खसरा सुधार के आवेदकों के नाम पता सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

**विद्यालय भवनों को क्षतिग्रस्त घोषित किया जाना**

**[ स्कूल शिक्षा ]**

**31. परि.अता.प्र.सं. 168 (क्र. 4132) श्री हेमंत कटारे** : क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन जवासा, तहसील अटेर, जिला भिण्ड को शासन द्वारा कब क्षतिग्रस्त घोषित किया? आदेश की प्रति उपलब्ध करायी जाये। **(ख)** क्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन जवासा एवं पंचायत भवन जवासा, तहसील अटेर, जिला भिण्ड को सक्षम प्राधिकारी से क्षतिग्रस्त घोषित कराने के उपरान्त तोड़ा गया है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रतियां सहित भवनों के डिस्मेंटल प्रमाण-पत्रों की प्रतियां उपलब्ध करायी जावे? भवनों को किस अधिकारी ने तोड़ने का आदेश दिया व किसके द्वारा भवनों को तुड़वाने हेतु लागत मूल्य निर्धारित किया गया? पूर्ण जानकारी दी जाये। **(ग)** उक्त भवनों को किस एजेन्सी अथवा फर्म द्वारा तोड़ा गया? एजेन्सी की पूर्ण जानकारी सहित तोड़े गये भवनों की सामग्री के विक्रय में पृथक-पृथक कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई तथा उक्त राशि को किस दिनांक को कहां जमा कराया गया? पूर्ण विवरण दिया जाये। **(घ)** क्या तत्कालीन प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जवासा श्री टीकम सिंह कुशवाह द्वारा बिना निविदा जारी किये स्कूल भवन को तुड़वाकर की गई अनियमितता के लिये विभाग उनके विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? **(ड.)** पंचायत भवन जवासा को बिना क्षतिग्रस्त घोषित कराये तुड़वाने के संबंध में कौन दोषी है तथा क्या उसके विरूद्ध जनपद/जिला पंचायत कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? पूर्ण जानकारी दी जाये। **(च)** क्या उक्त दोनों शासकीय भवनों के परिसर में लगे लगभग 50 हरे वृक्षों को भी काटा गया था? यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में वन विभाग से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की गई थी? अनुमति की छायाप्रति उपलब्ध करायें।

**परिवहन मंत्री** : [ *(क) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय उ.मा.वि. विद्यालय जवासा को लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2020 में अनुपयोगी घोषित किया गया है।* ***जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ] **(ख)** शासकीय उ.मा.वि. विद्यालय जवासा को सक्षम अधिकारी की अनुमति उपरांत एवं कार्यालय.ग्राम पंचायत जवासा, ज.पं.अटेर, जिला.भिण्ड (म.प्र) के प्रमाणीकरण क्रमांक/निर्माण/2024/क्यू.26/प्र.पे जवासा, दिनांक 07/11/2024 द्वारा इसी परिसर में स्थित पंचायत के जीर्ण-शीर्ण भवन के स्थान पर नया पंचायत भवन बन जाने के कारण सरपंच द्वारा अनुपयोगी घोषित करने पर तोड़ा गया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन जवासा तहसील अटेर, जिला भिण्ड को तोड़ने संबंधी आदेश की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार।** शाला विकास एवं प्रबंधन समिति द्वारा तोड़ने का लागत मूल्य निविदा प्राप्त कर निर्धारित किया गया। **(ग)** उक्त भवन को M/S राघव कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा तोड़ा गया। तोड़े गये भवन की सामग्री (मटेरियल) के विक्रय से राशि ₹3, 84, 000/-. (रूपये तीन लाख चौरासी हज़ार मात्र) की आय हुई जिसे एस.एम.डी.सी शास. उ.मा.वि. जवासा के खाता क्रमांक 31367650101

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गल्ला मण्डी भिण्ड में दिनांक 06.12.2021 को जमा करा दिया गया था। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नाधीन निविदा संबंधित कार्यवाही की गई है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता। **(ड.)** उत्तरांश (घ) के प्रकाश में कार्यवाही की गई है। प्रश्न का संबंध अन्य विभाग से है। **(च)** जी नहीं। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता।

**फसल क्षति का राजस्व अधिकारियों द्वारा गबन किया जाना**

**[ राजस्व ]**

**32. अता.प्र.सं.169 (क्र. 4154) श्री उमंग सिंघार :** क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की फसल क्षतिपूर्ति की राशि प्रभावित किसानों के खातों में राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दूसरों के खातों में राशि डालकर करोड़ों रूपये की हेराफेरी किये जाने का मामला का खुलासा पिछले वर्ष महालेखाकार की रिपोर्ट में हुआ था? **(ख)** यदि हाँ, तो किस-किस जिलों में यह हेराफेरी कुल कितनी राशि की, की गई? **(ग)** उक्त मामले में किन-किन राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक/पटवारी एवं लिपिकों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं गबन की कितनी-कितनी राशि रिकवर की गई? **(घ)** क्या उक्त घोटाले से संबंधित नस्तियां उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

**राजस्व मंत्री :** [ *(क) महालेखाकार द्वारा प्रेषित ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में प्रदेश के कुछ जिलों में राहत राशि वितरण में अनियमितता के मामलों का उल्लेख किया गया था। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।** (घ) महालेखाकार द्वारा उल्लेखित मामलों में जिलों द्वारा जांच प्रतिवेदन तैयार किये गये थे।* ] **(ख)** महालेखाकार ग्वालियर की रिपोर्ट अनुसार मध्यप्रदेश के कुल 13 जिलों में कुल 23.37 करोड़ की राशि की अनियमितता प्रतिवेदित की गई। ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेखित जिलेवार अनियमितता की राशि की जानकारी तालिका अनुसार है।

| क्र. | जिले का नाम | अनियमितता की राशि (करोड़ में) |
|---|---|---|
| 1 | सिवनी | 11.79 |
| 2 | श्योपुर | 2.84 |
| 3 | सीहोर | 1.17 |
| 4 | शिवपुरी | 3.00 |
| 5 | देवास | 1.27 |
| 6 | छतरपुर | 0.42 |
| 7 | खण्डवा | 0.12 |
| 8 | मंदसौर | 0.70 |
| 9 | रायसेन | 0.88 |
| 10 | दमोह | 0.31 |
| 11 | सतना | 0.13 |
| 12 | आगर-मालवा | 0.27 |
| 13 | विदिशा | 0.47 |
| **कुल योग** | | **23.37** |

**(ग)** अनियमितता में संलग्न राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक/पटवारी/लिपिक के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी एवं गबन की गई राशि के विरूद्ध वसूल की गई राशि की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

# दिसम्बर, 2024

## दिनांक 16 दिसम्बर, 2024

### वाहन किराया एवं मानदेय भुगतान

### [ पंचायत एवं ग्रामीण विकास ]

**1. अता.प्र.सं.69 (क्र. 390) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर** : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. शासन द्वारा जनपद पंचायत अध्यक्षों को वाहन सुविधा एवं डीजल सहित 35000/- रूपये मासिक के मान से वाहन किराया एवं अध्यक्ष का मानदेय भुगतान करने के नियम हैं? **(ख)** जिला निवाड़ी अंतर्गत जनपद पंचायत निवाड़ी एवं पृथ्वीपुर के अध्यक्ष को माह जनवरी 2020 से माह जुलाई 2022 तक की अवधि का कितना वाहन किराया एवं 2015 से 2022 तक की अवधि का कितना अध्यक्ष मानदेय भुगतान किया गया है? वाहन किराया एवं मानदेय भुगतान का माहवार विवरण दें। **(ग)** वाहन किराया एवं मानदेय भुगतान किस देयक से किया गया है, देयक क्रमांक, दिनांक एवं बैंक खाता इत्यादि का विवरण दें? जनपद पंचायत अध्यक्षवार अलग-अलग दें। **(घ)** वाहन किराया एवं मानदेय भुगतान अध्यक्ष को किए जाने के नियम हैं और वाहन किराया एवं मानदेय भुगतान नहीं किया गया है तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है, उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है या की जायेगी।

**पंचायत मंत्री** : [ *(क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।* ] **(घ)** प्रश्नांश (घ) के संबंध में अध्यक्ष जनपद पंचायत को मानदेय एवं वाहन भत्ते का भुगतान किये जाने का नियम है। जनपद पंचायत निवाड़ी अन्तर्गत माह नवम्बर 2019 से फरवरी 2020 एवं मार्च 2022 से मई 2022 तक का मानदेय भुगतान तथा अप्रैल 2020 से माह जनवरी 2022 तक का वाहन किराया का भुगतान की कार्यवाही नहीं की गयी है। उक्त अवधि की राशि व्यपगत हो गई हैं। उक्त अवधि में लेखापाल श्री रामसेवक प्रजापति तथा तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.जी. अहिरवार, श्री हर्ष कुमार खरे, स्व. श्री शैलेन्द्र प्रसार सिंह पदस्थ थे, जिनमें से लेखापाल श्री रामसेवक प्रजापति का स्वर्गवास 01 वर्ष पूर्व हो गया है एवं तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शैलेन्द्र प्रसार सिंह का स्वर्गवास लगभग 06 माह पूर्व हो गया हैं। तथ्यों की स्पष्टता हेतु तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.जी. अहिरवार एवं श्री हर्ष कुमार खरे को सूचना पत्र जारी कर जवाब चाहा गया है। जवाब प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक होने पर जिम्मेदारी निर्धारण की कार्यवाही की जा सकेगी।

### अनुदान एवं जनभागीदारी से कराये गये कार्य

### [ उच्च शिक्षा ]

**2. परि.अता.प्र.सं. 92 (क्र. 490) श्री राजन मण्डलोई** : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

बड़वानी में UGC एवं केन्द्र शासन/राज्य शासन से महाविद्यालय को प्राप्त अनुदान एवं जनभागीदारी में छात्रों से व्यावसायिक कोर्स हेतु जमा कराई गई राशि का वित्तीय वर्ष 2022 से 2024 तक निम्न जानकारी उपलब्ध कराई जाये। **(ख)** निर्माण कार्य की निविदा एवं तुलनात्मक पत्रक तथा प्रशासकीय स्वीकृति एवं भुगतान की जानकारी। **(ग)** विभिन्न प्रकार से क्रय की गई सामग्री व निविदा तथा तुलनात्मक पत्रक व कार्यादेश व भुगतान किये गये बिल वाउचर की प्रमाणित प्रति। **(घ)** जनभागीदारी से पदवार शैक्षणिक एवं कार्यालीय स्टॉप पर किये गये भुगतान की जानकारी। **(ड.)** संधारित केशबुक की प्रमाणित प्रति।

**उच्च शिक्षा मंत्री :** [ *(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है।**

## बी.आर.जी.एफ योजना में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का समायोजन

### [ पंचायत एवं ग्रामीण विकास ]

**3. परि.अता.प्र.सं. 98 (क्र. 510) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार :** क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 2015 तक बी.आर.जी.एफ. योजना संचालित रही। उक्त योजनान्तर्गत प्रदेश में कितने नियमित एवं संविदा अधिकारी, कर्मचारी कहां-कहां, किस-किस पद पर कार्यरत थे? पदवार जानकारी उपलब्ध करायें? **(ख)** क्या बी.आर.जी.एफ. के बंद होने के बाद कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियों को विभाग की अन्य योजनाओं में समायोजन किया गया है? उपयंत्री, लेखापाल एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर को कौन-कौन सी योजना, संस्था, निकाय एवं प्राधिकरण में संविदा पर नियुक्ति दी गई है? पृथक-पृथक पदवार नियुक्ति आदेश सहित जानकारी उपलब्ध करायें? **(ग)** बी.आर.जी.एफ. योजना समाप्त होने के बाद किस-किस पद के किन-किन कर्मचारियों का अन्य योजनाओं में समायोजन किया गया है व कौन-कौन कर्मचारी शेष रह गए है व उन्हें भी समायोजित किया जाएगा। यदि हाँ, तो कब किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

**पंचायत मंत्री :** [ *(क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।* ] **(क)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" एवं "द" अनुसार** है। जी नहीं। बी.आर.जी.एफ. योजना समयावधि तक सीमित थी, जो वर्ष 2015 में योजना समाप्त हो गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## जिम्मेदारों पर कार्यवाही

### [ पंचायत एवं ग्रामीण विकास ]

**4. अता.प्र.सं.108 (क्र. 526) श्री अभय मिश्रा :** क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या रीवा जिले के जनपद पंचायत त्योंथर व जवा की ग्राम पंचायतों को किन-किन मदों के कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब 2020 से प्रश्नांश दिनांक तक जारी की गई का विवरण देवें?

**(ख)** प्रश्नांश (क) के तारतम्य में जनपद पंचायत त्योंथर एवं जवा के ग्राम पंचायतों में सड़कों का निर्माण किन-किन मदों से कितनी-कितनी राशि से कराया गया का विवरण भुगतान की स्थिति सहित देवें इन निर्मित सड़कों की लंबाई, चौड़ाई के साथ गुणवत्ता का मानक क्या है मानक अनुसार क्या कार्य कराये गये है तो बतावें नहीं तो क्यों? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के कराये गये कार्यों के गुणवत्ता परीक्षण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पदनाम की जानकारी सूची सहित उपलब्ध करावें साथ ही ग्राम पंचायतों में हुये कार्यों के भुगतान संबंधी नस्ती/स्वीकृति संबंधी दस्तावेज/अभिलेख की प्रति भी देवें? **(घ)** प्रश्नांश (क) के जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों में जल कल्याणकारी योजनाओं के लाभान्वित हितग्राहियों की सूची योजनावार वर्ष 2020 से प्रश्नांश दिनांक तक की देते हुये बतावें कि योजनावार व्यय की स्थिति क्या है? **(ड.)** प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) में उल्लेखित आधारों अनुसार कार्यवाहियां संबंधितों द्वारा नहीं की गई बगैर निर्माण कार्य के राशियां आहरित की गई सत्यापनकर्ता अधिकारियों द्वारा गुणवत्ता का परीक्षण नहीं किया गया कार्य मौके पर नहीं हुये फर्जी तरीके से राशि आहरित की गई जल कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हुई पात्र लाभ से वंचित हुये इन सब अनियमितताओं की जांच कराकर कार्यवाही बाबत् क्या निर्देश देंगे? बतावें। अगर नहीं तो क्यों?

**पंचायत मंत्री :** [***(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार*** *है।* ***(ख)*** *एवं* ***(ग) जानकारी संकलित की जा रही है। (घ)*** *प्रश्नांश (क) के संबंध में जनपद पंचायत की ग्राम पंचायतों में जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभांवित हितग्राहियों के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम, म.प्र. प्रधानमंत्री आवास योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन में हितग्राहियों को लाभांवित किया जाता है। राज्य स्तर प्रथ्येक योजना का एक नोडल खाता संधारित हैं तथा वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक व्यय की जानकारी पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता, संबल योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान सामुहिक विवाह योजना महात्मा गांधी नरेगा के पोर्टल https//narega.nic.in प्रधानमंत्री आवास योजना http//pmayg.nic.in स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) http//swachhbharatmission.gov.in पब्लिक डोमेन से सभी के लिए उपलब्ध है।* ***(ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।*** ] **(ख)** जी हाँ मानक अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण कराये गये है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार** है। कार्यों के भुगतान संबंधी नस्ती/स्वीकृति संबंधी दस्तावेज/अभिलेख योजना महात्मा गांधी नरेगा के पोर्टल https//narega.nic.in प्रधानमंत्री आवास योजना http//pmayg.nic.in स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) http//swachhharatmission.gov.in पब्लिक डोमेन से सभी के लिए उपलब्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना http//pmayg.nic.in स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) http//swachhharatmission.gov.in पब्लिक डोमेन से सभी के लिए उपलब्ध है। **(ड.)** बिना निर्माण कार्य कराये राशि का आहरण नहीं किया गया है व सत्यापन अधिकारी द्वारा गुणवत्ता का परीक्षण किया गया है। अत: कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उपस्थिति नहीं होता है।

**जिला पंचायत व जनपद पंचायत बालाघाट में पदस्थ कर्मियों की जानकारी**

**[ पंचायत एवं ग्रामीण विकास ]**

**5. अता.प्र.सं.120 (क्र. 558) श्रीमती अनुभा मुंजारे** : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बालाघाट जिले के समस्त जनपद पंचायत व जिला पंचायत में अधिकारी व कर्मचारी (संविदा

सहित) कब से पदस्थ हैं पदवार, नामवार, शाखावार जानकारी दें? 03 वर्ष पूर्ण होने पर भी किन-किन अधिकारियों के स्थानान्तरण नहीं किये गये सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** बालाघाट जिले के जिला पंचायत में वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक केंद्र व राज्य शासन से कितना आवंटन प्राप्त हुआ, किस-किस कार्य हेतु व्यय किया गया हैं, योजनावार, मदवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** जिला पंचायत बालाघाट एवं समस्त जनपद में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों (संविदा सहित) कि मूल पदस्थापना किस-किस स्थान पर हैं आदेशों कि प्रति उपलब्ध करवाएं एवं किन-किन के विरुद्ध शिकायते प्राप्त हुई है एवं शिकायतों पर क्या कार्यवाही हुई है प्रति उपलब्ध करवाएं। **(घ)** जिला पंचायत बालाघाट एवं समस्त जनपद पंचायत में विगत 6 माह में किस-किस जनप्रतिनिधि के कौन-कौन से पत्र प्राप्त हुए समस्त पत्रों की प्रति बतावे एवं कौन-कौन सी जानकारी चाही गई थी? विभाग द्वारा कौन-कौन सी जानकारी समय-सीमा में जनप्रतिनिधियों को प्रदान की गई? कौन-कौन सी जानकारी प्रश्न दिनांक तक प्रदाय नहीं की गई? विस्तृत ब्यौरा प्रदान करें?

**पंचायत मंत्री :** [ ***(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।*** ] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है, जिला एवं जनपद पंचायतें स्वशासी संस्थाएं हैं। 03 वर्ष से अधिक होने पर स्थानान्तरण की बाध्यता इन संस्थाओं के कर्मचारियों पर नहीं है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है। **शेष परिशष्ट "अ" अनुसार है।** (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार है।**

**गोपनीय प्रतिवेदन लिखने की प्रणाली**

**[ पंचायत एवं ग्रामीण विकास ]**

**6. अता.प्र.सं.149 (क्र. 791) श्री मोंटू सोलंकी :** क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में जिला एवं जनपद पंचायत में भारतीय प्रशानिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अन्य विभाग के कुल कितने सी.ई.ओ. पदस्थ हैं उनके नाम, पदनाम, मूल विभाग की जानकारी तालिका में देवें? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिला एवं जनपद पंचायत सी.ई.ओ. की गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाने के संबंध में प्रश्न दिनांक की स्थिति में शासन स्तर से कौन कौन से आदेश, नीति, नियम, निर्देश जारी किए गए हैं? उन समस्त की प्रतियां देवें? **(ग)** पंचायती राज व्यवस्था में जिला एवं जनपद पंचायत कार्यालय का प्रमुख कौन होता है? उससे संबंधित समस्त निर्देशों की प्रति देवें । **(घ)** जिला पंचायत अध्यक्ष अपने नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित जिला अधिकारियों को किस प्रकार से निर्देश जारी करेगा? उससे संबंधित आदेश, नियम, निर्देश की प्रति देवें? **(ड.)** क्या जिला एवं जनपद पंचायत का अध्यक्ष पंचायत को आवंटित विषयों के जिला अधिकारी/जनपद अधिकारियों से सीधे विभागीय जानकारियां एवं नस्तियों को समीक्षा के लिए मांग सकता है या नहीं?

**पंचायत मंत्री :** [ *(क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं अन्य विभाग से संबंधित* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार।*** *शेष* ***जानकारी संकलित की जा रही है।*** *(ख) जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी से संबंधित* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार।*** *शेष* ***जानकारी संकलित की जा रही है।*** *(ग)* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार।***

*(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"द" अनुसार। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार।* ] **(क)** मध्यप्रदेश में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के पद पर पदस्थ भा.प्र.से./रा.प्र.से. अधिकारियों की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "इ" अनुसार** है। **(ख)** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाने के संबंध में शासन के आदेश-निर्देश की **प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एफ" अनुसार** है।

## <u>दिनांक 17 दिसम्बर, 2024</u>

### पत्रों पर कार्यवाही न होना

**[ सामान्य प्रशासन ]**

**7. अता.प्र.सं.17 (क्र. 189) श्री यादवेन्द्र सिंह** : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र क्र. एम.एल.ए./टी.के.जी./1-182/2024 दिनांक 09.03.2024 को करोड़ों रूपयों की हेराफेरी की शिकायत लोकायुक्त म.प्र. शासन भोपाल को की थी? **(ख)** यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) में वर्णित पत्र पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? विस्तृत विवरण दें। **(ग)** क्या प्र.क्र.72-ई./24-25 विरूद्ध तहसीलदार खरगापुर कार्यालय लोकायुक्त भोपाल में तथ्यात्मक शिकायत होने के बावजूद 1 वर्ष से कोई कार्यवाही नहीं की गई यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है? **(घ)** लोकायुक्त कार्यालय के पत्र क्र. 3880 प्रकरण क्र. 72/ई./24-25 भोपाल दिनांक 27.09.2024 पर कब तक कार्यवाही की जायेगी एवं आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई?

**मुख्यमंत्री** : [ *(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ] **(क)** जी हाँ। **(ख)** प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक एम.एल.ए./टीकेजी./1-182/2024, दिनांक 09/03/2024 को करोड़ों रूपये की हेरा-फेरी की प्राप्त शिकायत पर जांच प्रकरण क्रमांक-02/ई/2024, दिनांक 01/04/2024 को पंजीबद्ध की जाकर, आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवास, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़ को शिकायत की प्रति भेजकर जांच प्रतिवेदन चाहा गया था। परन्तु वांछित जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। पुन: दिनांक 28/10/2024 को स्मरण कराया गया है। **(ग)** जी नहीं। प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, भोपाल को पत्र क्रमांक 1021, दिनांक 20/05/2024, आयुक्त, राजस्व संभाग सागर को पत्र क्रमांक 1020, दिनांक 20/05/2024 तथा कलेक्टर जिला टीकमगढ़ को पत्र क्रमांक 1019, 20/05/2024 को शिकायत की छायाप्रति भेजकर प्रतिवेदन चाहा गया था, वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त है, पुन: स्मरण पत्र भेजे गये हैं। **(घ)** प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, भोपाल, आयुक्त राजस्व सागर संभाग एवं कलेक्टर जिला टीकमगढ़ से शिकायत के संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया है, जो अप्राप्त है। समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है।

### वर्ष 2023 में प्रदेश में आयोजित विकास यात्रा

**[ सामान्य प्रशासन ]**

**8. अता.प्र.सं.26 (क्र. 290) डॉ. विक्रांत भूरिया** : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में वर्ष 2023 में सभी विधान सभा क्षेत्र में विकास यात्रा का आयोजन हुआ, सरकार ने

किस मद से सभी जिलों में राशि खर्च किया। सभी जिलों में आयोजित सभा, रैली, यात्रा और अन्य सभी प्रचार प्रसार, भोजन आदि का कुल खर्च, की जानकारी दी जाए। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संबंध में झाबुआ विधान सभा में आयोजित विकास यात्रा में किये गए वादे, घोषणा और उसकी पूरी जानकारी विस्तृत में दी जाए। यह भी जानकारी दें कि विकास यात्रा में की गए घोषणाओं में से कितनी पूर्ण हो चुकी है और कितनी अपूर्ण है।

**मुख्यमंत्री :** [ *(क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** विकास यात्रा का उद्देश्य विभिन्न विकास गतिविधियों एवं उपलब्धियों को जनता के साथ साझा करना तथा भविष्य में आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित मध्यप्रदेश के निर्माण के उद्देश्य से नये विकास कार्यों की आधारशिला रखना था। विकास यात्रा के दौरान कोई वादे, घोषणाएं नहीं की गई है।

**पेट्रोल, डीजल की अवैध बिक्री लगाया जाना**

**[ गृह ]**

**9. अता.प्र.सं.27 (क्र. 300) श्री प्रदीप अग्रवाल :** क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 1/4/2023 से प्रश्न दिनांक तक दतिया जिले में अवैध रूप से पेट्रोल/डीजल विक्रय करने अथवा परिवहन करने पर किन-किन व्यक्तियों पर क्या-क्या कार्रवाई की गई है कितने प्रकरण थानों में रजिस्टर्ड किए गए, थानेवार जानकारी उपलब्ध कराई जाए। **(ख)** उक्त प्रकरणों में कौन सी धारा के तहत क्या-क्या कार्रवाई की गई FIR की जानकारी सहित, की गई सम्पूर्ण कार्यवाही की प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। **(ग)** क्या यह सत्य है कि उक्त दोषियों के अलावा भी अनेकों व्यक्तियों द्वारा खुलेआम डीजल पेट्रोल की गली-गली गांव-गांव मोहल्लों-मोहल्लों में बिक्री की जा रही है पेट्रोल पंप संचालक बिक्री न होने के कारण परेशान है, जिसकी प्रश्नकर्ता द्वारा प्रशासन को मौखिक एवं लिखित शिकायत भी की गई है जिस पर प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही कर जांच कराई जाएगी जांच नहीं करने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं जानकारी उपलब्ध कराई जाए। **(घ)** क्या माननीय मंत्री महोदय इस अवैध कारोबार को रोकने एवं वैध रूप से पेट्रोल डीजल विक्रय करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों को राहत पहुंचाने हेतु पृथक से आदेश जारी करने की कृपा करेंगे यदि हाँ, तो कब तक कार्रवाई होगी, जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

**मुख्यमंत्री :** [ *(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ] **(क)** एवं **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** अनेकों व्यक्तियों द्वारा खुलेआम डीजल पेट्रोल की गली-गली गांव-गांव मोहल्लों-मोहल्लों में बिक्री नहीं की जा रही है। खुलेआम डीजल पेट्रोल की बिक्री के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिला पुलिस द्वारा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** कार्यवाही की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** एम.एस.एच.एस.डी. (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 के प्रावधानों में पूर्व से ही अवैध करने वालों के खिलाफ कार्यवाही के प्रावधान होने से पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## विज्ञापन एवं कार्यक्रम आयोजनों की जानकारी

**[ जनसंपर्क ]**

**10. अता.प्र.सं.46 (क्र. 432) श्री ओमकार सिंह मरकाम** : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1 जनवरी, 2023 से आज दिनांक तक जनसंपर्क विभाग द्वारा किस-किस योजना के प्रचार प्रसार हेतु क्या-क्या विज्ञापन कब-कब दिया गया, उसका भुगतान कितना-कितना, कब-कब किया गया? **(ख)** 1 जनवरी, 2023 से आज दिनांक तक किस-किस विभाग के कौन-कौन से कार्यक्रमों का आयोजन जनसम्पर्क विभाग द्वारा किया गया, कब-कब किया गया, कितना-कितना खर्च हुआ, कब-कब किसको-किसको, कितनी-कितनी राशि भुगतान किये कार्यक्रमवार जानकारी दें?

**मुख्यमंत्री** : [ *(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ] **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

## विधायक विकास निधि से स्वीकृत कार्यों का भुगतान

**[ योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी ]**

**11. परि.अता.प्र.सं. 55 (क्र. 607) श्री प्रणय प्रभात पांडे** : क्या उप मुख्यमंत्री, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधायक विकास निधि से स्वीकृत कार्यों के भुगतान के क्या नियम, दिशा-निर्देश हैं? बतलावें। भुगतान के नियमों की छायाप्रति देवें एवं यह भी बतलावें कि स्वीकृत कार्यों का एक-मुश्त 100% भुगतान का प्रावधान है या इसका भुगतान दो किश्तों में प्रदान करने का नियम है? **(ख)** प्रश्नकर्ता द्वारा वित्त-वर्ष 2023-24 में कब-कब कौन-कौन से निर्माण कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि की अनुशंसा की गई तथा इनकी स्वीकृति कब-कब प्राप्त हुई तथा इन स्वीकृत निर्माण-कार्यों में से किन-किन कार्यों का कितना-कितना कब-कब भुगतान किया गया? निर्माण कार्यवार, स्वीकृति दिनांक, भुगतान दिनांक एवं भुगतान राशि सहित संपूर्ण सूची देवें। **(ग)** वित्त वर्ष 2023-24 में कटनी जिला अंतर्गत विधानसभावार विधायक विकास निधि से कितनी राशि के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए? बतलावे एवं यह भी बतलावें कि क्या इन स्वीकृत सभी कार्यों का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कहाँ का कितना भुगतान किन कारणों से शेष है? बतलावें एवं सूची देवें। **(घ)** शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा में प्रश्नकर्ता की विधायक निधि की राशि किस जिला योजना अधिकारी द्वारा समय पर देयक प्रस्तुत न करने के कारण कितनी राशि लैप्स हुई तथा कौन-कौन से निर्माण कार्य प्रश्न दिनांक तक अधूरे हैं। बतलावें एवं सूची देवें। यह भी बतलावें कि ऐसे लापरवाह अधिकारी के विरुद्ध क्या शासन कार्यवाही करते हुए शेष राशि के भुगतान का प्रावधान करेगा, जिससे अधूरे निर्माण कार्य पूर्ण हो सकें? उत्तर में यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? बतलावें।

**उप मुख्यमंत्री, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी** : [ *(क) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका 2013 के बिन्दु क्रमांक 3.12 में योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की राशि जारी करने के संबंध में प्रावधान है। नियम की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार*** *है। (ख)* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार*** *है। (ग)* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-***

*स अनुसार है।(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] (घ) जिला कटनी के विधानसभा क्षेत्र बहोरीबंद में वित्तीय वर्ष 2023-24 में श्री पवन कुमार अहिरवार, जिला योजना अधिकारी, कटनी के पदस्थी के समय विधायक निधि की राशि रूपये 80.34 लाख लैप्स हुई। अधूरे निर्माण कार्यों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है।** जिला योजना कार्यालय, कटनी में पदस्थ शाखा प्रभारी के विरुद्ध कलेक्टर, कटनी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर शास्ति अधिरोपित करते हुए आगामी वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। पूर्व वर्षों की लैप्स राशि की मांग का प्रस्ताव प्रथम अनुपूरक में दिनांक 13.06.2025 को प्रेषित किया गया है। पुर्नआवंटन प्राप्त होने के पश्चात आगामी कार्यवाही की जायेगी।

## पत्र क्रमांक 247 एवं 428 दिनांक 10/07/2024 की जांच

**[ सामान्य प्रशासन ]**

**12. अता.प्र.सं.81 (क्र. 743) श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी :** क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 247 दिनांक 10/07/2024 एवं पत्र क्रमांक 428 दिनांक 10/07/2024 जो विशेष पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर को लिखा गया था, पर की गई जांच की स्टेटस रिपोर्ट देवें। **(ख)** जांच रिपोर्ट किस अधिकारी के पास लंबित है? उस अधिकारी का नाम एवं पदनाम बतावें। **(ग)** क्या शिकायती तथ्यों के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध प्राईमरी इंक्वायरी दर्ज कर ली गई है या नहीं, हाँ तो प्राईमरी इंक्वायरी का नंबर देवें नहीं तो आज दिनांक तक भी क्यों दर्ज नहीं की गई है? कारण बतावें।

**मुख्यमंत्री :** [ *(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ] **(क)** प्रश्नकर्ता से प्राप्त शिकायत दिनांक 10/07/2024 नगरपालिका अशोकनगर, चंदेरी, ईसागढ़, खाडौरा, के सी.एम.ओ. सिटी मिशन मैनेजर योजना शाखा प्रभारी, जिला अशोकनगर के विरूद्ध लोकायुक्त संगठन में प्रकरण क्रमांक 242/ई/2024-25 दिनांक 07/08/2024 दर्ज किया गया है। शिकायत में वर्णित आक्षेपों के संबंध में, 1. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, 2. आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवास, भोपाल, 3. कलेक्टर, जिला अशोकनगर, 4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अशोकनगर से जांच प्रतिवेदन दिनांक 11/11/2024 तक चाहा गया, जो अप्राप्त है। पुन: दिनांक 26/11/2024 को स्मरण कराया गया है। **(ख)** एवं **(ग)** उत्तरांश (क) अनुसार।

## दिव्यांग शासकीय सेवकों की पदोन्नति में आरक्षण

**[ सामान्य प्रशासन ]**

**13. ता.प्र.सं. 7 (क्र. 761) श्रीमती अनुभा मुंजारे :** क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार एवं अन्य राज्यों की भांति मध्यप्रदेश में दिव्यांग शासकीय सेवकों को पदोन्नति में दिव्यांग अधिनियम 2016 की धारा 34 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.9.2021 एप्लीकेशन नंबर 2171 2020 के अनुपालन में आरक्षण का लाभ कब तक प्रदान करेंगे? यदि हाँ, तो समय-सीमा बताएं और नहीं तो क्यों नहीं?

**मुख्यमंत्री :** [ *जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ] **(क)** वर्तमान में म.प्र. राज्य से संबंधित पदोन्नति नियम माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रचलित है। अत: दिव्यांग शासकीय सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिये जाने की समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

**भ्रष्टाचार के विरूद्ध दर्ज प्रकरण**

**[ सामान्य प्रशासन ]**

**14. परि.अता.प्र.सं. 100 (क्र. 943) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे :** क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक भ्रष्टाचार के संबंध में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कितने प्रकरण किन-किन अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध पंजीबद्ध किये? वर्षवार जानकारी जिसमें पंजीबद्ध प्रकरणों की विवेचना की वर्तमान स्थिति क्या है, सहित पूर्ण जानकारी दी जाये। **(ख)** क्या उपरोक्त अवधि में पंजीबद्ध सभी प्रकरणों के चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं? यदि नहीं, तो चालान लंबित रहने के क्या कारण हैं? पूर्ण जानकारी दी जाये। **(ग)** उपरोक्त अवधि में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में पंजीबद्ध हुये किन-किन अधिकारी/कर्मचारी के प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान नहीं की गई? अनुमति नहीं देने के क्या कारण रहे? अधिकारी/कर्मचारी के नाम सहित अनुमति हेतु लंबित प्रकरणों की पूर्ण जानकारी दी जाये। **(घ)** अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित प्रकरणों में कब तक शासन द्वारा अनुमति प्रदान कर दी जायेगी? समय-सीमा बताएं।

**मुख्यमंत्री :** [ *(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ] **(क)** एवं **(ख)** **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार।** **(ग)** अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित प्रकरणों एवं अमान्य प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार।** अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों में गुण-दोषों के आधार पर अभियोजन स्वीकृति प्रदान की जाती है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

## <u>दिनांक 18 दिसम्बर, 2024</u>

**नर्सिंग कॉलेजों की अवैध मान्यताओं की जाँच**

**[ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ]**

**15. परि.अता.प्र.सं. 1 (क्र. 5) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह :** क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्न तिथि तक प्रदेश में किस-किस स्थान के किस-किस नाम एवं पते वाले नर्सिंग कॉलेजों की जाँच किस-किस नाम की जाँच एजेन्सियों द्वारा कब से की जा रही है? उक्त सभी कॉलेजों के मालिकों के नाम क्या-क्या हैं? उक्त सभी कॉलेजों को किन-किन दिनांकों को सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर कॉलेज संचालित करने की अनुमति/आज्ञा तक कब दी गई? जारी सभी आदेशों की एक-एक प्रति दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नर्सिंग कॉलेजों जिनकी जाँच की गई, क्या-क्या अनियमिततायें कब-कब पाई गई? कॉलेजवार, अनियमितावार

जानकारी दें। क्या उक्त कॉलेजों जिनके ऊपर लिखित अनियमितता पाई गई किस नाम/पदनाम के द्वारा पूर्व में जाँच कर एन.ओ.सी./अनुमति दी थी जिसके कारण कॉलेज शुरू हुआ? उक्त एन.ओ.सी./अनुमति/आदेशों की कॉलेजवार एक-एक प्रति दें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित कॉलेजों की राज्य शासन द्वारा किन-किन दिनांकों/माहों/वर्षों में अनुमति के आदेश जारी किये? कॉलेजवार सभी आदेशों की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें। **(घ)** राज्य शासन ने प्रश्न तिथि तक किस-किस नाम/पदनाम को फर्जी अनुमति/आज्ञा देने पर कब-कब चिन्हित किया है? सूची दें? उन पर कब व क्या कार्यवाही की जायेगी?

**उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा :** [ *(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ] **(क)** प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेजों के स्थान के नाम व पते की जांच एजेंसी सी.बी.आई. द्वारा दिनांक 27.09.2022 से की जा रही है **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 के प्रपत्र-अ अनुसार।** कॉलेज/कॉलेज मालिकों के नाम व नर्सिंग कॉलेज के स्थान व पते की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 के प्रपत्र-ब अनुसार।** मान्यता संबंधी आदेशों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 के प्रपत्र-स अनुसार। (ख)** जांच किये जा रहे नर्सिंग कॉलेजों की निरीक्षण रिपोर्ट की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ग)** मान्यता संबंधी जारी आदेश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 के प्रपत्र-स अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार।**

## शासकीय मंदिरों के पुजारी की अधिवार्षिकी आयु

**[ धार्मिक न्यास और धर्मस्व ]**

**16. अता.प्र.सं.12 (क्र. 98) डॉ. चिंतामणि मालवीय :** क्या राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. के शासकीय मंदिरों में कुल कितने पुजारी नियुक्त हैं? शासन द्वारा नियुक्त पुजारियों की अधिवार्षिकी उम्र कितनी है? सेवानिवृत्ति की आयु कब से लागू की गई है। पुजारियों को मिलने वाले मानदेय़ से क्या प्रोफेशनल टेक्स का कटौत्रा किया जाता है। यदि हाँ, तो कितना? **(ख)** भगवान की पूजा करना न तो सेवा का कार्य है और न ही श्रम का यह भावना और आस्था का कार्य है। क्या उन्हें मस्जिद के ईमाम व मुआज्जिम के समान वेतन दिया जा रहा है। क्या पुजारियों की अधिवार्षिकी उम्र को समाप्त किया जा सकेगा।

**राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व :** [ *(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। पुजारियों के संबंध में अधिवार्षिकी आयु निर्धारित नहीं है। शासन द्वारा पुजारियों के सेवानिवृत्त आयु का प्रावधान नियमों में नहीं की गई है। जी नहीं। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।* ***(ख)*** *जी हाँ। नियमानुसार वेतन दिया जा रहा है। पुजारियों की अधिवार्षिकी उम्र निर्धारित नहीं होने से प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।* ] **(क)** मध्यप्रदेश के शासकीय मंदिरों में कुल 15498 पुजारी नियुक्त है। मध्यप्रदेश स्थित जिलों में नियुक्त पुजारियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** शासन द्वारा पुजारियों हेतु अधिवार्षिकी उम्र निर्धारित नहीं की गई है। जी नहीं। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। **(ख)** शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों/सेवादारों को मानदेय मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ 7-13/2018/छः दिनांक 26/05/2022 द्वारा ऐसे शासन संधारित मंदिर

जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, उन मंदिरों के पुजारियों को 5000/- प्रतिमाह, जिन मंदिरों के पास 5 एकड़ तक कृषि भूमि है, उन मंदिरों को 2500/- प्रतिमाह एवं जिन मंदिरों के पास 5-10 एकड़ तक कृषि भूमि है, उन्हे 2000/- प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जाता है। जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, उन मंदिरों के पुजारियों को अलग से शासन द्वारा मानदेय नहीं दिया जाता है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

**बड़ादेव उद्वहन सिंचाई योजना की जानकारी**

**[ जल संसाधन ]**

**17. अता.प्र.सं.65 (क्र. 756) श्री नारायण सिंह पट्टा** : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बरगी विधानसभा क्षेत्र में एन.वी.डी.ए. द्वारा प्रस्तुत बड़ादेव उद्वहन सिंचाई योजना की डी.पी.आर. कितनी लागत से बनाई गई? कितने गांवों की कितनी भूमि सिंचित होनी थी? कितनी निजी व वन भूमि डूब में आने वाली थी? **(ख)** बड़ादेव उद्वहन सिंचाई योजना जल संसाधन विभाग को क्यों ट्रांसफर की गई? इस विभाग में यह योजना कितनी लागत की मंजूर की गई? योजना अंतर्गत कितनी सिंचाई होगी कितने गांव की कितनी निजी और कितनी वन भूमि डूब में आएगी? कितने परिवारों को बेदखल किया जाएगा एवं निर्माण काम के अलावा कितनी अतिरिक्त राशि खर्च होगी? **(ग)** बरगी डैम की बाईतट नहर से सिंचाई के लिए कितना पानी आरक्षित है? कितने क्षेत्र में सिंचाई मंजूर है? कितने एरिया में सिंचाई का क्षेत्र तैयार हो चुका है कितना बाकी है? बरगी बांध की बाईतट नहर से सिंचाई चालू होने के बाद से प्रतिवर्ष औसत कितना पानी खर्च हो रहा है और नहर के लिए आरक्षित पानी में से कितना पानी बच रहा है, इसके क्या कारण है और इस बचे पानी का क्या उपयोग किया जाएगा? **(घ)** विभाग में कितनी-कितनी लागत की कितनी सिंचाई परियोजनाएं बांध बनाकर स्वीकृत की गई है और कितनी योजनाएं पहले से बनी योजनाओं की कैनाल का पानी उठाकर? कितनी पूर्ण है? कितनी अधूरी है? कौन-कौन ठेकेदार हैं? कब-कब पूरी हुई और कब तक पूरी होगी? योजनावार जानकारी दी जाए। **(ङ.)** कितने एरिया में सिंचाई होगी कितना पानी रोका जाएगा और कितने पानी का उपयोग सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा? परियोजनावार जानकारी दी जाए। **(च)** विभागीय योजनाओं में कितनी निजी भूमि और कितनी वन भूमि डूब क्षेत्र में आ रही है? दोनों प्रकार की भूमि अधिग्रहण करने में कितनी लागत आएगी और कितना खर्च हो चुका है? कितनी निजी और वन भूमि का अधिग्रहण हो चुका है और बकाया भूमि का अधिग्रहण कब तक किया जाएगा? परियोजनावार जानकारी दी जाए। **(छ)** विभाग की कितनी परियोजनाएं की निजी और वन भूमि का अधिग्रहण न होने से लंबित है और कितने दिनों से अधूरे हैं? कितनी भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गई है और कितनी का मुआवजा वितरित किया जा चुका है, कितना भुगतान किया जाना बाकी है? परियोजनावार जानकारी प्रदान की जाए। निजी और वन भूमि के बदले बकाया मुआवजा राशि कितनी और कब दी जाएगी?

**जल संसाधन मंत्री** : [ ***(क) से (छ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ] **(क)** बरगी विधानसभा क्षेत्र हेतु एनवीडीए द्वारा पूर्व में प्रस्तावित बड़ादेव संयुक्त उद्वहन सिंचाई परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) लागत राशि रू.625.89 करोड़ की तैयार की जाना प्रतिवेदित है, जिससे कुल 116

ग्रामों की 28,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई किया जाना था। परियोजना के डूब क्षेत्र में किसी प्रकार की निजी एवं वन भूमि प्रभावित नहीं होना प्रतिवेदित है। **(ख)** नर्मदा जल विवाद अधिकरण के द्वारा म.प्र. राज्य को आंवटित 18.25 एम.ए.एफ. जल के उपयोग को सुनिश्चित करने के क्रम में मंत्री परिषद के आदेश दिनांक 10.07.2024 में लिये गये निर्णयानुसार परियोजना जल संसाधन विभाग को क्रियान्वयन हेतु हस्तांतरित की गई है। परियोजना की लागत राशि रू.1187.31 करोड़ की स्वीकृत की गई है। योजना के अंतर्गत 31,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रावधानित है। परियोजना के डूब क्षेत्र में लगभग 17 ग्रामों की 680.26 हेक्टेयर निजी भूमि, 140 हेक्टेयर वन-भूमि एवं 549 हेक्टेयर शासकीय भूमि आना संभावित है। वर्तमान में विस्तृत सर्वेक्षण के अभाव में बेदखल परिवारों की संख्या, डूब प्रभावित निजी एवं वन-भूमि का वास्तविक क्षेत्रफल एवं निर्माण कार्य के अतिरिक्त व्यय की जाने वाली राशि की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। **(ग)** नर्मदा विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिवेदित अनुसार बरगी बांध की बांयी तट नहर से सिंचाई के लिये कुल 1008 एम.सी.एम. जल आरक्षित है। कुल 1,57,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के अंतर्गत लगभग 1,52,800 हेक्टेयर क्षेत्र तैयार हो चुका है एवं लगभग 4200 हेक्टेयर क्षेत्र बाकी है। बांध की बांयी तट मुख्य नहर की सिंचाई चालू होने के बाद प्रति वर्ष खर्च हो रहे पानी का **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-अ" अनुसार है।** नहर के आरक्षित पानी में से **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-अ" के अनुसार** प्रति वर्ष उपयोग की मात्रा के पश्चात पानी शेष बच रहा है। इसका कारण कृषकों द्वारा स्वयं के सिंचाई के साधन तैयार करने, एक साथ संपूर्ण कमाण्ड क्षेत्र में फसल नहीं लगाये जाना आदि हैं। संपूर्ण कमाण्ड क्षेत्र 1,57,000 हेक्टेयर में कृषकों द्वारा पानी का उपयोग की मांग किये जाने पर शेष बचे हुये जल से ही आपूर्ति किया जाना है। **(घ)** जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बरगी विधान सभा क्षेत्र में निर्मित एवं निर्माणाधीन स्वीकृत योजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।** **(ङ.)** बड़ा देव माइक्रो सिंचाई परियोजना की निविदा प्रक्रियाधीन है, जिससे 31,500 हेक्टेयर सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है तथा 05.00 एम.सी.एम. जल सुरक्षित रखा जाना प्रस्तावित है। इस योजना से बिजली उत्पादन के लिए वर्तमान में प्रावधान नहीं होना प्रतिवेदित है। **(च)** बड़ा देव उद्वहन सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में लगभग 17 ग्रामों की 680.26 हेक्टेयर निजी भूमि, 140 हेक्टेयर वन-भूमि एवं 549 हेक्टेयर शासकीय भूमि प्रभावित होना संभावित है। वर्तमान में विस्तृत सर्वेक्षण के अभाव में डूब प्रभावित निजी एवं वन-भूमि का वास्तविक क्षेत्रफल एवं निर्माण कार्य के अतिरिक्त व्यय की जाने वाली राशि की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। **(छ)** बरगी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभाग की कोई भी परियोजना निजी और वन भूमि का अधिग्रहण न होने से लंबित नहीं होना प्रतिवेदित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## अतिशेष शिक्षकों एवं अतिथि शिक्षकों की जानकारी

### [ स्कूल शिक्षा ]

**18. परि.अता.प्र.सं. 100 (क्र. 1065) श्री राजेन्द्र भारती :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग में अतिशेष शिक्षकों को अन्य विद्यालयों में पदस्थ करने हेतु क्या मानक तय किये गये थे? उन मामलों के आदेश की प्रति प्रदाय करें। दतिया जिला में अतिशेष

शिक्षकों के विद्यालयों के छात्रों की संख्या एवं अतिशेष शिक्षकों की विद्यालयवार एवं विषयवार सूची तथा अतिशेष शिक्षकों के नवीन विद्यालयों में पदस्थापना आदेशों की प्रतियों सहित उस विद्यालयों में दर्ज छात्रों की विषयवार एवं कक्षावार संख्या प्रदान करें। **(ख)** दतिया जिला में वर्ष 2019 से समस्त विद्यालयों में कार्यरत रहे समस्त अतिथि शिक्षकों की विषयवार, विद्यालयवार सूची, शाला प्रबंधक समिति के प्रस्ताव एवं ठहराव की प्रतियां वर्ष 2019 नवंबर 2024 तक प्रत्येक विद्यालयवार एवं विषयवार, मासिक आधार पर भुगतान की गई राशि की सूची एवं छात्र संख्या वर्षवार प्रदान करें। **(ग)** क्या जिला शिक्षा अधिकारी दतिया ने प्रश्नकर्ता के दिनांक 09/09/2024 को प्रेषित पत्र क्रमांक 32/2024, दिनांक 25/09/2024, पत्र क्रमांक 143/2024 दिनांक 14/10/2024 एवं पत्र क्रमांक 278/2024 के माध्यम से उक्त विषय में जानकारी चाही गई थी, यदि हाँ, तो क्या जानकारी प्रेषित की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्र. एफ 19-76/2007/1/4, भोपाल दिनांक 12/11/2021 से निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो आदेशों की अवहेलना करने पर विभाग कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

**स्कूल शिक्षा मंत्री :** [ ***(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार*** *है। शेषांश की* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ***(ख)*** *जानकारी अत्यंत वृहद स्वरूप की है। लगभग 5000 पृष्ठ की* ***जानकारी होने से एकत्रित की जा रही*** *है।* ***(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -एक अनुसार** है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -दो एवं तीन अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी दतिया के पत्र दिनांक 27.11.24 एवं 28.11.24 द्वारा प्रेषित की गई है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

## एस.एन.सी.यू., पी.आई.सी.यू., एन.आर.सी. में अनियमितता

### [ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ]

**19. अता.प्र.सं.151 (क्र. 1144) श्री दिलीप सिंह परिहार :** क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1 जनवरी 2018 के पश्चात नीमच जिला चिकित्सालय में एस.एन.सी.यू., पी.आई.सी.यू., एन.आर.सी. में औषधीय उपकरण, ऑक्सीजन गैस तथा चिकित्सालय में अन्य निर्माण कार्य, विभिन्न खरीदी पर कितनी राशि व्यय की गई? उक्त अवधि की कैशबुक की प्रतिलिपि मय वाउचर सहित दें। ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि भी दें। औषधीय उपकरण में कौन-कौन सी सामग्री खरीदी गई? उपरोक्त कार्य कॉर्पोरेशन या अन्य से किए गए या स्थानीय स्तर पर किए गए? **(ख)** प्रश्नांश (क) संदर्भित उक्त अवधि में एस.एन.सी.यू., पी.आई.सी.यू., एन.आर.सी. में कितने बच्चे भर्ती हुए व कितनों को रेफर किया गया? रेफर किए जाने का कारण सहित जानकारी दें। उक्त कार्य हेतू जिले में कितनी-कितनी नर्सें एवं डॉक्टर प्रशिक्षित हैं और वर्तमान में इनसे कौन सा कार्य लिया जा रहा है? **(ग)** विशिष्ट कार्यालयों से एस.एन.सी.यू., पी.आई.सी.यू., एन.आर.सी. में किन-किन अधिकारियों ने किस-किस तिथि को उक्त अवधि में भ्रमण किया? उनके द्वारा कौन-सी कमियाँ पाई गईं और उन्हें सुधारने के लिए क्या निर्देश दिए? पाई गई कमियों के लिए किन-किन के खिलाफ क्या कार्यवाही की? **(घ)** क्या नीमच, मंदसौर

जिलों में एस.एन.सी.यू., पी.आई.सी.यू., एन.आर.सी. में अधिकारियों की लापरवाही और अनियमितता के चलते शासन की राशि का दुरुपयोग हो रहा है? यदि हाँ,तो उक्त कार्यों को लेकर किस-किस व्यक्ति ने कहाँ-कहाँ पर किस प्रकार की शिकायत की, शिकायतकर्ता का नाम और की गई शिकायत की प्रति दिनांक सहित दें?

**उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा :** [ ***(क)*** *जनवरी 2018 के पश्चात प्रश्न दिनांक तक नीमच जिला चिकित्सालय में एस.एन.सी.यू., पी.आई.सी.यू., एन.आर.सी. में औषधीय उपकरण, आक्सीजन गैस तथा चिकित्सालय में अन्य निर्माण, विभिन्न खरीदी पर कुल राशि 3,27,58,749.65/- रूपये (तीन करोड़ सत्ताईस लाख अट्ठावन हजार सात सौ उन्नचास रूपये एवं पैसठ पैसे) व्यय की गई है।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र"अ" एवं "ब" अनुसार। (ख)*** *प्रश्नांश (क) उक्त अवधि में एस.एन.सी.यू.एवं पी.आई.सी.यू. व एन.आर.सी. में कुल 15987 बच्चे भर्ती हुए तथा एस.एन.सी.यू. एवं पी.आई.सी.यू. व एन.आर.सी. से कुल 701 बच्चे रैफर किये गये, रेफर करने का मुख्य कारण जन्मजात विकृति उपचार हेतु शल्यक्रिया आवश्यकता पड़ने पर, गंभीर शिशु जिन्हें श्वास संबंधी समस्या हेतु उच्च स्तरीय वेन्टीलेशन सपोर्ट की आवश्यकता पड़ने पर, गंभीर शिशुओं में उच्च स्तरीय जांच हेतु, जन्मजात मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के उपचार इत्यादि है। उक्त कार्य हेतु जिले में 5 शिशु रोग विशेषज्ञ, 2 चिकित्सा अधिकारी एवं 15 नर्स प्रशिक्षित है, उक्त स्टाफ से एस.एन.सी.यू., पी.आई.सी.यू. एवं एन.आर.सी. में उपचार एवं देखभाल संबंधी कार्य लिया जा रहा है।* ***(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र"स" अनुसार। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ] **(घ)** जी नहीं। कलेक्टर नीमच के जानकारी के आधार पर एस.एन.सी.यू., पी.आई.सी.यू एवं एन.आर.सी में अधिकारियों की लापरवाही और अनियमितता संबंधी शिकायत निरंक है।

### रजिस्ट्रार नर्सेस कांउसिल के विरूद्ध शिकायत

### [ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ]

**20. परि.अता.प्र.सं. 146 (क्र. 1208) श्री उमंग सिंघार :** क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नर्सिंग संस्थाओं को गलत ढंग से मान्यता दिये जाने के विरूद्ध कितनी शिकायतें दिनांक 01.01.2020 से प्रश्न तिथि तक प्राप्त हुई? **(ख)** क्या नर्सिंग संस्थाओं को मान्यता दिलाने एवं असत्य निरीक्षण रिपोर्ट देने के दोषी लोक सेवक सुश्री चांद, रजिस्ट्रार नर्सेस रजिस्ट्रेशन कांउसिल के विरूद्ध माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र दिनांक 10.10.2024 प्रश्नकर्ता द्वारा लिखा गया है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? कार्यवाही नहीं करने के लिए कौन दोषी है? **(ग)** प्रश्नांश (क) के प्रकाश में संबंधितों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? प्रकरणवार विवरण दें? **(घ)** क्या नर्सिंग कांउसिल की रजिस्ट्रार अनीता चांद पर अनियमितताओं के आरोपों की जांच के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिये है तो कब? विभाग ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

**उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा :** [ ***(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)*** *जी हाँ, लोक सेवक सुश्री चांद को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है तथा संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक 3157/स्था/नर्सिंग/2024 दिनांक 02.12.2024 द्वारा जांच समिति गठित की गई है।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"1" अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"2" एवं "3" अनुसार। (घ)*** *जी नहीं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।*] **(क)** 02 शिकायतें प्राप्त हुई है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

## अकोला में नामान्तरण प्रक्रिया

**[ राजस्व ]**

**21. अता.प्र.सं.196 (क्र. 1294) श्री फूलसिंह बरैया :** क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्राम अकोला तहसील व जिला दलिया के सर्वे क्रमांक 337 रकबा 0.74 में से 0.32 हेक्टेयर भूमि श्री बैकुन्ठी विजयकुँअर, निशा कुमारी जाटव, निवासी-अकोला को विक्रय की गई थी, विक्रय पश्चात इसका नामान्तरण हो चुका था, यदि हाँ, तो खसरा में कब तक इनका नाम रहा है? **(ख)** प्रकरण क्रमांक 81/बी-121 वर्ष 2023-24 में तहसीलदार द्वारा सर्वे नं. 337 रकबा 0.74 में नवीन सर्वे क्रमांक 337/2 रकबा 0.42 हे. सृजित कर जितेन्द्र सिंह पुत्र अजमेर सिंह का नाम दर्ज किया है, क्या तहसीलदार को नवीन सर्वे नम्बर सृजित करने का अधिकार है, यदि हाँ, तो नियम संलग्न करें, यदि नहीं, तो तहसीलदार के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? **(ग)** उक्त आदेश में पटवारी द्वारा सर्वे नं. 337/1 रकबा 0.32 हे. पर किसका अमल किया गया है, इसके लिये जिम्मेदार पटवारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। यदि हाँ, तो कब तक? **(घ)** इस प्रकार अनु. जाति के व्यक्तियों की जमीन हड़पी जा रही है? इसी प्रकार जगन, मूंगाराम पुत्रगण नारान जू जाटव निवासी अकोला की कृषि आराजी सर्वे क्रमांक 316/1 रकबा 0.33 हेक्टेयर भी बिना विक्रय किसी रजिस्ट्रीकरण के दूसरे के नाम कैसे अंकित की गई? इसका नाम कब परिवर्तन किया गया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। विस्तृत रिपोर्ट अभिलेख सहित संलग्न करें?

**राजस्व मंत्री :** [ ***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** ग्राम अकोला के सर्वे क्रमांक 337 रकवा 0.74 है. भूमि में से रकवा 0.32 है. भूमि का बैकुन्ठी पनि रामस्वरूप, विजवकुंवर पनि गनेश, निशा कुमारी पनि निहाल सिंह जाटव का नामांतरण पंजी क्रमांक 20 दिनांक 01/06/2013 से स्वीकार किया गया था किन्तु संभवतः तकनीकी त्रुटि के कारण वेव जी. आई. एस. खसरा वर्ष 2024-25 तक नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा था। अनुविभागीय अधिकारी दलिया के प्रकरण क्रमांक 0346/31-6/2024-25 आदेश दिनांक 19/02/25 से मौजा-अकोला के सर्वे क्रमांक 337/1, रकया 0.32 है. पर उक्त भूमि स्वामी के नाम इन्द्राज करने हेतु त्रुटि सुधार आदेश पारति किया गया। उक्त आदेश का अमल खसरे में किया जा चुका है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। (ख)** न्यायालय तहसीलदार तहसील दलिया के प्रकरण क्रमांक-0081/बी-121/2023-24 आदेश दिनांक 14/02/2024 के द्वारा ग्राम अकोला के सर्वे क्रमांक 337/2 को पुन सृजित करने हेतु आदेश किया गया। उक्त प्रकरण स्थमेव निगरानी में लिया जाकर कलेक्टर दलिया के प्र.क्र. 0019/स्व. निगरानी/2024-25, आदेश दिनांक 24.12.2024 से तहसीलदार का आदेश अधिकारिताविहीन होने से निरस्त किया गया एवं संबंधित तहसीलदार के विरुद्ध अनुशासनात्मक

कार्यवाही हेतु प्रस्ताव आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर में कार्यवाही प्रचलित है। **(ग)** न्यायालय तहसीलदार तहसील दतिया के प्रकरण क्रमांक 081/बी-121/2023-24 आदेश दिनांक 14/02/2024 के आधार पर पटवारी -द्वारा सर्वे क्रमांक 337/1 नै रकवा 0.42 हेक्टे. के स्थान पर रकवा 0.32 20 किया गया। उक्त अमल किये जाने के कारण संबंधित पटवारी के विरुद्ध दिनांक 06.01.2025 को विभागीय जांच संस्थित की गयी। **(घ)** जी नहीं, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जमीन नहीं हड़पी जा रही है ग्राम अकोला के सर्वे क्रमांक 316/1 के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी दतिया के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 0283/अ-63/2024-24 आदेश दिनांक 19/02/25 के तहत भूमि स्वमी जगन, 2 मूंगाराम पुत्रगण नारान जू जाटव के नाम का त्रुटि सुधार का आदेश पारित किया गया। जिसका राजस्व अभिलेख में अमल किय गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है** उक्त त्रुटि वर्ष 2016-17 में हुई थी जिसके क्रम में नायब तहसीलदार तहसील दतिया ग्रामीण के द्वारा तत्कालीन हल्का पटवारी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही का प्रस्ताव पत्र क्रमांक 314 दिनांक 20.02.2025 से अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग दतिया को प्रेषित किया गया है।

## शासकीय/अशासकीय कॉलेजों को दी गई मान्यता

**[ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ]**

**22. अता.प्र.सं.200 (क्र. 1302) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे** : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा सत्र 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में मध्यप्रदेश के समस्त कॉलेजों को दी गई मान्यता से संबंधित जानकारी और मान्यता प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाये। **(ख)** सत्र 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के निर्णयों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाये। **(ग)** मध्यप्रदेश पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा सत्र 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के पैरामेडिकल कॉलेजों से संबंधित सभी शासकीय और अशासकीय कॉलेजों की निरीक्षण की रिपोर्ट व निरीक्षण के दौरान के समस्त फोटोग्राफ की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाये। **(घ)** सत्र 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता हेतु जमा कराये गये सभी दस्तावेज और रिकार्डस् की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाये। पैरामेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिये पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाये। **(घ)** मध्यप्रदेश के सत्र 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के समस्त पैरामेडिकल कॉलेजों के भवन और अस्पताल की जानकारी की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाये। **(ड.)** मध्यप्रदेश पैरामेडिकल कौंसिल की 2020 से 2024 तक की समस्त कमेटियों के सदस्यों की जानकारी की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाये।

**उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा** : [ *(क) मध्यप्रदेश पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा सत्र 2020-21, 2021-22, 2022-23 में दी गई मान्यता एवं मान्यता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार।*** *सत्र 2023-24 में किसी भी कॉलेज को मान्यता प्रदान नहीं की गई। मान्यता प्रक्रिया से संबंधित जानकारी मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय शिक्षा सह*

*चिकित्सीय संस्थाओं की स्थापना के लिये मानक तथा मार्गदर्शक नियम 2007 तथा मध्यप्रदेश सह चिकित्सा शिक्षा संस्थान (मानक और दिशा निर्देश) स्थापना नियम 2021 की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है। **(ख)** सत्र 2020-21, 2021-22 एवं 2023-24 के पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के निर्णयों की प्रमाणित प्रतियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार**, सत्र 2023-24 में प्रश्न दिनांक तक किसी भी कॉलेज को मान्यता प्रदान नहीं की गई। **(ग)** सत्र 2020-21, 2021-22 के निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रति प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार** एवं शेष **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।** मान्यता प्रक्रिया से संबंधित निर्धारित मापदण्ड मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय शिक्षा सह चिकित्सीय संस्थाओं की स्थापना के लिये मानक तथा मार्गदर्शक नियम 2007 तथा मध्यप्रदेश सह चिकित्सा शिक्षा संस्थान (मानक और दिशा निर्देश) स्थापना नियम 2021 की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है। **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (च)** मध्यप्रदेश पैरामेडिकल कौंसिल की 2020 से 2024 तक की मान्यता नियम 2021 के अनुसार संस्थानों के सत्यापन हेतु गठित समिति, पंजीयन समिति एवं परीक्षा मण्डल समिति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार** है।*] **(ग) (घ) एवं (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। पेन ड्राईव** में उपलब्ध कराई गई है एवं संक्षेपिका **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

## एम्बुलेंस सेवाओं एवं सी.एच.ओ. की सेवावृद्धि में घोटाला

### [ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ]

**23. अता.प्र.सं.205 (क्र. 1324) श्री जयवर्द्धन सिंह :** क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अधोहस्ताक्षरकर्ता का पत्र क्र. 736 दिनांक 23.10.24 जो मुख्य सचिव, म.शा. भोपाल को प्रेषित किया गया था, प्राप्ति दिनांक से प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही सा.प्र.वि. के आदेश क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 भोपाल दिनांक 22.3.2011 में उल्लेखित पांचों बिन्दुओं एवं परिशिष्टों (1, 2) का पालन सुनिश्चित कर किया गया है? कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गई? संबंधित अधि./कर्म. का नाम, पदनाम, कार्यालयीन अभिलेखों/नोटशीटों/पत्रों/नियमों की प्रति सहित बतायें। **(ख)** क्या पत्र पर कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्ता को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी गई है? यदि नहीं, तो आदेश के उल्लंघन पर विभाग में किन-किन के विरुद्ध जिम्मेदारी निर्धारित की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित स्पष्ट करें। **(ग)** उपरोक्त के संबंध में पी.आर.ओ., एन.आर.एच.एम. ने दैनिक समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित खबरों से विभाग को अवगत कराया है? यदि हाँ, तो उस पर विभाग ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** उपरोक्त के अनुक्रम एन.आर.एच.एम. द्वारा एम्बुलेंस सेवाओं के संबंध में कब निविदा किन शर्तों के पालन में निकाली? किसी फर्म को किस दर पर कितनी अवधि के कितने वाहनों के लिये कार्य सौंपा गया? कितना भुगतान कब, किन कार्यों के लिये किया गया? **(ड.)** विभाग में कार्यरत सी.एच.ओ. की सेवावृद्धि नहीं होने के बावजूद भी भुगतान कैसे किया जा रहा? क्या समस्त सी.एच.ओ. की सेवाएं समाप्त कर भुगतान की वसूली की जायेगी? विभाग में नियमों का पालन नहीं करने के कारण किस के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

**उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा :** [ *(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ] **(क)** जी हाँ। प्राप्त पत्र दिनांक 23.10.2024 से चाही गई जानकारी संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 04/12/2024 से माननीय सदस्य को उपलब्ध करायी गई, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख)** जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी हाँ। विभाग द्वारा दैनिक भास्कर जिला भोपाल संस्करण में दिनांक 12/09/2024 को प्रकाशित समाचार का परीक्षण किया गया। तदानुसार जिला विदिशा में एकरूप नाम के अलग-अलग 05 हितग्राहियों को परिवहन सुविधायें प्रदाय की गई जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार। (घ)** एम्बुलेंस सेवाओं के संबंध में दिनांक 09/08/2021 को निविदा निकाली गई। निविदा की शर्तों की जानकारी विभागीय वेबसाईट की लिंक https://www.nhmmp.gov.in/WebContent/Tender/20210809133623021_TenderDocument.pdf पर अवलोकन हेतु उपलब्ध है। फर्मवार, दरवार, अवधिवार व वाहनों की संख्यावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार। (ड.)** जी नहीं। विभाग द्वारा प्रचलित नियमानुसार सेवा वृद्धि की गई है। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## इन्दौर में लगातार बढ़ रहे कैंसर मरीजों की स्थिति

### [ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ]

**24. अता.प्र.सं.210 (क्र. 1513) श्री महेन्द्र हार्डिया :** क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या इन्दौर शहर में कैंसर के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है? **(ख)** यदि हाँ, तो किन कारणों से बढ़ रही है? क्या इन्दौर में अत्यधिक रेडिएशन है? इन्दौर शहर में मोबाइल टॉवर में से कितनों के पास अनुमति है? पर्यावरण विभाग द्वारा अवैध मोबाइल टॉवर के रोकथाम हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? मोबाइल टॉवर वहां से कब हटाए जावेंगे? **(ग)** इन्दौर शहर में कितने स्थानों पर रहवासी संघ/रहवासियों द्वारा मोबाइल टॉवर को लेकर आपत्ति ली गई है? क्या दो मोबाइल टॉवरों के मध्य दूरी होना चाहिए? क्या यह सही है कि मोबाइल टॉवर में एंटिना की संख्या सीमित की गई है? यदि हाँ, तो कितने मोबाइल टॉवरों को पास-पास लगाने की अनुमति दी गई है और निर्धारित संख्या में एंटिना की संख्या से अधिक लगाए गए है? इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

**उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा :** [ *(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) इंदौर शहर में कैंसर रोग बढ़ने के कारण का कोइ पृथक से अध्ययन चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर द्वारा नहीं किया गया है। जी नहीं, इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है। अप्रैल 2024 से इंदौर जिले में 411 मोबाइल बीटीएस का रेडिएशन परीक्षण किया गया है और सभी में रेडिएशन का स्तर निर्धारित मानदंडों के भीतर पाया गया है। इन्दौर शहर में कुल 1645 मोबाइल टॉवर की अनुमति हैं। पर्यावरण विभाग द्वारा अवैध मोबाइल टॉवर के रोकथाम हेतु कार्यवाही नहीं की जाती हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) इंदौर शहर में 15 स्थानों पर रहवासी संघ/रहवासियों द्वारा मोबाइल टॉवर को लेकर आपत्ति ली गई है। मध्य प्रदेश शासन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के आदेश क्रमांक एस.एन.टी./14/0077/2022/2-41 दिनांक 07/08/2023 से मध्य*

*प्रदेश में दूरसंचार सेवा/इंटरनेट सेवा/और अवसंरचन प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति-2023 के प्रावधानों के तहत दो मोबाइल टॉवर के मध्य दूरी सीमित नहीं की गई हैं। मध्य प्रदेश शासन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के आदेश क्रमांक एस.एन.टी./14/0077/2022/2-41 दिनांक 07/08/2023 से मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवा/इंटरनेट सेवा/और अवसंरचन प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरनेस आधारित वाइस या डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति-2023 के प्रावधानों के तहत एंटिनों की संख्या सीमित नहीं की गई हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।*] **(क)** जी हाँ, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।**

**शैक्षणिक कार्य हेतु पदस्थ रीडर से गैर शैक्षणिक कार्य करवाना**

**[ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ]**

**25. परि.अता.प्र.सं. 176 (क्र. 1618) श्री राजेश कुमार शुक्ला :** क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** संस्थान में पदपूर्ति विज्ञप्ति सूचना में तय नियमों को अंतिम तिथि उपरांत संशोधित किया जा सकता है? हाँ तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है। **(ख)** प्रश्नांश (क) हाँ है तो शा.स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर की विज्ञप्ति सूचना क्र/313/स्थापना/विज्ञप्ति/2024, इंदौर दिनांक 25.01.24 में तय प्रोराटा में संशोधन हेतु सभी प्रक्रियाओं एवं अनुमतियाँ ली गई, हाँ तो सभी की छायाप्रतियाँ प्रदाय करें। यह संशोधन क्यो एवं किसके आदेश से किया गया। **(ग)** प्रश्नांश (क) नहीं है तो प्रश्नांश (ख) की विज्ञप्ति के प्रोराटा में संशोधन क्यों हुआ। **(घ)** शा.स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर की विज्ञप्ति सूचना क्र. /313/स्थापना/विज्ञप्ति/2024 इंदौर 25.01.24 में कितने आवेदन प्राप्त हुए। प्रत्येक आवेदक ने कितने दिनों तक संस्थान में शैक्षणिक कार्य किया, कितने दिनों तक अन्य संस्था में गैर शैक्षणिक कार्य किया। अन्य संस्था में गैर शैक्षणिक कार्य किसके आदेश से किया गया। **(ड.)** ऐसे आवेदक भी है जो नियुक्ति तिथि के कुछ माह उपरात शैक्षणिक कार्य को छोड़कर अन्यत्र संस्था में गैर शैक्षणिक कार्य हेतु संलग्न किया गया है। यदि हाँ, तो ऐसे अभ्यर्थियों का अनुभव प्रमाण पत्र जारी करते समय डेंटल कौंसिल ऑफ इंडिया के नियम का पालन किया गया? हाँ तो कैसे। **(च)** दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में शैक्षिक कार्यों हेतु नियुक्त रीडर से आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के कार्यालय में गैर शैक्षणिक कार्य करवाने से छात्रों की पढ़ाई बाधित होती है? नहीं तो कैसे? हाँ तो मूल संस्थान कब मुक्त होंगे।

**उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा :** [ *(क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ] **(क)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एकरूपता की दृष्टि से विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 27.12.2022 एवं 19.05.2023 को अधिक्रमित करते हुये अधिष्ठाता, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापको के रिक्त पदों की पूति हेतु विभागीय आदेश क्रमांक 1105 एफ 2-45/2010/1/55, भोपाल, दिनांक 24.07.2024 जारी किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (घ)** 02 आवेदन प्राप्त हुये। आवेदक 01 ने नियुक्ति दिनांक

28.02.2019 से प्रश्न दिनांक तक संस्थान में शैक्षणिक कार्य किया, आवेदक 02 ने नियुक्ति दिनांक 28.02.2019 से दिनांक 05.09.2019 एवं दिनांक 21.09.2020 से 14.06.2022 (कुल 02 वर्ष 03 माह) संस्थान में शैक्षणिक कार्य किया, व 06.09.2019 से 21.09.2020 तथा 14.06.2022 से प्रश्न दिनांक (कुल 3 वर्ष 6 माह) तक संचालनालय चिकित्सा शिक्षा में गैर शैक्षणिक कार्य किया गया। आवेदक 02 द्वारा अन्य संस्थाओं में कुल 06 वर्ष 09 माह शैक्षणिक कार्य किया गया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार।** **(ङ.)** संचालनालय में कार्य करने हेतु आदेश दिनांक 05.09.2019, 21.10.2020 एवं 14.06.2022 द्वारा आदेशित किया गया। जी हाँ। ऐसे अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अनुभव की गणना उनके द्वारा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में किये गये कार्य के आधार पर डेन्टल कौंसिल ऑफ इंडिया के मापदण्डानुसार, जारी किये गये अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार।** **(च)** जी नहीं। महाविद्यालय में उपलब्ध शैक्षणिक दन्त चिकित्सकों द्वारा छात्रों की पढ़ाई का कार्य किया जाता है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## जोमैटो बॉय के पुलिस थानों का रजिस्ट्रेशन

**[ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ]**

**26. परि.अता.प्र.सं. 177 (क्र. 1666) श्री दिलीप सिंह परिहार** : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** घर-घर खाद्य सामग्री परिवहन के लिए जोमैटो जैसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यवसाय करने वाली कंपनियों को FSSAI द्वारा संचालित FOSCOS ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जारी किए गए लाइसेंस पर नियंत्रण करने की कोई योजना बना रही है? यदि हाँ, तो वर्तमान स्थिति से अवगत कराएं। **(ख)** प्रश्नकर्ता विधायक के तारांकित प्रश्न क्रमांक 1764 दिनांक 14.02.2024 को पूछे गए प्रश्न के जवाब में बताया गया कि, इस संबंध में दिनांक 30.01.2024 को गृह विभाग से जानकारी चाही गई थी। क्या जानकारी प्राप्त हो गई है? यदि हाँ, तो उपलब्ध कराएं। **(ग)** प्रदेश में ऑनलाइन खाद्य डिलीवरी बॉय का प्रत्येक क्षेत्रीय थानों में रजिस्ट्रेशन क्या विभाग आवश्यक समझता है? यदि हाँ, तो इसके लिए विभाग ने कब-कब बैठक कर ऐसे प्रस्ताव तैयार किए और उन पर क्या कार्रवाई की गई? की गई कार्रवाई से अवगत कराएं। यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** क्या विभाग यह मानता है कि बिना रजिस्टर्ड डिलीवरी बॉय खाद्य सामग्री के लिए परिवारों के लिए चिंता का कारण बन सकते हैं? यदि हाँ, तो इनका रजिस्ट्रेशन कब तक कर दिया जाएगा?

**उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा** : [ *(क) जी नहीं। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) नई दिल्ली द्वारा 2021 के अनुसार कार्यवाही की जाती है।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।*** ***(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** *(ग) उत्तरांश (क) अनुसार है। (घ) उत्तरांश (क) अनुसार शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।* ] **(ख)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

## दिनांक 20 दिसम्बर, 2024

### जिम्मेदारों पर कार्यवाही

### [ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ]

**27. परि.अता.प्र.सं. 23 (क्र. 523) श्री अभय मिश्रा :** क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के द्वारा दिनांक 05.06.2024 को फर्जी डिपॉजिट आर्डर पर एफ.आई.आर. दर्ज किये जाने पर आदेश दिये गये थे? आदेश की प्रति के साथ कार्यवाही की क्या स्थिति है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में तत्कालीन जिला प्रबधंक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम रीवा, प्रबंधक सिविल सप्लाई कार्पोरेशन श्री देवेन्द्र तिवारी के द्वारा जिला रीवा में पदस्थगी के दौरान परिवहन के नाम पर संविदाकारों से सांठ-गांठ कर दूरस्थ स्थानों में परिवहन कराकर व्यक्तिगत हितपूर्ति की गई जिसके संबंध में पत्र क्रमांक 372 दिनांक 02.07.2024 द्वारा प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग म.प्र. भोपाल, पत्र क्रमांक 599, पत्र क्रमांक 564 दिनांक 10.10.2024, दिनांक 15.10.2024 पत्र क्रमांक 679 दिनांक 08.11.2024 के द्वारा मुख्य सचिव म.प्र.शासन भोपाल, को लिखे गये पत्रों पर कार्यवाही की स्थिति क्या हैं का विवरण देते हुये बतावें अगर कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? कार्यवाही बावत क्या निर्देश देंगे? **(ग)** प्रश्नांकित श्री तिवारी बी.आर.टी.एस. योजना में प्रतिनियुक्ति के दौरान गलत प्रोजेक्ट तैयार शासन को क्षति पहुंचाने व सीधी में जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थ रहते हुये हजारों क्विंटल धान को जानबूझकर सड़ाकर पचासों करोड़ रूपये का नुकसान शासन को हुआ जिस पर प्राप्त शिकायत के बाद भी कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों कार्यवाही बावत् क्या निर्देश देंगे यह भी बतावें अगर नहीं तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (क) अनुसार अपराधिक प्रकरण दर्ज न कराने एवं प्रश्नांश (ख) अनुसार परिवहन के नाम पर ठेकेदारों से सांठ-गांठ कर व्यक्तिगत हितपूर्ति करने शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने के साथ जांच व कार्यवाही लंबित रखने के जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे बतावें अगर नहीं तो क्यों?

**खाद्य मंत्री :** [ ***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ] **(क)** मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मुख्यालय द्वारा पत्र दिनांक 05/06/2024 को प्रेषित कर जिला प्रबंधक रीवा को प्रकरण के संबंध में जांच एवं विधि अनुसार कार्यवाही कर एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया था। इसके पूर्व ही तत्कालीन प्रभारी जिला प्रबंधक रीवा श्रीमती शिखा जैन जिला विपणन अधिकारी जिनके पास कार्पोरेशन जिला प्रबंधक का प्रभार था, के द्वारा पुलिस महानिदेशक को पत्र दिनांक 19/03/2024 प्रेषित कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया था। अद्यतन स्थिति में FIR दर्ज कर दी गई है। **(ख)** श्री देवेन्द्र तिवारी तत्कालीन जिला प्रबंधक रीवा के विरुद्ध विभिन्न शिकायतों की जाँच हेतु म.प्र. शासन, खाद्य विभाग के आदेश क्रमांक 928 दिनांक 25/04/24 द्वारा जांच दल का गठन किया गया था। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। जांच दल द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 28/05/24 को प्रस्तुत कर रीवा जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन परिवहन, मिलिंग एवं भुगतान के सबंध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाना पाया गया। इस सबंध में तत्कालीन जिला प्रबंधक श्री देवेन्द्र तिवारी, तत्कालीन प्रबंधक (वित्त) श्री टी पी डेहरिया एवं तत्कालीन मिलिंग प्रभारी श्री प्रियांश पाठक को

आरोप पत्र जारी किये गये हैं। श्री देवेन्द्र तिवारी, श्री टी.पी. डेहरिया एवं श्री प्रियांश पाठक के विरूद्ध विभागीय जांच प्रचलित है। **(ग)** प्रकरण में प्राप्त शिकायत की जांच हेतु कार्पोरेशन मुख्यालय के पत्र दिनाक 29/01/2024 द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक रीवा को पत्र प्रेषित कर प्राप्त शिकायत की जांच किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। क्षेत्रीय प्रबंधक रीवा द्वारा आदेश दिनांक 07/02/2024 जारी कर जांच दल का गठन किया गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक रीवा द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 20/12/2024 प्रेषित किया गया। संपूर्ण धान की मिलिंग कराकर सीएमआर चावल कार्पोरेशन एवं भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में जमा कराया गया है। **(घ)** प्रश्नांश (क) के सबंध में प्रकरण में पुलिस महानिदेशक से संपर्क कर आपराधिक प्रकरण शीघ्र दर्ज करने हेतु जिला प्रबंधक रीवा को कार्पोरेशन मुख्यालय द्वारा पत्र दिनांक 04/12/24 प्रेषित किया गया है। प्रश्नांश (क) अनुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज करा दिया गया है। प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलन में है। प्रश्नांश (ग) में शीघ्र प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक रीवा को पत्र दिनांक 04/12/24 से निर्देशित किया गया है।

## जनजातीय उपयोजना के बजट प्रावधान तथा व्यय राशि

## [ जनजातीय कार्य ]

**28. अता.प्र.सं.51 (क्र. 1415) श्री प्रताप ग्रेवाल** : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनजातीय उपयोजना के तहत वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक बजट प्रावधान तथा व्यय राशि विभागवार, राजस्व तथा पूंजीगत मद अनुसार बतावें नोडल एजेंसी के रूप में किस प्रकार कार्य किया जा रहा है? क्या प्रत्येक विभाग जनजातीय उपयोजना की राशि को व्यय करने के लिये नोडल एजेंसी से मार्गदर्शन प्राप्त करता है यदि हाँ, तो वर्ष 2023-24 को भेजे गये मार्गदर्शन पत्र की प्रतियां देवें। यदि नहीं तो नोडल एजेंसी का अर्थ क्या है। **(ख)** वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक प्रत्येक विभाग द्वारा जनजातीय उपयोजना की राशि से प्रतिवर्ष किये गये पांच प्रमुख कार्य (व्यय राशि अनुसार) कार्य का नाम, स्थान, कार्य के चयन का कारण, लाभांवित हितग्राही (यदि हाँ, तो) तथा व्यय की गई राशि की सूची प्रदान करें। **(ग)** भारत सरकार नीति आयोग का पत्र दिनांक 20.4.15 तथा योजना आयोग का पत्र दिनांक 18.6.14 तथा म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्र.एफ-10/50 दिनांक 25.7.2017 की प्रति देवें तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक, गठन के बाद, किस-किस दिनांक को हुई बैठक का एजेन्डा नोटशीट की प्रतियां देवें। **(घ)** वर्ष 2015-16 से 2023-24 तक जनजातीय उपयोजना के पूंजीगत व्यय से किये गये कार्य की विभागवार व्यय राशि अनुसार प्रमुख दो कार्य, कार्य का नाम, गांव/स्थान, कार्य के चयन का कारण तथा व्यय की गई राशि की जानकारी वर्षवार देवें।

**जनजातीय कार्य मंत्री** : [ *(क) जानकारी 36 विभागों से संबंधित एवं वृहद स्वरूप की होने से संकलित की जा रही है। भारत सरकार नीति आयोग द्वारा दिनांक 18.06.2014 को जारी Revised Guidelines for Implementation of SCSP/TSP by the State/UTs में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही की जाती है। जी नहीं। विभागों द्वारा संचालित योजना के एवं वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार कार्यवाही कर राशि का व्यय किया जाता है।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक, दो,***

*तीन एवं चार अनुसार है। (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।*] (क) भारत सरकार नीति आयोग द्वारा दिनांक 18.06.2014 को जारी Revised Guidelines for Implementation of SCSP/TSP by the State/UTs में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही की जाती है। जी नहीं। विभागों द्वारा संचालित योजना के एवं वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार कार्यवाही कर राशि का व्यय किया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'क' एवं "एक" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ख' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक", "दो","तीन" एवं "चार" अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ग" अनुसार** है।

## अनियमितता करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही

## [ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ]

**29. परि.अता.प्र.सं. 62 (क्र. 1445) श्री दिनेश राय मुनमुन** : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सिवनी जिले में कृषक उपभोक्ताओं द्वारा क्रय की जाने वाली खाद्य सामग्री शासन/विभाग के निर्धारित मानकों/गुणवत्ता/मात्रा अनुसार संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा विक्रय की जा रही है? यदि नहीं तो क्यों? क्या इस संबंध में जिले के स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं संगठनों द्वारा कोई पत्र शासन/विभाग/जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर शासन द्वारा अन्य जिले व प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच कराई गई है? यदि नहीं तो कब कराई जावेगी? **(ख)** क्या जिला सिवनी में किसानों को उपलब्ध की जाने वाली उर्वरक रेल रेक पॉइंट द्वारा परिवहन कर की जाती है? यदि हाँ, तो क्या उक्त रेक पॉइंट से आने वाली उर्वरक जिला सिवनी के नाम से अन्य जिलों में परिवहन की जाती है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या सिवनी जिले में रेक पॉइंट है? यदि हाँ, तो सिवनी जिले की उर्वरक शासन/विभाग द्वारा सिवनी जिले के रेक पॉइंट के नाम से पृथक से परिवहन क्यों नहीं की जाती? यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक? **(ग)** क्या सिवनी जिले के राइस मिलर्स को मिलिंग का शासन/विभाग/निगम से बकाया राशि का भुगतान किया जाना शेष है? यदि हाँ, तो क्यों और कब तक किया जावेगा? **(घ)** क्या सिवनी जिले में पूर्व के वर्षों में नान द्वारा क्रय किये गये बारदानों में गड़बड़ी की गई थी? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? क्या इस कार्य के दोषियों के विरुद्ध शासन/विभाग के नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

**खाद्य मंत्री** : [*(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** सिवनी जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को उचित मूल्य दुकानों से निर्धारित एफएक्यू गुणवत्ता का खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है एवं अन्य खाद्य सामग्री को संबंधित खाद्य प्रतिष्ठानों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप सामग्री विक्रय की जाती है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से खाद्य प्रतिष्ठानों को निरीक्षण भी किया जाता है। नापतौल विभाग के अमले द्वारा प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण में कम मात्रा में सामग्री विक्रय करने संबंधी प्रकरण प्रकाश में नहीं आए है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी हाँ। जिला सिवनी में रैक प्वाइंट पर प्राप्त होने वाली उर्वरक रैंक से आवश्यकतानुसार अन्य जिलों को उर्वरक का प्रदाय कराया जाता है ताकि कृषकों को आवश्यकतानुसार समय पर उर्वरक उपलब्ध

कराई जा सके। जी हाँ। सिवनी जिले में रैक प्वाइंट स्थित है। स्थानीय स्तर पर सिवनी रैक प्वाइंट से उर्वरक का प्राथमिकता वाले क्षेत्र में आपूर्ति कराई जाती है। आपूर्ति के क्षेत्र एक अथवा एक से अधिक जिले हो सकते हैं। सिवनी जिले से लगे अन्य जिलों के सुदूर क्षेत्रों में उर्वरक आपूर्ति सिवनी रैक प्वाइंट से की जाती है। भारत सरकार द्वारा जिला विशेष हेतु उर्वरक आवंटन नहीं किया जाता है। **(ग)** जी हाँ। सिवनी जिले के कुल 81 राईस मिलर्स द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान मिलिंग का कार्य किया गया, जिसमें से 76 राईस मिलर्स को मिलिंग राशि का भुगतान किया गया है। 05 राईस मिलर्स द्वारा मिलर्स लॉगिन से बिल प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण भुगतान नहीं किया गया। मिलर्स द्वारा ऑनलाईन बिल प्रस्तुत करने के पश्चात भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। **(घ)** जी हाँ। सिवनी जिले में पूर्व वर्षों में बारदानों में गड़बड़ी में प्राप्त शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों यथा श्री संजय सिंह ठाकुर, श्री दिलीप सक्सेना एवं श्री जी. के. सारसर के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। जांच पूर्ण होने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

---

# मार्च, 2025

## दिनांक 11 मार्च, 2025

### सहकारी बैंकों से ऋण वितरण की जाँच

**[ सहकारिता ]**

**1. परि.अता.प्र.सं. 88 (क्र. 536) डॉ. हिरालाल अलावा :** क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित धार की विधानसभा क्षेत्र मनावर स्थित बैंक ब्रांच किन-किन जगहों में है, उन सहकारी बैंक ब्रांच द्वारा विगत 5 वर्षों से किस-किस उद्देश्य, खाद-बीज कल्चर आदि के लिए कितने सदस्य किसानों ने ऋण के लिए आवेदन किया, उक्त में से किन-किन सदस्य किसानों को किस ब्याज दर पर बैंक की अधीनस्थ ब्रांच के अधीन कार्यरत (लेम्प्स) आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ऋण दिया? वर्षवार विवरण देवें। **(ख)** उक्त बैंक ब्रांचवार, अधीनस्थ लेम्प्स संस्थावार कृषक सदस्यों को ऋण देने के क्या-क्या मापदंड/नियम हैं? इन ऋणों की वसूली करने एवं कितना ब्याज दर वसूलने का मापदंड क्या है? क्या वसूलीकर्ता संस्था के अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से अधिक ब्याज दर वसूल किया जा रहा है, इसकी जांच सहकारिता विभाग, बैंक प्रबंधन ने कब-कब किया? ब्यौरा देवें। **(ग)** क्या मनावर विधानसभा क्षेत्र की लेम्प्स सहकारी संस्थाओं एवं ब्रांचों द्वारा ऋण देने में हुए भ्रष्टाचार की शिकायतों पर विगत 5 वर्षों के निरंतर में जांच हुई है, कितनी शिकायतें थीं, कितनी की जांच हुई है और क्या दोषी पर कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो कब तक दोषी पर कार्यवाही कर कृषकों को न्याय दिया जाएगा?

**सहकारिता मंत्री :** [ *(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ] **(क)** जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित धार की विधानसभा क्षेत्र मनावर में स्थित शाखाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है**। विगत पांच वर्षों में इन शाखाओं द्वारा के.सी.सी. ऋण (नगद एवं आदान के रूप में), मत्स्यपालन, पशुपालन आदि उद्देश्यों हेतु कृषक सदस्यों के आवेदन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है**। इन किसानों को समय-सीमा में ऋण जमा करने पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण वितरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। (ख)** बैंक की अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा कृषक सदस्यों की अल्पकालीन साख ऋण देने के लिए आवश्यक मापदण्ड में कृषक के भूमिधारी होने, संस्था का सदस्य होने एवं धारित भूमि पर बोई जाने वाली फसल का ऋणमान सुनिश्चित होना आदि है। ऋणों की वसूली एवं ब्याज दर वसूलने के मापदण्डों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 अनुसार है**। जी नहीं। **(ग)** मनावर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विगत 5 वर्षों में भ्रष्टाचार के संबंध में केवल पैक्स उमरवन द्वारा ऋण वितरण के संबंध में वर्ष 2022-23 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच कराई गई। जांच में दोषी पाये गये कर्मचारी के विरूद्ध एफ.आई.आर. करवायी गई तथा जांच प्रतिवेदन अनुसार राशि रू. 44,25,940/- दोषी प्रबंधकों के नामें की जाकर 118 कृषकों के

खातों में समायोजित करायी गई। दोषी प्रबंधक से राशि वसूली हेतु न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, धार में म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

## दिनांक 12 मार्च, 2025

### विकास यात्रा के आयोजनों पर खर्च

**[ सामान्य प्रशासन ]**

**2. परि.अता.प्र.सं. 24 (क्र. 550) डॉ. विक्रांत भूरिया :** क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में वर्ष 2023 में सभी विधान सभा में विकास यात्रा का आयोजन हुआ, सरकार ने किस मद से सभी जिलों में राशि खर्च किया। सभी जिलों में आयोजित सभा, रैली, यात्रा और अन्य सभी प्रचार प्रसार, भोजन आदि का कुल खर्च की जिलेवार जानकारी दी जाए। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संबंध में झाबुआ विधानसभा में आयोजित विकास यात्रा में किये गए वादे, घोषणा और जनता ने जो आवेदन दिये, उसकी पूरी जानकारी विस्तृत में दी जाए यह भी जानकारी दें कि विकास यात्रा में की गई घोषणा में से कितनी पूर्ण हो चुकी हैं और कितनी अपूर्ण है? **(ग)** उक्त प्रश्न पूर्व दिसम्बर 2024 में भी जानकारी चाही गई थी किन्तु आज दिनांक तक जानकारी प्रदान नहीं की गई है तत्काल जानकारी प्रदान करें।

**मुख्यमंत्री :** [ ***(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।*** ***(ख)*** *विकास यात्रा का उद्देश्य विभिन्न विकास गतिविधियों एवं उपलब्धियों को जनता के साथ साझा करना तथा भविष्य में आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित मध्यप्रदेश के निर्माण के उद्देश्य से नये विकास कार्यों की आधारशिला रखना था। विकास यात्रा के दौरान कोई वादे, घोषणाएं नहीं की गई है।* ***(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ] **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।**

### प्रथम सूचना रिपोर्ट की जानकारी

**[ गृह ]**

**3. परि.अता.प्र.सं. 31 (क्र. 593) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल :** क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** थाना गोविन्दपुरा को थाना हनुमानगंज भोपाल से प्राप्त पत्र दिनांक 11/04/2023 विषय लोक सूचना अधिकारी आर.के. सक्सेना, सहायक लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध उनके द्वारा एन.आई.टी. 78 में की गई धोखाधड़ी कूटरचित दस्तावेज का निर्मित करना तथा भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट दर्ज करने बावत्। श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, पुलिस थाना गोविन्दपुरा में दिनांक 01/01/2024 से प्रश्न दिनांक तक इस पत्र पर जो कार्यवाही की गई, का पूर्ण विवरण मय दस्तावेज प्रदाय करें। **(ख)** उपरोक्त (क) अनुसार आरोपियों के नाम एवं उनके या विभाग द्वारा दिए गए बयान की छायाप्रति प्रदान करें। क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई? हाँ अथवा नहीं? यदि हाँ, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति प्रदान करें। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध नहीं की गई है तो

कब तक होगी, समय अवधि बताए। यदि जांच पूर्ण हो चुकी है तो जांच रिपोर्ट प्रदाय करें। क्या थाना प्रभारी को बी. सी.एल.एल. द्वारा कार्यालय प्रधान महालेखाकार द्वारा आडिट आबजेक्शन्स के बारे में बताया गया? हाँ अथवा नहीं? यदि हाँ, तो क्या इसके बारे में बी.सी.एल.एल. से पूछताछ की जाएगी? **(ग)** प्रथम सूचना रिपोर्ट नं. 0162 थाना एम.पी. नगर भोपाल के संबंध में गृह विभाग को विधानसभा दिसम्बर सत्र 2024 में प्रश्न किस दिनांक को प्राप्त हुआ? एमपी. नगर थाने को यह प्रश्न किस दिनांक को प्राप्त हुआ? क्या थाना एम.पी. नगर ने यह प्रकरण कोर्ट के समक्ष 26/11/2024 को प्रस्तुत किया, हाँ अथवा नहीं? यदि नहीं तो किस दिनांक को प्रस्तुत किया? **(घ)** क्या एफ.आई.आर. नं. 0162 के संबंध में 01/01/2024 से 25/11/2024 तक शिकायतकर्ता द्वारा कोई स्पीडपोस्ट/डाक/ईमेल द्वारा पत्राचार किया गया, हाँ अथवा नहीं? यदि हाँ, तो पत्र की छायाप्रति प्रदान करें। क्या इसी समय अवधि में शिकायतकर्ता को थाने में बयान के लिए बुलाया गया हाँ अथवा नहीं? यदि हाँ, तो इसी समय अवधि बयान (शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर सहित) की छायाप्रति प्रदान करें।

**मुख्यमंत्री : [*(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है।**

## घटित अपराधों पर कार्यवाही

### [ गृह ]

**4. अता.प्र.सं.52 (क्र. 739) श्री उमाकांत शर्मा :** क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से 2023 तक भोपाल संभाग में हत्या, चोरी, लूट-पाट, डकैती, आत्महत्या, किसान आत्महत्या, महिलाओं पर अत्याचार एवं बलात्कार, नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म, मारपीट, अपहरण, नकबजनी, फिरौती आदि की कुल कितनी घटनाएं एवं अपराध घटित हुए है तथा कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं? जिलेवार, विकासखण्डवार, थानावार, वर्षवार प्रकरण अनुसार जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में भोपाल संभाग में कितने अपहरित बालिका एवं महिलाओं के बाल अपराध प्रकरणों में चालान पेश किया गया? कितने प्रकरण की जांच लंबित हैं? कितने आरोपी फरार हैं तथा कितने अपराध कायम होने के बाद निरस्त किये गये हैं? बतावें तथा कितने प्रकरण चालान हेतु शेष हैं? शेष प्रकरणों में आरोपियों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी? थानावार, जिलावार बतावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में उपनिरीक्षक, निरीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, पुलिस अधीक्षक आदि के विरूद्ध कब-कब एवं किन-किनके द्वारा शिकायतें की गई? कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? शिकायतों पर क्या कार्यवाहियां की गई? शिकायतवार जानकारी देवें तथा कितनी जांचे लंबित हैं? जांच लंबित होने के क्या कारण हैं तथा शेष शिकायतों का निराकरण कब तक किया जावेगा? समय-सीमा बतावें। **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में विदिशा जिले में कितने आरक्षक, उपनिरीक्षक, निरीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक आदि की अवैध लेन-देन एवं अन्य कौन-कौन सी शिकायतें प्राप्त हुई? उन पर क्या कार्यवाही की गई? कौन-कौन अधिकारियों द्वारा जांचे की गई? जांच में कौन दोषी पाये गये? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई, तो कब तक की

जावेगी? बतावें। **(ड.)** प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में 2018 से 2023 तक लोकायुक्त में कौन-कौन से आरक्षक, उपनिरीक्षक, सहा. उपनिरीक्षक, निरीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक आदि अन्य अधिकारी/ कर्मचारी की जांचे लंबित हैं? जांच को पूर्ण कर निराकरण कब तक किया जावेगा? समय-सीमा बतावें तथा कौन-कौन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध लोकायुक्त ने कार्यवाही की अनुशंसा की है? वर्षवार जानकारी देवें।

**मुख्यमंत्री :** [ *(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार** है। **(ड.)** लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना में वर्ष 2018 से 2023 तक जिन आरक्षक, उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, निरीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक आदि अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुए है उनकी वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'य' अनुसार** है। सूची अनुसार 47 प्रकरण विवेचनाधीन है जिनके निराकरण की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। विवेचना पूर्ण होने पर जिन अपचारी अधिकारी/कर्मचारीगण के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति शासन से चाही गयी उनकी जानकारी कॉलम नं. 07 में अंकित है। संगठन की शिकायत एवं जांच शाखा के लंबित प्रकरणों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'र' अनुसार** है।

## विधायक विकास निधि एवं विधायक स्वेच्छानुदान

### [ योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी ]

**5. अता.प्र.सं.61 (क्र. 778) श्री नारायण सिंह पट्टा :** क्या उप मुख्यमंत्री, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मंडला जिला अंतर्गत विधानसभा बिछिया, निवास व मंडला की वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक विधायक विकास निधि की कितनी राशि लेप्स हुईं है? उक्त लेप्स राशि के पुनः आवंटन हेतु जिला कार्यालय मंडला एवं प्रश्नकर्ता द्वारा कब-कब विभाग को पत्र लिखे गए? पत्रों की प्रतियाँ उपलब्ध कराएं। इन पत्रों में क्या कार्यवाही की गई? उक्त लेप्स राशि के कारण कितने कार्यों के कितनी राशि के भुगतान लंबित हैं? वर्तमान में उन कार्यों की पूर्णता अपूर्णता की स्थिति की जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार क्या उक्त लेप्स राशि का पुनः आवंटन किया जायेगा? यदि राशि पुनः आवंटित की जाएगी, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? लेप्स राशि के पुनः आवंटन के नियम क्या हैं? संबंधित नियमावली उपलब्ध करावें? **(ग)** मंडला जिले में जिला योजना अधिकारी का पद कब से रिक्त है? वर्तमान में इस पद का प्रभार किसे दिया गया है? क्या नियमित जिला योजना अधिकारी के नहीं होने से विभाग के कार्य प्रभावित हो रहे हैं? कब तक मंडला में जिला योजना अधिकारी के पद पर कब तक पदस्थापना की जाएगी? यदि नहीं तो क्यों? **(घ)** मंडला जिले हेतु वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक जनभागीदारी मद की कितनी राशि प्रदाय की गई है एवं इस राशि से कौन-कौन से कार्य किये गए हैं? यह राशि मंडला जिले को कब से अप्राप्त है एवं इसके क्या कारण हैं? कब तक राशि उपलब्ध करा दी जाएगी?

**उप मुख्यमंत्री, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी :** [ *(क) मण्डला जिला अंतर्गत विधानसभा बिछिया, निवास व मण्डला की वितीय वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक राशि रु. 1,50,84,718 रुपये (एक करोड़ पचास लाख चौरासी हजार सात सौ अठाराह) लैप्स हुई है। विस्तृत* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है।*** *शेष प्रश्नांश की* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)*** *लैप्स राशि के पुर्नआवंटन से संबंधित प्रावधान मध्यप्रदेश विधानसभा क्षेत्र विकास योजना की मागर्दर्शिका में नहीं है।* ***(ग)*** *दिनांक 01/11/2023 से जिला योजना अधिकारी मण्डला का पद रिक्त है। वर्तमान में श्रीमती क्षमा सराफ, डिप्टी कलेक्टर को जिला योजना अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने के फलस्वरूप कार्य प्रभावित होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।* ***(घ)*** *मण्डला जिले को विगत पाँच वर्षों में जनभागीदारी मद में राशि रूपये 90.00 लाख का आवंटन प्रदाय किया गया है। उपरोक्त आवंटन से किये गये कार्यों की सूची की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है।*** *राशि आवंटन हो जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।* ] **(क)** उक्त लैप्स राशि के पुनः आंवटन हेतु जिला कार्यालय मंडला एवं प्रश्नकर्ता द्वारा लिखे गये पत्र संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है।** उक्त पत्रों पर कार्यवाही करते हुये पूर्व वर्षों की लैप्स राशि की मांग का प्रस्ताव प्रथम अनुपूरक में दिनांक 13-06-2025 को प्रेषित किया गया है। लैप्स राशि के कारण 140 कार्यों की राशि रूपये 1,50,84,718/- (एक करोड़ पचास लाख चौरासी हजार सात सौ अठाराह) के भुगतान लंबित हैं। वर्तमान में उन कार्यों की पूर्णता अपूर्णता की स्थिति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है।**

## जिला न्यायालय नवीन भवन में प्रारंभ किया जाना

### [ विधि एवं विधायी कार्य ]

**6. परि.अता.प्र.सं. 63 (क्र. 865) श्री दिलीप सिंह परिहार :** क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नीमच में नवीन जिला न्यायालय भवन बन कर तैयार हो चुका है? क्या इसे ठेकेदार द्वारा विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है? यदि हाँ, तो किस दिनांक को जानकारी देवें। **(ख)** विभाग द्वारा जिला न्यायालय को नवीन न्यायालय भवन में स्थानांतरित कर प्रारंभ करने के लिए वर्तमान में क्या कार्यवाही प्रचलन में है? कार्यवाही से अवगत कराएं। **(ग)** विधि एवं विधायी विभाग द्वारा भवन निर्माण के बाद नवीन भवन में जिला न्यायालय स्थानांतरित न करने के क्या कारण रहे? कब तक न्यायालय को नवीन भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा? समय-सीमा बताएं।

**मुख्यमंत्री :** [ (क) से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।** ] **(क)** जी नहीं। नवीन न्यायालय भवन में छोटे-छोटे काम बचे हैं, जो पूर्णता की ओर है। ठेकेदार द्वारा विभाग को नवीन न्यायालय भवन हस्तांतरित नहीं किया गया है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** विभाग द्वारा नवीन न्यायालय भवन में स्थानांतरण करने के पूर्व फर्नीचर बुलाया गया था, जिसका वर्तमान में इंस्टालेशन का कार्य चल रहा है एवं पुराने न्यायालय भवन को नवीन न्यायालय भवन में स्थानांतरण की तैयारी चल रही है। **(ग)** नवीन न्यायालय भवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुए थे एवं क्रय किया गया पूर्ण फर्नीचर प्राप्त नहीं होने के कारण शिफ्टिंग सम्भव नहीं हुई। माह मार्च, 2025 में पुराने न्यायालय को नवीन न्यायालय भवन में स्थानांतरण किये जाने की सम्भावना है।

## पुलिस कर्मचारियों की पदस्थापना

## [ गृह ]

**7. अता.प्र.सं.84 (क्र. 871) श्री पंकज उपाध्याय :** क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में पुलिसकर्मियों को गृह जिले में पदस्थ किये जाने हेतु क्या प्रावधान हैं? वर्तमान में जिला मुरैना में ऐसे कितने पुलिसकर्मी हैं, जो गृह जिले में पदस्थ हैं एवं किन-किन थानों अथवा कार्यालयों में पदस्थ हैं? सूची उपलब्ध कराएं। **(ख)** अन्य जिलों में पदस्थ पुलिसकर्मियों को उनके गृह जिले में संलग्न किये जाने हेतु क्या प्रावधान हैं? ऐसे कितने पुलिसकर्मी हैं, जिनका गृह जिला मुरैना है एवं वह अन्य जिलों में पदस्थ होते हुये भी अपने गृह जिले में संलग्न हैं? सूची पदनाम एवं संलग्न किये जाने की दिनांक सहित उपलब्ध कराएं? **(ग)** जीडी संवर्ग के पुलिसकर्मी अधिकारियों को लिपिकीय कार्य हेतु कार्यालयों में संलग्न किए जाने हेतु क्या प्रावधान हैं एवं वर्तमान में ऐसे कितने कर्मचारी हैं? जो पुलिस अधीक्षक एवं अन्य कार्यालयों में संलग्न होकर लिपिकीय कार्य कर रहे हैं? ऐसे कर्मचारियों की कार्यालयवार सूची पदनाम, संलग्नीकरण दिनांक, किस शाखा में पदस्थ है एवं सौंपे गये दायित्व का उल्लेख, सहित उपलब्ध कराएं। **(घ)** पुलिस थाना जौरा में दर्ज प्रकरण क्रमांक 719 दिनांक 30/11/23 के संबंध में क्या पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश, पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर एवं पुलिस अधीक्षक मुरैना को प्रश्नकर्ता द्वारा ई-मेल एवं डाक के माध्यम से प्रेषित पत्र क्रमांक 160/24 एवं 185/24 के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**मुख्यमंत्री :** [ *(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ] **(क)** गृह जिले में पदस्थापना के प्रावधान म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2021-22 दिनांक 24 जून, 2021 के बिन्दु क्रमांक 29 के अनुसार। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(ख)** गृह जिले में पदस्थापना के प्रावधान म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2021-22 दिनांक 24 जून, 2021 के बिन्दु क्रमांक 29 के अनुसार। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। **(ग)** विभाग में स्थानांतरण शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के अनुसार किये जाते है, जो एक सतत प्रक्रिया है। कार्य की अधिकता के कारण कार्यालयों में अस्थाई रूप से लगाये गये कर्मचारियों की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार** है। **(घ)** थाना जौरा में दिनांक 30.11.2023 को अपराध क्रमांक 719/2023 धारा 365, 342, 294, 323, 506 भादवि का आरोपी मुलायम सिंह सिकरवार तथा अन्य 8-10 लोगों के विरूद्ध कायम किया गया था जिस पर भाजपा के पूर्व विधायक व घटना समय पर भाजपा प्रत्याशी सूबेदार सिंह सिकरवार रजौदा जिला मुरैना द्वारा अपने भतीजे मुलायम सिंह सिकरवार पर राजनैतिक द्वेष भावना से फरियादी विनोद दुबे पुत्र रतन लाल दुबे ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष पहाडगढ़ द्वारा झूठा अपराध पंजीबद्ध कराने तथा निष्पक्ष जांच करने संबंधी आवेदन दिया गया था। जिसकी जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा की जा रही थी उसी उपरांत पत्र क्रमांक 160/24 दिनांक 28.6.24 द्वारा पुलिस महानिरीक्षक चंबल जोन म.प्र. को एफआईआर क्रमांक 719/24 में पुलिस थाना जौरा जिला मुरैना की संदिग्ध भूमिका के संबंध में तथा पत्र क्रमांक 185/24 दिनांक 16.07.24 पुलिस महानिदेशक

पुलिस मुख्यालय भोपाल के अपराध क्रमांक 719/23 में अपराधियों को गिरफ्तार करने एवं लूट की धाराये बढ़ाने के संबंध में दिये गये थे। उक्त पत्रों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा जांच में सम्मिलित किया गया जांच उपरांत साक्ष्य के अनुसार अनुसंधान के दौरान उक्त प्रकरण झूठा पंजीबद्ध कराये जाने के संबंध में कोई पुष्ठिकारक साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होना पाया गया। आरोपी मुलायम सिंह सिकरवार निवासी रजौदा की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेश क्रमांक पुअ/मुरैना/अअवि/एडी/33/2024 दिनांक 12.06.2024 के माध्यम से 2500/- रूपये का ईनाम घोषित किया गया है। जांच में प्रकरण के अनुसंधान व विधिक अधिकारी द्वारा प्रदाय अभिमत के अनुसार थाना जौरा के अप.क्र. 719/23 धारा 365, 342, 294, 323, 506 भादवि का आरोपी मुलायम सिंह सिकरवार के विरूद्ध असत्य अपराध पंजीबद्ध होने संबंधी तथ्यों की पुष्टि नहीं हुई है जिस पर पुलिस अधीक्षक के पत्र क्रमांक/पुअ/मुरैना/शिकायत/मोस्ट अर्जेन्ट/07/25 के माध्यम से थाना प्रभारी थाना जौरा को अनुसंधान पूर्ण करने संबंधी निर्देश दिये गये है।

**संभागीय कार्यालयों की स्थापना**

**[ सामान्य प्रशासन ]**

**8. ता.प्र.सं. 6 (क्र. 1013) श्री दिनेश गुर्जर** : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** चम्बल संभाग किस दिनांक व वर्ष में बनाया गया? चम्बल संभाग बनाने के बाद किस-किस विभाग के संभागीय कार्यालय मुरैना में खोले जाने थे एवं मुरैना में वर्तमान में कौन-कौन से संचालित हैं? उनके आदेशों की कॉपी उपलब्ध करायी जाये एवं वर्तमान में संभागीय कार्यालय में कौन-कौन अधिकारी पदस्थ हैं, उनके भी आदेश की प्रति उपलब्ध कराई जाये। **(ख)** क्या चम्बल संभाग मुख्यालय मुरैना में सभी विभागों के कार्यालय खुल गये हैं? यदि हाँ, तो कब से संचालित हैं और यदि नहीं खुले हैं तो अब तक क्यों नहीं खोले गये? **(ग)** चम्बल संभाग का संभागीय कार्यालय स्कूल शिक्षा, आई.टी.आई. स्वास्थ्य विभाग, कोष लेखा आदि जो आज दिनांक तक नहीं खोले गये हैं, उनको खोलने के आदेश कब तक जारी होंगे? यदि कार्यालय खोले गए हैं तो उनके आदेश उपलब्ध करायें एवं किन-किन अधिकारी को कब-कब पदस्थ किया गया है? उनके आदेश भी उपलब्ध करायें।

**मुख्यमंत्री** : [ *(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ] **(क)** राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 26-10-73-सात-सा-1, दिनांक 1 फरवरी 1974 द्वारा चंबल संभाग का सृजन किया गया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुक्रम में संभागीय आयुक्त कार्यालय अनिवार्य है। अन्य के संबंध में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। वर्तमान में संचालित संभागीय कार्यालयों के आदेशों एवं उनमें पदस्थ अधिकारियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। प्रशासनिक व्यवस्था एवं आवश्यकता अनुसार वित्तीय भार को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय खोले जाते हैं। **(ग)** स्कूल शिक्षा, आई.टी.आई., स्वास्थ्य विभाग, कोष लेखा आदि के कार्यालय चंबल संभाग मुख्यालय पर नहीं खोले गये हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**पत्रकारों की सुरक्षा**

**[ जनसंपर्क ]**

**9. अता.प्र.सं.107 (क्र. 1016) श्री दिनेश गुर्जर** : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्तमान में पत्रकारों पर बिना जांच किए हुए एफ.आई.आर. दर्ज की जाती है या विस्तृत जांच के बाद ही एफ.आई.आर. दर्ज करने का निर्णय लिया जाता है? प्रदेश में गत 5 वर्षों में कितने पत्रकारों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई? सूची दें। क्या सभी मामलों में जांच उपरांत ही एफ.आई.आर. दर्ज की गई है? **(ख)** क्या पत्रकारों के लिए आवास, वेतन, स्वास्थ्य एवं पेंशन सुविधाओं के संबंध में वर्तमान में कोई दिशा निर्देश हैं? वर्तमान में पत्रकारों के आवास संबंधित कितने आवेदन विभाग एवं आवास आवंटन करने वाले अधिकारी के पास लंबित हैं? सूची दें। **(ग)** पत्रकार सुरक्षा कानून कब तक लागू किया जाएगा? कानून लागू नहीं किए जाने के पीछे क्या कारण है? क्या शासन पत्रकारों को उनके काम करने की स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करेगा और उन्हें बिना किसी डर के अपना काम करने में मदद करेगा?

***मुख्यमंत्री :*** *[ (क) **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)** जी हाँ, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है।** कार्यालय में उपलब्ध आवेदन अनुसार पत्रकारों को शासकीय आवास आवंटन के 127 आवेदन लंबित है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग)** पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के संबंध में दिनांक 20/09/2023 को समिति का गठन किया गया है। ]* **(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

**परिशिष्ट - "एक"**

**जिला न्यायालय भवन की स्वीकृति**

**[ विधि एवं विधायी कार्य ]**

**10. अता.प्र.सं.109 (क्र. 1020) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को** : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अनूपपुर जिले के अंतर्गत जिला सत्र न्यायालय के कार्यालय हेतु नवीन भवन स्वीकृत है? यदि हाँ, तो स्वीकृति दिनांक एवं लागत सहित बतावें? प्रश्न दिनांक तक उक्त भवन निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त भवन निर्माण हेतु स्थल चयन किया जाकर भूमि आवंटन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है? यदि हाँ, तो स्थान का नाम व खसरा नंबर सहित जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** उपरोक्तानुसार क्या माननीय जिला न्यायालय के कार्यालय भवन की स्वीकृति हुये काफी समय व्यतीत हो जाने, इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा होने के बावजूद भी अभी तक स्वीकृत न होने के क्या कारण रहे हैं? कब तक उक्त भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया जायेगा?

***मुख्यमंत्री :*** [ *(क) से (ग) **जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ] **(क)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी नहीं। जिला अनूपपुर, जैतहरी रोड में पुराना तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर वर्तमान जिला न्यायालय भवन की भूमि का आराजी खसरा नं.953/2, 954/2, 955/5, 956, 957, 958, 3026/1, 3026/2, 946/3030, 948/3031/2 रकबा 0.073 हे., 0.134 हे., 0.020 हे. कुल किता 10 है। जिसमें

जिला एवं सत्र न्यायालय संचालित है तथा जिला न्यायालय भवन से लगी निजी भूमि स्वामियों के खसरा नं.-943, 960/2 एवं 1069/4/2/1, 1069/4/2/2 क्रमश: रकबा 0.612 हे., 0.028 हे., 0.026 हे., एवं 0.028 हे. को अधिग्रहित किया जाना शेष है। **(ग)** विभागीय सूचकांक उपलब्ध न होने के कारण। निश्िचित समय-सीमा बतलाया जाना सम्भव नहीं है।

### बी.सी.एल.एल. को भुगतान

**[ जनसंपर्क ]**

**11. अता.प्र.सं.131 (क्र. 1171) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल :** क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक जनसंपर्क द्वारा भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड को कितने विज्ञापन जारी हुए किस विज्ञापन पर कितनी राशि का भुगतान हुआ किस दिनांक को हुआ का माहवार गौशवारा बनाकर जानकारी प्रदाय करें? **(ख)** उपरोक्त (क) अनुसार जो जनसंपर्क विभाग एवं भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (बीसीएलएल) के मध्य पत्राचार की छायाप्रति उपलब्ध कराएं। **(ग)** क्या जनसंपर्क विभाग द्वारा बी.सी.एल.एल. के निविदाकारों को राशि का भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो भुगतान कब-कब हुआ और भुगतान की गई राशि की जानकारी मय दस्तावेज प्रदाय करें? **(घ)** जनसंपर्क विभाग द्वारा बी.सी.एल.एल. को 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2019 तक और 1 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी राशि का भुगतान हुआ है की जानकारी प्रदाय करें?

**मुख्यमंत्री :** *[ (क) से (घ) जानकारी निरंक है। ]* **(क)** भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के कोई विज्ञापन जारी नहीं किये गये। **(ख)** उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

## <u>दिनांक 13 मार्च, 2025</u>

### मध्यप्रदेश राज्य संरक्षित स्मारकों की जानकारी

**[ संस्कृति ]**

**12. अता.प्र.सं.45 (क्र. 742) श्री उमाकांत शर्मा :** क्या राज्य मंत्री, संस्कृति, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल संभाग में किन-किन ऐतिहासिक इमारतें, पुरातात्विक स्थलों, सांस्कृतिक संपत्तियों आदि अन्य को विभाग द्वारा कब-कब संरक्षित किया गया है? संरक्षित स्मारक का नाम, स्थल, कब से संरक्षित है, की जानकारी जिलेवार, तहसीलवार देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त स्मारकों में 1 अप्रैल 2008 से प्रश्नांकित अवधि तक किन-किन सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराये गये हैं? सुरक्षा कर्मियों के नाम, पदस्थापना स्थल, मानदेय सहित माहवार जानकारी उपलब्ध करावें। विभाग द्वारा सुरक्षा एजेन्सियों को कितना-कितना भुगतान किया गया है? एजेन्सी का नाम, भुगतान राशि सहित तहसीलवार, जिलेवार, वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** विदिशा जिले में ऐतिहासिक इमारतें, पुरातात्विक स्थलों, सांस्कृतिक संपत्तियों आदि अन्य राज्य संरक्षित स्मारकों में

1 अप्रैल 2008 से प्रश्नांकित दिनांक तक कौन-कौन से सुरक्षा गार्डों को कितना-कितना मानदेय भुगतान किया गया है? सुरक्षाकर्मी का नाम, मानदेय, पदस्थापना स्थल सहित जानकारी उपलब्ध करावें तथा तहसील सिरोंज में म.प्र.राज्य संरक्षित स्मारकों पर पूर्व में लगभग 8-10 वर्षों से पदस्थ सुरक्षा गार्डों को किसके आदेश से दिनांक 27.04.2023 में हटाया गया है? आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा यदि बिना सूचना एवं आदेश के हटाया गया है, तो इसके लिए दोषी कौन हैं? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब-तक की जावेगी? **(घ)** प्रश्नांश (घ) के संदर्भ में विभाग अंतर्गत विदिशा में पदस्थ पुरातत्व संग्रहालय अधिकारी/कर्मचारी की अवैध वसूली तथा आर्थिक अनियमितताओं, फर्जी भुगतान की विभाग को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? किन-किन अधिकारियों द्वारा जाँच की गई? जाँच में दोषी कौन पाया गया? दोषियों पर कार्यवाही कब-तक की जावेगी? **(ड.)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में रावजी की हवेली सिरोंज, अंग्रेजों की कब्रे ग्राम सारंगपुर, तहसील सिरोंज आदि राज्य संरक्षित स्मारकों को किसके आदेश से राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में से हटाया गया है? आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा क्या प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 381/बीपीएल/2023 दिनांक 11.05.2023 आयुक्त पुरातत्व अभिलेखागार, बाणगंगा रोड भोपाल तथा पत्र क्रमांक 382/बीपीएल/2023 दिनांक 11.05.2023, पत्र क्र.393/बीपीएल/2023 दिनांक 16.05.2023 कलेक्टर विदिशा को तथा पत्र क्रमांक 384/बीपीएल/2023 दिनांक 11.05.2023 प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन को प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? पत्र की पावती एवं कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्ता को कब-कब अवगत कराया गया? पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो इसके लिए दोषी कौन हैं? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? बतावें तथा उक्त ऐतिहासिक रावजी की हवेली को म.प्र.राज्य संरक्षिक स्मारकों में शामिल कब-तक कर लिया जावेगा?

**राज्य मंत्री, संस्कृति :** ***[ (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]*** (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख)** अनुबंधित संस्था/सुरक्षा एजेन्सियों एवं उनको किए गए भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ग)** उत्तरांश (ख) में उल्लेखित सुरक्षाकर्मियों को मानदेय का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जाता है अपितु संबंधित सुरक्षा एजेंसी द्वारा किया जाता है। उक्त सुरक्षा गार्ड अनुबंधित सुरक्षा एजेंसी के होते हैं, जिनको हटाना या लगाना संबंधित एजेन्सी का उत्तरदायित्व होता है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ड.)** राज्य संरक्षित स्मारक रावजी की हवेली सिरोंज, अंग्रेजों की कब्रे ग्राम सारंगपुर, तहसील सिरोंज को राज्य शासन की मंशानुसार पुरातत्वीय दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण न होने के फलस्वरूप एवं रावजी की हवेली में शासकीय कन्या विद्यालय संचालित होने से साथ ही संरक्षण की अधिसूचना उपरांत उक्त हवेली का अधिपत्य विभाग को प्राप्त न होने की स्थिति में जनहित को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा इसे संरक्षित न रखने का निर्णय लिया गया। आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार।** प्रश्नांश में उल्लेखित पत्रों के संबंध में संचालनालय पुरातत्व के पत्र क्रमांक 1304 दिनांक 03.07.2023 द्वारा संबंधित को सूचित किया गया है। पत्र की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार।** शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## अनियमितता की जाँच

## [ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ]

**13. अता.प्र.सं.65 (क्र. 897) श्री बिसाहूलाल सिंह** : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर में वर्ष 2019-20 में दवाओं एवं उपकरणों के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी। जिसमें कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा दवा कंपनियों के साथ मिलीभगत कर निविदा की फाइनेंशियल बिड के मूल प्रारूप में षड़यंत्र पूर्वक तकनीकी हेराफेरी कर अपने चहेते दवा कंपनियों की फाइनेंशियल बिड स्वीकार कर करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार किये जाने का शिकायत हुआ था, जिसकी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में शिकायत होने पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ? यदि हाँ, तो उसमें दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार अगर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तो उसमें दोषी कौन-कौन थे और किनके विरूद्ध कार्यवाही हुई? प्रकरण पंजीबद्ध होने की जानकारी विभाग को दी गई है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा उक्त प्रकरण और क्या कार्यवाही किया? यदि नहीं, तो क्यों? जानकारी विभाग को नहीं दी गई विभाग की जानकारी न देने के पीछे दोषी कौन है? विभाग द्वारा जानकारी न देने वाले के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगी? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार वर्तमान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय अनूपपुर अंतर्गत कितने अधिकारी कर्मचारियों के विरूद्ध लोकायुक्त में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है? नामजन सूची उपलब्ध करावें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) अनुसार किसी भी अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध यदि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में प्रकरण पंजीबद्ध होने पर क्या उन्हें वित्तीय प्रभार दिये जाने का प्रावधान है? अथवा नहीं? यदि हाँ, तो नियमावली की छायाप्रति उपलब्ध करावें।

**उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा** : ***[ (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]***
**(क)** जी हाँ। संबंधित प्रकरण आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश भोपाल में अपराध क्रमांक 11/2024 दिनांक 27.03.2024 को पंजीयन किया गया है। **(ख)** जी हाँ, प्रकरण आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश भोपाल में अप. क्र. 11/2024 दिनांक 27.03.2024 को पंजीयन किया गया है, जिसमें डॉ. बी.डी. सोनवानी (तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनुपपूर), श्री बी.डी. सिंह (तत्कालीन ए.डी.एम, जिनका स्वर्गवास हो गया है।), डॉ. एस.आर. परस्ते, (तत्कालीन सिविल सर्जन, जिला अनुपपूर), डॉ. बी.पी. शुक्ला, (तत्कालीन मेडिकल विशेषज्ञ, जिला अनुपपूर), डॉ. डी.के. कोरी, (तत्कालीन निश्चेतना विशेषज्ञ, जिला अनुपपूर), डॉ. मोहन सिंह श्याम, (मेडिकल ऑफिसर, जिला अनुपपूर), श्री रामखेलावन पटेल, (तत्कालीन स्टोरकीपर, जिला अनुपपूर), श्री एम.के.दीक्षित, (तत्कालीन लेखापाल, जिला अनुपपूर), श्रीमती सुनैना तिवारी, (डायरेक्टर साईंस हाउस, भोपाल), श्री जितेन्द्र तिवारी, (डायरेक्टर साईंस हाउस, भोपाल), श्रीमती अनुजा तिवारी, (मेसर्स अनुसेल्स कार्पोरेशन, भोपाल), श्री शैलेष तिवारी, (मेसर्स एनसेल्स कार्पोरेशन, भोपाल) और श्री महेश बाबू शर्मा, (सिंको इंडिया, भोपाल) के नाम सम्मिलित है। वर्तमान में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश भोपाल में विवेचनाधीन है। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तर अनुसार श्री रामखेलावन पटेल, तत्कालीन स्टोरकीपर, जिला अनुपपूर तथा श्री एम.के.दीक्षित, तत्कालीन लेखापाल, जिला अनुपपूर कार्यालय

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनुपपूर में कार्यरत है तथा डॉ. एस.आर. परस्ते, तत्कालीन सिविल सर्जन, जिला अनुपपूर जिला चिकित्सालय अनुपपूर तथा डॉ. मोहन सिंह श्याम, मेडिकल ऑफिसर, जिला अनुपपूर के जैतहरी विकासखण्ड में मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत है। **(घ)** ऐसे कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं।

## भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक 2012 के मानदण्ड

**[ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ]**

**14. ता.प्र.सं. 3 (क्र. 1239) श्री पंकज उपाध्याय :** क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन ने भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक 2012 के न्यूनतम मानदंड में राज्य अनुसार संशोधन कर माना था? यदि हाँ, तो किस-किस मानक में क्या-क्या संशोधन क्यों किये गये? **(ख)** प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के विभिन्न कैटेगरी के चिकित्सालय अनुसार उनकी संख्या तथा इनमें विशेषज्ञ चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की संख्या बताएं? प्रत्येक कैटेगरी के कितने प्रतिशत पद कम है तथा कारण क्या है? इन चिकित्सालय में इलाज के दौरान इंडोर मरीजों के मृत होने की संख्या कितनी-कितनी है? चिकित्सालय की कैटेगरी अनुसार बताएं। **(ग)** वर्ष 2016 से 2024 तक विभिन्न कैटेगरी के चिकित्सालय में प्रसव तथा प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु तथा नवजात शिशु की मृत्यु की संख्या कितनी है तथा कितने प्रतिशत प्रसव ऑपरेशन से हुए? **(घ)** कैग द्वारा लोक स्वास्थ्य अधोसंरचना पर जारी 2024 के प्रतिवेदन में स्वास्थ्य सेवाओं पर कौन-कौन से निष्कर्ष से शासन सहमत है? **(ड.)** विधानसभा क्षेत्र जौरा अंतर्गत चिकित्सालय जौरा, कैलारस व समस्त उप-स्वास्थ्य केंद्रों में किस-किस रोग के विशेषज्ञ एवं सामान्य चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत, भरे एवं रिक्त हैं? जौरा एवं कैलारस दोनों चिकित्सालयों में चिकित्सा एवं जाँच हेतु क्या उपकरण होने चाहिये एवं क्या-क्या उपलब्ध हैं? कितने अनुपयोगी एवं बंद हैं? चिकित्सालयवार सूची प्रदान करायें।

**उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा :** ***[ (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है। ]*** (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख)** वर्तमान में प्रदेश अंतर्गत कुल 52 जिला चिकित्सालय, 161 सिविल अस्पताल, 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1442 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 10256 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब " एवं "स" अनुसार।** पदपूर्ति विभाग की एक निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। वर्ष 2024-25 में 5 में चिकित्सालयों की कैटेगरी के अनुसार इन्डोर मरीजों में मृतकों की संख्या की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "इ" अनुसार। (घ)** कैग से वर्षान्त 2022 की रिर्पोट वित्त विभाग के पत्र दिनांक 22/02/2025 के माध्यम से विभाग को प्राप्त हुई। नियमानुसार परीक्षण उपरांत आवश्यक कार्यवाही की जाती है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "फ" अनुसार।**

<u>पृथक वितरित उत्तर</u>

## स्वास्थ्य अधिकारियों की पदस्थापना एवं सामग्री क्रय

## [ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ]

**15. परि.अता.प्र.सं. 106 (क्र. 1251) श्री नारायण सिंह पट्टा :** क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग अंतर्गत ए.एन.एम., सीएचओ, एम.पी.डब्ल्यू. की मूल पदस्थापना से अन्य स्थान में कार्य करवाने हेतु क्या नियम हैं? मंडला जिले में ए.एन.एम., सीएचओ, एम.पी.डब्ल्यू. के नाम, मूल पदस्थापना एवं वर्तमान में कार्यरत स्थान की जानकारी उपलब्ध कराएं, सभी आदेशों की प्रतियाँ प्रदान करें? मूल पदस्थापना से अन्यत्र कार्य करवाने हेतु उक्त कर्मचारियों के आदेश किस नियम के तहत किस-किस के द्वारा किया गया है? इसके लिए कौन-कौन दोषी है? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? **(ख)** सीएमएचओ कार्यालय मंडला में फील्ड के कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं? किस नियम के तहत फील्ड के कर्मचारियों से सीएमएचओ कार्यालय में कार्य करवाया जा रहा है? **(ग)** वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक दवाइयां, उपकरण, प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब, किस-किस मद में जिला मंडला को प्रदाय की गई? इस राशि का व्यय/उपयोग कहाँ-कहाँ किस-किस कार्य में किया गया? सम्बंधित समस्त बिल व्हाउचरों की छायाप्रतियाँ उपलब्ध कराएं? **(घ)** क्या यह सही है कि कोरोनाकाल के दौरान जिले को प्रदाय राशि के उपयोग में गड़बड़ी एवं खरीदी में अनियमितता को लेकर तत्कालीन जिला कलेक्टर द्वारा जाँच करवाई गई थी? यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं? **(ड.)** जिले की आशा कार्यकर्ताओं को कुल कितनी एचबीएनसी किट वितरित की गई हैं? इस किट की खरीदी कहाँ से कितनी मात्रा में किस दर में की गई, बिलों की छायाप्रति उपलब्ध कराएं? क्या उक्त किट घटिया क्वालिटी की होने के कारण अनेक आशा कार्यकर्ताओं ने किट वापस की है? यदि हाँ, तो घटिया किट खरीदी हेतु कौन दोषी हैं? क्या इसकी जाँच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी? क्या संबंधित सप्लायर को ब्लैक लिस्ट किया जायेगा?

**उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा :** *[ (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है। ]* **(क)** विभाग अंतर्गत कार्य की आवश्यकता एवं उपलब्ध मानव संसाधन की कमी होने के कारण आपवादिक परिस्थितियों में प्रशासकीय कार्य समय-समय पर कराया जाता है। मूल पदस्थापना से अन्य स्थान में कार्य कराने हेतु पृथक से कोई नियम नहीं है। मण्डला जिले में ए.एन.एम., सीएचओ, एम.पी.डब्ल्यू. के नाम मूल पदस्थापना एवं वर्तमान में कार्यरत की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '1' एवं '2' अनुसार है।** आपवादिक परिस्थितियों में मूल पदस्थापना स्थान से अन्यत्र कार्य करवाने हेतु उक्त आदेश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मण्डला द्वारा किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय मण्डला में फील्ड का कोई कर्मचारी कार्य नहीं कर रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '3' एवं '4' अनुसार। (घ)** जी नहीं। **(ड.)** जिले की आशा कार्यकर्ताओं को कुल 1248 एनबीएचसी किट वितरित की गई है। 1248 एनबीएचसी किट की खरीदी जैम पोर्टल के माध्यम से 800 प्रति किट की दर से की गई है। बिलों की छायाप्रतियां **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '5' अनुसार।** जी नहीं। एनबीएचसी किट के संबंध

में कुछ आशा कार्यकर्ताओं ने संयुक्त हस्ताक्षर से किट की क्वालिटी के संबंध में शिकायत की है, जिसकी जांच किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**जी.एन.एम. पाठ्यक्रम**

**[ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ]**

**16. ता.प्र.सं. 2 (क्र. 1290) डॉ. सतीश सिकरवार** : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जी.एन.एम. पाठ्यक्रम के छात्र एक ही कक्षा में 3 वर्षों से अध्ययनरत हैं? यदि हाँ, तो क्यों? **(ख)** यदि हाँ, तो उक्त अध्ययनरत छात्रों का नामांकन करवा कर परीक्षा तिथि कब तक घोषित की जावेगी? **(ग)** उक्त पाठ्यक्रम या कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी छात्रवृति का भुगतान किया गया है? **(घ)** प्रदेश में उत्तीर्ण/रजिस्ट्रेशन हो चुके कितने छात्र-छात्राओं की एन.ओ.सी./माइग्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है एवं शेष छात्र-छात्राओं की एन.ओ.सी./माइग्रेशन की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर दी जायेगी? **(ड.)** प्रश्नांश (घ) के संबंध में शेष छात्र-छात्राओं की एन.ओ.सी./माइग्रेशन की प्रक्रिया क्यों पूर्ण नहीं हुई है एवं इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? क्या कार्यवाही की गई?

**उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा** : *[ (क) जी हाँ। माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण प्रचलन होने से लंबित था। (ख) जी हाँ। माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में नामांकन किया जाकर परीक्षा की समय-सारणी जारी की जा चुकी है।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र'अ' अनुसार*** *है। (ग) जी हाँ। छात्रवृत्ति भुगतान संबंधी* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार*** *है। एन.ओ.सी./माइग्रेशन सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। आवेदन प्राप्ति पर कार्यवाही की जाती है। (ड.) उत्तरांश (घ) अनुसार शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। ]* (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।**

<u>पृथक वितरित उत्तर</u>

**परीक्षाओं का संचालन**

**[ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ]**

**17. ता.प्र.सं. 16 (क्र. 1453) श्री जयवर्द्धन सिंह** : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक विभाग अन्तर्गत लोकायुक्त, सी.बी.आई., ई.ओ.डब्ल्यू., ई.डी. सहित अन्य जाँच एजेन्सियों में कितनी शिकायतें, एफ.आई.आर., किन के विरूद्ध, किन धाराओं में कब दर्ज हुई? संबंधितों के नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम, सहित संपूर्ण जानकारी गौशवारा बनाकर बतायें। **(ख)** उपरोक्त के अनुक्रम में कितने प्रकरणों में लोक अभियोजन की स्वीकृति चाही गई थी? कितने प्रकरणों में प्रदान की गई? कितने प्रकरणों में किन कारणों से लंबित है? **(ग)** क्या म.प्र. आयुर्विज्ञान वि.वि. जबलपुर एवं म.प्र. नर्सेस रजिस्ट्रेशन

काउंसिल के एकेडमी कैलेन्डर जारी किये गये थे? यदि हाँ, तो इसमें वर्णित किन कार्यों को निश्चित समयावधि में पूर्ण किया गया है? कितने कार्य किन कारणों से कब से लंबित हैं? उन पर कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी? **(घ)** प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक उपरोक्त संस्थानों में कितने छात्र-छात्राओं को परीक्षाओं के लिये पंजीकृत कर परीक्षा के संचालन की कार्यवाही की गई? जिलेवार, कॉलेजवार पृथक-पृथक बतायें। **(ड.)** उपरोक्त के अनुक्रम में नर्सिंग काउंसिल से गायब दस्तावेजों, सी.सी.टी.व्ही. फुटेज की शिकायत एवं एफ.आई.आर. की कॉपी और किसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? **(च)** वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में न्यायालयीन प्रकरणों में किन-किन अधिवक्ताओं को अनुबंधित किया गया? कितने प्रकरणों में किस दर से कब और कितना भुगतान किया गया?

**उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा :** ***[(क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]*** **(क)** लोकायुक्त तथा ई.ओ.डब्ल्यू से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" पर** है। संचालनालय में उपलब्ध **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" पर** है। सी.बी.आई. एवं ई.डी. की जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" एवं "ब" में समाहित** है। **(ग)** जी हाँ, मध्यप्रदेश आर्युविज्ञान वि.वि. जबलपुर द्वारा जारी किया गया है, कि **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" पर** है तथा मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" पर** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" एवं "द" में समाहित** है। **(ड.)** नर्सिंग कौंसिल से गायब दस्तावेजों के संबंध में रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल भोपाल ने ज्ञाप क्रमांक/म.प्र.न.रजि.कौ./2025/04, दिनांक 01.01.2025 पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय भोपाल को संबोधित कर कानूनी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया तथा प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा तात्कालिक रजिस्ट्रार श्रीमती अनिता चांद को दिनांक 21.02.2025 द्वारा निलंबित किया गया है। **(च)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" एवं "द" में समाहित है।**

<u>पृथक वितरित उत्तर</u>

## <u>दिनांक 17 मार्च, 2025</u>

### पिछड़ा वर्ग की स्वीकृत योजनाओं पर व्यय राशि

**[ पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ]**

**18. परि.अता.प्र.सं. 114 (क्र. 1736) श्री सुनील उईके :** क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जुन्नारदेव विधानसभा में पिछड़ा वर्ग की कौन-कौन सी योजनाएं स्वीकृत है एवं उस पर विगत दो वर्षों में कितनी राशि व्यय की जा चुकी है। **(ख)** पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिये शिक्षा हेतु जुन्नारदेव विधानसभा में कहां-कहां छात्रावास खोले गये है, और उनमें वर्तमान में कितने-कितने छात्र अध्ययनरत है और उनकी कितनी वार्षिक छात्रवृत्ति दी जा रही है। **(ग)** भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण शासकीय सेवाओं में दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शासकीय सेवाओं में वर्तमान में 14 प्रतिशत आरक्षण को

बढ़ाकर केन्द्र के समान 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर क्या विचार करेंगे। यदि हाँ, तो कब तक। **(घ)** क्या जुन्नारदेव विधानसभा में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु छात्रावास निर्माण हेतु स्वीकृत करने पर विचार करेंगे?

**राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण :** [ *(क) जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग की स्वीकृत योजनाओं की* ***जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार*** *है। योजनाओं में विगत दो वर्षों में व्यय की गई राशि की* ***जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार*** *है। (ख) विभाग अंतर्गत सभी जिला मुख्यालयों पर छात्रावास संचालित किए जाने की योजना है। पृथक से विधानसभावार छात्रावास संचालित नहीं हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* ***(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ)*** *जी नहीं। तहसील स्तर पर छात्रावास खोलने की विभाग स्तर पर कोई योजना संचालित नहीं है। ]* **(ग)** जी हाँ। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.08.2019 द्वारा पिछड़े वर्ग को आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% स्थापित किया गया है।

## <u>दिनांक 18 मार्च, 2025</u>

### गरीबी रेखा के राशन कार्ड

### [ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ]

**19. परि.अता.प्र.सं. 3 (क्र. 52) डॉ. रामकिशोर दोगने :** क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या गरीबी रेखा के राशन कार्ड शासन द्वारा बनाये जाना बंद कर दिया गया है। **(ख)** यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है। जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** यदि नहीं तो, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रानुसार गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनाये जाने क्या-क्या नियम व प्रावधान है। विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें। **(घ)** विगत पाँच वर्षों में हरदा जिला अंतर्गत कितने पात्र हितग्राहीयों को शासन द्वारा गरीबी रेखा के राशन कार्ड जारी किए गए है एवं कितने हितग्राहियों को अपात्र किया गया है व क्यों? विकासखण्डवार, व्यक्तिवार, ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें।

**खाद्य मंत्री :** ***[ (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। ]*** **(क)** जी हाँ। **(ख)** विभाग के प्रस्ताव पर मध्यप्रदेश शासन लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा अधिसूचना क्र.257 दिनांक 07.06.2017 लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 में संशोधन कर खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग की बीपीएल/एपीएल राशन कार्ड जारी होने की सुविधाओं के स्थान पर सेवा क्र. 9.1 से 9.4 पर नवीन पात्रता पर्ची जारी होना, नाम सुधार, नाम जोड़ना, नाम काटना, पता परिवर्तन एवं स्थानांतरण (मध्यप्रदेश के अंदर) आदि की सुविधा को जोड़ा गया है। इस संदर्भ में संचालक खाद्य द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए। वर्तमान में प्रदेश में पात्रता पर्ची (ई-राशनकार्ड) पर बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन वितरण व्यवस्था लागू होने से राशनकार्ड का औचित्य समाप्त हो गया है। अधिसूचना एवं संचालक खाद्य के पत्र की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है।** **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।**

## राजस्व ग्रामों के अभिलेखों में सुधार
## [ वन ]

**20. ता.प्र.सं. 3 (क्र. 933) श्रीमती मनीषा सिंह** : क्या राज्य मंत्री, वन, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शहडोल संभाग के अंतर्गत किस-किस जिले में कितने-कितने राजस्व ग्रामों के राजस्व अभिलेखों को पटवारी मानचित्र में वर्ष 1980, 2000 एवं 2020 में कितनी-कितनी गैरखाते की दखल रहित जमीन दर्ज की है तथा यह जमीन किस-किस सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिये किस-किस वन विभाग एवं गैर वन विभाग की जमीन के अंतर्गत है? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार पटवारी मानचित्र एवं राजस्व अभिलेखों में दर्ज कितनी-कितनी दखल रहित भूमि किस वनमण्डल के वर्किंग प्लान में शामिल कर वन विभाग के कब्जे में की गई है तथा इनमें से कितनी भूमियों की किस अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष भा.व.अ. 1927 की धारा 5 से 19 तक जांच की गई है और कितने की जांच अभी तक लंबित है? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार गैर खाते की दखल रहित जमीनों को वर्किंग प्लान में दर्ज करने, संरक्षित वन प्रतिवेदित करने, कब्जा करने की अनुमति कलेक्टर एवं आयुक्त ने किस-किस दिनांक को भू-राजस्व संहिता 1959 की किस धारा के अनुसार प्रदान की है? आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) अनुसार कलेक्टर शहडोल, उमरिया एवं अनूपपुर कब तक गैर खाते की वर्किंग प्लान में दर्ज भूमि वन विभाग को आवंटित करने का आदेश जारी करेंगे?

**राज्य मंत्री, वन** : *[ (क) राजस्व विभाग से संबंधित होने के कारण* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ***(ख)*** *शहडोल वृत्त की समस्त दखल रहित भूमियां रीवा राजदरबार की अधिसूचना दिनांक 08.02.1937 से संरक्षित वनभूमि है। प्रश्नांश की शेष* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार*** *है।* ***(ग)*** *समस्त दखल रहित भूमियां भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रभावशील होने के पूर्व से रीवा राजदरबार की अधिसूचना दिनांक 08.02.1937 से संरक्षित वन है। भू-राजस्व संहिता धारा-1 (2) अनुसार राजस्व उगाही से संबंधित मामलों को छोड़कर शेष उपबंध संरक्षित/आरक्षित वन भूमि पर लागू नहीं होते हैं।* ***(घ)*** *उत्तरांग (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। ]* जिला अनूपपुर:- वर्ष 1980 एवं 2000 में अनूपपुर जिला अस्तित्व में नहीं था। वर्ष 2020 में दखल रहित भूमि का रकबा 150201 हेक्टेयर दर्ज है, जो आबादी, अमराई, चारागाह, चरनोई, बीड, इमारत, सड़क आदि सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए राजस्व विभाग (गैर वन विभाग) की जमीन के अंतर्गत है। जिला उमरिया:- वर्ष 1980 में उमरिया जिला अस्तित्व में नहीं था। जिला उमरिया अंतर्गत 683 राजस्व ग्राम है। राजस्व अभिलेखों को पटवारी मानचित्र में वर्ष 2000 में 41999 हेक्टेयर, 2020 में 21907 हेक्टेयर गैर खाते की दखल रहित जमीन दर्ज है, जो कास्तकारी काम में लायी गई भूमि आबादी, अमराई, चारागाह, इमारत व सड़क आदि सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजन के लिए राजस्व विभाग (गैर वन विभाग) की जमीन के अंतर्गत है। जिला शहडोल:- शहडोल जिले में 886 राजस्व ग्रामों के राजस्व अभिलेखों को पटवारी मानचित्र में वर्ष 1980 में 90540 हेक्टयेर, 2000 में 85875 हेक्टयेर, 2020 में 75115 हेक्टेयर गैर खाते की दखल रहित जमीन दर्ज है, जो गैर काश्तकारी काम में लाई गई भूमि मुस्तगिल व दीगर चारागाह, दीगर झाड़ के झुण्ड व बाग, पानी के नीचे, इमारती व सड़क आदि सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए राजस्व विभाग (गैर वन विभाग) की जमीन के अंतर्गत है।

## प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही

## [ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ]

**21. परि.अता.प्र.सं. 38 (क्र. 969) श्री अभय मिश्रा :** क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विधानसभा प्रश्न क्रमांक 523 दिनांक 20 दिसंबर 2024 की जानकारी एकत्रित की जा रही है उत्तर दिया गया है यदि हाँ, तो जानकारी की प्रति देते हुये बताये कि प्रश्न अनुसार कब किन-किन पर कौन-कौन सी कार्यवाही की गई अगर नहीं तो क्यों? **(ख)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्नांश (क) के तारतम्य में पत्र क्रमांक 599 दिनांक 15.10.2024 एवं पत्र क्रमांक 679 दिनांक 08.11.2024 के द्वारा मुख्य सचिव म.प्र. शासन भोपाल को जाँच एवं कार्यवाही हेतु पत्र लिखा गया था एवं जिसके पालन में मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को जावक क्रमांक 9361 दिनांक 21.10.2024 एवं क्रमांक 10748 दिनांक 13.11.2024 द्वारा पत्र प्रेषित कर आगामी कार्यवाही का लेख किया गया था। इसी तरह विभाग के पत्र क्रमांक/126/2467935/2024/29-1 भोपाल दिनांक 10.01.2025 के द्वारा प्रबंध संचालक म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन भोपाल को राज्य शासन के आदेश क्रमांक/3124 दिनांक 19 दिसंबर 2024 द्वारा दिये गये प्रतिवेदन अनुसार जिला प्रबंधक कटनी श्री तिवारी के विरुद्ध गंभीर अनियमितताएं पाई जाने से जिसमें श्री देवेन्द्र तिवारी को निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये अवगत कराने का लेख किया गया यदि हाँ, तो उपरोक्त पत्रों पर की गई कार्यवाही का पत्रावार विवरण देवें। श्री तिवारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ विभागीय जांच संस्थित की गई तो जांच किस स्तर पर लंबित है तथा क्या वसूली के साथ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करने के निर्देश देंगे अगर नहीं तो क्यों? **(ग)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में श्री तिवारी द्वारा विभाग में रहते हुये माननीय उच्च न्यायालय से कब-कब, किन-किन प्रकरणों में स्थगन प्राप्त किया गया का प्रकरणवार विवरण देवें तथा स्थगन समाप्ति बावत विभाग द्वारा कब-कब, कौन-कौन सी कार्यवाही की गई, न्यायालय में प्रस्तुत जवाब की प्रति देंवे? **(घ)** प्रश्नांश (क) अनुसार समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराने दोषियों को बचाने का प्रयास करने एवं प्रश्नांश (ख) के पत्रों का समय पर निराकरण न करने के लिये कौन-कौन उत्तरदायी है उन पर कार्यवाही के क्या निर्देश देंगे यदि नहीं तो क्यों?

**खाद्य मंत्री :** ***[ (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। ]*** **(क)** विधानसभा प्रश्न क्रमांक 523 के संबंध में जानकारी प्रेषित की जा चुकी है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख)** विभाग के पत्र क्रमांक 126/2467935/2024/29-1 भोपाल दिनांक 10.01.2025 के द्वारा प्रबंध संचालक म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन भोपाल को राज्य शासन के आदेश क्रमांक 3124 दिनांक 19 दिसंबर 2024 द्वारा दिये गये प्रतिवेदन अनुसार जिला प्रबंधक कटनी श्री तिवारी के विरुद्ध गंभीर अनियमितताएं पाई जाने से जिसमें श्री देवेन्द्र तिवारी की निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये अवगत कराने का लेख किया गया था। राज्य शासन खाद्य विभाग द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 19/12/2024 के अनुक्रम में कारपोरेशन द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी :- 1. प्रदाय केंद्र प्रभारी के विरुद्ध कार्यवाही कारपोरेशन के प्रदाय केंद्र पर प्राप्त होने वाले स्कंध के सम्बन्ध में प्राथमिक रूप से सीधे तौर पर केंद्र प्रभारी ही जिम्मेदार होता है। केंद्र प्रभारी

श्री भगवानदीन कुशवाहा द्वारा दस्तावेजों का परिक्षण एवं राय वेयरहाउस गोदाम में 03 लाट चावल वास्तव में प्राप्त हुआ है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में भौतिक सत्यापन किये बिना कूटरचित दस्तावेज (ऑनलाइन स्वीकृति पत्रक) जारी किये गए। अतः गोदाम पर अप्राप्त स्कंध के ऑनलाइन स्वीकृति पत्रक जारी कर अनियमितता करने वाले केंद्र प्रभारी श्री भगवानदीन कुशवाहा को आदेश दिनांक 22-01-2025 द्वारा निलंबित किया गया है आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित कर दी गई है, कार्यवाही प्रचलन में है। 2. सर्वेयर के विरुद्ध कार्यवाही नियमानुसार प्राप्त चावल को डंप किया जाता है उसके पश्चात सर्वेयर द्वारा गुणवता परिक्षण किया जाता है। विचाराधीन प्रकरण में बिना स्कंध का भौतिक रूप से परिक्षण किये सर्वेयर द्वारा ऑनलाइन गुणवता परिक्षण दर्शाया गया। इस प्रकार सर्वेयर द्वारा की गयी अनियमितता के लिए कारपोरेशन मुख्यालय गुणवता कक्ष के माध्यम से सर्वेयर एजेंसी के श्री गौरख मिश्रा की सेवा वापस कर दी गई है। अनुबंध कंडिका 5.2.1 के प्रावधान अनुसार सर्वेयर प्रदाय कम्पनी के कटनी जिले के माह अक्टूबर 2024 के देयक से 5% राशि रूपये 7965/- का कटौत्रा किया गया है। 3. MPWLC शाखा प्रबंधक के विरुद्ध कार्यवाही गोदाम पर अप्राप्त स्कंध का गतेपस जारी करने के कारण जाँच प्रतिवेदन आधार पर MPWLC के सम्बंधित कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पत्र दिनांक 23-01-2025 प्रेषित किया गया है। 4. मिलर के विरुद्ध कार्यवाही मिलर राय इंडस्ट्री के विरुद्ध मिलिंग नीति एवं अनुबंध के तहत कारपोरेशन मुख्यालय मिलिंग शाखा द्वारा कार्यवाही की जा रही है। 5. जिला प्रबंधक कटनी के विरुद्ध कार्यवाही कारपोरेशन जिला प्रबंधक कर कार्य मूल रूप से जिले से सम्बंधित समस्त कार्यो का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण होता है। धान मिटिंग वो प्रचलित प्रक्रिया में चावल के डिपॉजिट आर्डर जिला कार्यालय द्वारा ऑनलाइन जारी किये जाते है। जाँच प्रतिवेदन में धान मिलिंग हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर्यवेक्षनीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किये जाने एवं मिलर्स के प्रति पक्षपातपूर्ण किया जाना प्रतिवेदित किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में दिनांक 10-01-2025 को श्री देवेन्द्र तिवारी जिला प्रबंधक कटनी को कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित किया गया। श्री देवेन्द्र तिवारी तत्कालीन जिला प्रबंधक को जारी कारण बताओं सूचना पत्र का प्रत्युत्तर समाधानकारक नहीं होने से आरोप पर दिनांक 17.03.2025 को जारी किया गया है। श्री देवेन्द्र तिवारी द्वारा प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर दिया गया है, कार्यवाही प्रचलन में है। **(ग)** श्री देवेन्द्र तिवारी जिला प्रबंधक रीवा के विरुद्ध मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल से प्राप्त शिकायत दिनांक 08/04/2024 के अनुक्रम में राज्य शासन खाद्य विभाग आदेश दिनांक 24/04/2024 से उनकी सेवाएं मूल विभाग को वापस की गयी थी। श्री देवेन्द्र तिवारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका क्रमांक/WP-11530/2024 दायर की गयी जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06/05/24 को स्थगन, आदेश पारित किया गया। प्रकरण माननीय न्यायालय में अंतिम सुनवाई हेतु नियत है। कारपोरेशन मुख्यालय आदेश दिनांक 22/11/2024 द्वारा श्री देवेन्द्र तिवारी जिला प्रबंधक कटनी को स्थानांतरित कर मुख्यालय पदस्थ किया गया था एवं श्री के एल शर्मा प्रबंधक वित्त को मुख्यालय संलग्नीकरण समाप्त करते हुए प्रभारी जिला प्रबंधक कटनी के पद पर पदस्थ किया गया था। श्री देवेन्द्र तिवारी द्वारा स्थानांतरण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका WP-38117/2024 दायर की गयी। जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 05-12-2024 जारी कर आदेश दिनांक 22/11/2024 पर रोक लगाई गयी। उपरोक्त दोनों प्रकरण

माननीय न्यायालय में अंतिम सुनवाई हेतु नियत है। **(घ)** प्रश्नांश (ख) अनुसार कारपोरेशन को प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में नियमानुसार त्वरित कार्यवाही की गयी है।

## कृषि उपज का भण्डारण और वितरण

**[ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ]**

**22. अता.प्र.सं.61 (क्र. 1642) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह :** क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक–1168, दिनांक–14/02/2024 के प्रश्नांश (घ) का उत्तर क्या था? उत्तरानुसार किन-किन भण्डारग्रहों के स्कन्ध का किन-किन शासकीय सेवकों के पर्यवेक्षण में कब-कब परिदान कराया गया? **(ख)** विगत-03 वर्षों में कटनी जिले के भण्डारग्रहों में खाद्यान्न भण्डारण में अनियमितताओं के कौन-कौन से प्रकरण किस प्रकार और कब-कब ज्ञात हुये? प्रकरणों में प्रश्न दिनांक तक की गयी जांच एवं कार्यवाही से अवगत कराइए। **(ग)** क्या विधानसभा प्रश्न क्रमांक–1453, दिनांक 22/12/2022 के प्रश्नांश (ग) का उत्तर-"जब नान एफ.ए.क्यू. राशन प्रदाय होने की जानकारी प्राप्त होती हैं, तो उसको उसी स्तर पर वितरण के पूर्व ही वापस कर एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता का राशन प्रदाय कर वितरण कराया जाता हैं?" **(घ)** प्रश्नांश (ग) जब गुणवत्ता की जांच कर खाद्यान्न क्रय एवं भंडारित किया जाता हैं, तो नान एफ.ए.क्यू. खाद्यान्न किस प्रकार भंडारित हुआ और जब शासकीय सेवकों द्वारा स्टेक का चयन किया तो नान एफ.ए.क्यू. खाद्यान्न वितरण हेतु कैसे पहुँचा? स्पष्ट कीजिये और क्या लगातार हो रही अनियमितताओं का संज्ञान लिया जाकर कार्यवाही की जाएंगी? **(ड.)** क्या कटनी जिले में धान मिलिंग एवं मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना के तहत खाद्यान्न के परिवहन में वर्ष 2022 से अनियमितताओं के प्रकरण ज्ञात हैं और शासकीय सेवकों द्वारा जांच भी की गयी हैं? हाँ, तो क्या-क्या अनियमितता के कौन-कौन से प्रकरण किस प्रकार, कब-कब ज्ञात हुये? प्रकरणों में प्रश्न दिनांक तक की गयी जांच एवं कार्यवाही से अवगत कराइए?

**खाद्य मंत्री :** [ *(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है। ]* **(क)** प्रश्न क्रमांक 1168 के प्रश्नांश (घ) का उत्तर **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। गोदामों में भंडारित स्कन्ध का परिदान मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के केन्द्र प्रभारी एवं मध्यप्रदेश वेयर हाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन के गोदाम प्रभारी/शाखा प्रबंधक की उपस्थिति में कराया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ख)** कटनी जिले में भंडारण के दौरान पाई गई अनियमितता एवं की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। **(घ)** गोदामों में लंबी अवधि तक स्कन्ध के भंडारण करने पर गुणात्मक ह्रास होने, यदाकदा हैण्डलिंग के समय गोदामों में शेष पाला आदि मात्रा रखते समय नॉन एफएक्यू खाद्यान्न का परिवहन होने की संभावना रहती है। कटनी जिले में निरंतर ऐसी घटनाएँ घटित नहीं हुई हैं। जिले में ऐसे प्रकरण संज्ञानित होने पर पात्र परिवारों को वितरण के पूर्व खाद्यान्न बदलकर एफएक्यू गुणवत्ता के खाद्यान्न का वितरण कराया जाता है। **(ड.)** कटनी जिले में वर्ष 2022 से धान मिलिंग में अनियमितता के प्रकरण एवं की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'द' अनुसार** है। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत अनुबंधित एक परिवहनकर्ता द्वारा उचित मूल्य दुकान पर निर्धारित मात्रा से कम राशन सामग्री प्रदाय करने के कारण निर्मित प्रकरण पर कार्यवाही प्रचलित है।

## ऑफ लाइन खाद्यान्न वितरण में अनियमितताएं

## [ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ]

**23. अता.प्र.सं.85 (क्र. 1964) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे** : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा सत्र फरवरी 2024 में पूछे गये प्रश्न कमांक 1448 दिनांक 14.02.24 के उत्तर में अशोकनगर जिले में पीएमजीवाय योजनान्तर्गत खाद्यान का ऑफलाईन वितरण में गंभीर अनियमिततायें करने की आरोपी मनोरमा कौशिक जे.एस.ओ. के विरूद्ध की गई शिकायत की जांच संचालनालय के अधिकारी से एक माह में कराने संबंधी दिये आश्वासन के पालन में क्या खाद्य संचालनालय के आदेश क्रमांक 1806 भोपाल दिनांक 26/03/2024 से नियुक्त किये शिकायत जांच दल ने उक्त शिकायत की जांच पूर्ण कर ली गई है? जाँच में किसे दोषी पाया तथा उसके विरूद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गई? प्रतिवेदन की प्रति सहित जानकारी उपलब्ध करायी जाये। यदि जांच अभी पूर्ण नहीं हुई तो विलम्ब के क्या कारण हैं, कब तक जाँच पूर्ण कर ली जायेगी? **(ख)** क्या जिले में पीएमजीवाय योजना में वर्ष 2020-21 खाद्यान के ऑफलाईन वितरण की मात्रा की वसूली वास्तविक आरोपियों से न कर आरोपित संस्थाओं द्वारा संलग्न शा.उ.मू.दु. से कमीशन की वसूली की जा रही है? इस प्रकार अन्य संस्था, पदाधिकारी से वसूली की जाना क्या वैधानिक है? यदि नहीं तो क्या शासन निर्देशों से वसूली गयी राशि वापस करायेंगे व एफ.आई.आर. दर्ज कराकर तथा वास्तविक दोषियों से वसूली करायेगा? यदि हाँ, तो प्रकरण की वास्तविक दोषियों की पूर्ण जानकारी नाम/संस्था सहित दी जाये। **(ग)** प्रश्नांश (ख) अंतर्गत संस्था मार्केटिंग सोसायटी ईसागढ़, सेवा सह.सं. पिपरिया के विक्रेताओं ने मा.उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिकाओं में फर्जी कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर एकपक्षीय स्थगन प्राप्त करने संबंधी प्रकरण में राजीव जैन की शिकायत की छायाप्रति सहित स्थगन समाप्त करने हेतु की गई कार्यवाही की पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जाये। जिला खाद्य कार्यालय अशोकनगर में वर्तमान में पदस्थ अधिकारी का नाम व कब से पदस्थ हैं तथा इन अधिकारियों को आवंटित कार्य की पूर्ण जानकारी नाम, पदनाम सहित उपलब्ध करायी जाये।

**खाद्य मंत्री** : ***[ (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। ]*** **(क)** जी हाँ, जांच पूर्ण कर ली गई है। प्रकरण में आगामी कार्यवाही प्रचलित है। जांच प्रतिवेदन **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख)** संचालक महोदय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्र क्रमांक/534/एण्ड-टू-एण्ड/2023 भोपाल दिनांक 24.01.2023 के माध्यम से दुकानों के आगामी कमीशन से वसूली की जा रही है। भारत सरकार द्वारा अनऑटोमेटेड वितरित मात्रा के अनुदान राशि प्राप्त होने पर उचित मूल्य दुकानों के समायोजित कमीशन राशि का भुगतान कर दिया जावेगा। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ग)** शिकायत की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है। मार्केटिंग सोसायटी ईसागढ़ विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य के संबंध में WP/31660/2024 में दिनांक 17.10.2024 को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर ने स्थगन दिया, जिसे समाप्त करने हेतु शासन की ओर से दिनांक 02.12.2024 को जबाव प्रस्तुत किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार** है। श्री संदीप सिंह एवं अन्य विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य के संबंध में WP/31619/2024 में दिनांक 17.10.2024 को

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर ने स्थगन दिया, जिसे समाप्त करने हेतु जबाव प्रस्तुत किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ई" अनुसार** है। जिला खाद्य कार्यालय अशोकनगर में वर्तमान में पदस्थ अधिकारियों की वांछित जानकारी के संबंध में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "फ" अनुसार** है।

## म.प्र. राज्य नागरिक आपूति निगम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्य

**[ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ]**

**24. अता.प्र.सं.127 (क्र. 2171) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के क्या कार्य हैं? संभाग कार्यालय जबलपुर एवं जिला कार्यालय कटनी में कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी किस-किस पद पर कब से कार्यरत/पदस्थ हैं? इनके क्या-क्या कार्य एवं दायित्व नियत हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) कार्यरत किस नाम/पदनाम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विगत-03 वर्षों में क्या-क्या कार्य और दायित्वों का निर्वहन किया गया? अधिकारी/कर्मचारीवार बताइये और क्या इन्हें किन्हीं प्रकरणों में कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया? हाँ, तो क्यों और प्रकरण में प्रश्न दिनांक तक की गयी कार्यवाही से अवगत कराइए। **(ग)** कटनी जिले में जिला उपार्जन समिति द्वारा खरीफ उपार्जन वर्ष 2022-23 से 2024-25 में वर्षवार धान खरीदी हेतु क्या-क्या अनुशंसाये की गयी? उपार्जन केन्द्रों से भंडार केन्द्रों की मैपिंग से अवगत कराइए और बताइये उपार्जित धान, किन-किन केन्द्रों से कितनी-कितनी दूरी पर स्थित किन-किन भंडार केन्द्रों/ओपन कैपो में कब-कब भंडारित की गयी? **(घ)** प्रश्नांश (ग) प्रश्नांकित वर्षों में धान परिवहन का कार्य किस ठेकेदार कंपनी द्वारा किस-किस वर्ष में अनुबंध की किन-किन शर्तों के अध्याधीन किया गया? कार्य के दौरान किन-किन शर्तों का उल्लंघन होना पाया गया? **(ड.)** प्रश्नांश (ख) से (ड.) के तहत कटनी जिले में विगत-03 वर्षों में नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यों में क्या-क्या अनियमितता कब-कब पायी गयी? अनियमितताओं की किन-किनके द्वारा कब-कब जांच की गयी? जांच के क्या परिणाम रहें? प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी? प्रकरणवार बताइये।

**खाद्य मंत्री** : ***[ (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है। ]*** **(क)** म.प्र.राज्य नागरिक आपूर्ति निगम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रमुख कार्य निम्नानुसार है:-1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत खाद्यान्न, शक्कर एवं नमक की पूर्ति यूवा अन्नदूत योजना के माध्यम से कराई जाती है। 2. शासन के निर्देशानुसार, गेहूं, धान एवं मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा) उपार्जन एवं परिवहन कार्य कराया जाता है। 3. पंजीकृत मिलरों के माध्यम से मिलिंग कार्य कराया जाता है। 4. मुख्यालय के निर्देशानुसार अनुबंधित परिवहनकर्ताओ के द्वारा रैक एवं रोड के माध्यम प्रदेश में खाद्यान्न की पूर्ति कराई जाती है। संभाग कार्यालय जबलपुर एवं जिला कार्यालय कटनी पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है। **(ख)** विगत 03 वर्षो में नाम/पदनाम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** अपने कर्तव्यों का निर्वाहन किया गया है। कर्मियों को जारी कारण बताओ सूचना पत्र की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है। **(ग)** उपार्जन वर्ष 2022-23 से 2024-25 में वर्षवार मैपिंग की जानकारी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार** है। उपार्जन केंद्र से प्रेषित धान का संग्रहण की जानकारी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4**

**अनुसार** है। जिला उपार्जन समिति द्वारा उपार्जन नीति के अतिरिक्त कोई अनुशंसा नहीं की गई। जिला उपार्जन समिति की अनुशंसा की प्रति **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार** है। **(घ)** जिले में वर्ष 2022-23 परिवहनकर्ता:- 1. मेसर्स राहुल सलूजा सेक्टर स्लीमनाबाद 2. मेसर्स जय श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी सेक्टर कटनी। वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 परिवहनकर्ता:- 1. मेसर्स जीआरसी ट्रोसपोर्ट सर्विस सेक्ट स्लीमनाबाद 2. मेसर्स जय श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी सेक्टर कटनी द्वारा धान परिवहन का कार्य किया गया है। अनुबंध की प्रति **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार** है। शेष जानकारी निरंक है। **(ड.)** विगत 03 वर्षों में कटनी जिले में अनियमितता संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-7 अनुसार** है।

## <u>दिनांक 20 मार्च, 2025</u>

### ग्राम स्वराज अधिनियम एवं अधिकार

### [ पंचायत एवं ग्रामीण विकास ]

**25. परि.अता.प्र.सं. 99 (क्र. 2380) श्री संजय उइके :** क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति को म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम एवं नियमों प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदान के अधिकार प्रदत किये गये है एवं जिला पंचायत अध्यक्षों को आदेश क्रमांक/पं.रा./एफ-1/2024/064 भोपाल दिनांक 05-07-2024 के द्वारा अधिकार बाबत् निर्देश जारी किया गया है? **(ख)** यदि हाँ, तो अधिनियम की किस-किस धारा एवं कौन-कौन से नियमों में सामान्य प्रशासन समिति को अधिकार प्रदत्त किये गये हैं? **(ग)** क्या बालाघाट जिला पंचायत में सामान्य प्रशासन समिति एवं अध्यक्ष जिला पंचायत को प्रदत्त अधिकारों का पालन किया गया है? हाँ तो वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक सामान्य प्रशासन समिति के संकल्पों की प्रति एवं सामान्य प्रशासन समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखे गये प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रकरणों की प्रति और जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आदेशानुसार प्रस्तुत प्रकरणों की प्रति उपलब्ध करावें।

**पंचायत मंत्री :** ***[ (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है। ]*** (ग) जी हाँ। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

### फर्जी नियुक्ति एवं बैंक में फर्जीवाड़े

### [ सहकारिता ]

**26. अता.प्र.सं.166 (क्र. 2528) श्री जयवर्द्धन सिंह :** क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 08.11.24 को आयुक्त, सहकारिता, विन्ध्याचल भवन, भोपाल को कोई शिकायत बहु. प्राथ. कृषि साख सहकारी समिति मर्या. संस्था बेदाखेड़ी, शाखा कोटरी, जिला सीहोर के खिलाफ फर्जी नियुक्ति के संबंध में प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उक्त शिकायत पर प्रश्न दिनांक तक कब और क्या कार्यवाही किसके द्वारा की गई? शिकायत की प्रति, जांच अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम, जांच प्रतिवेदन, विभाग को कब प्राप्त हुआ सहित संपूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों आदेशों सहित बतायें।

**(ख)** चंदेरी बैंक में हुये फर्जीवाड़े के संबंध में प्रश्नकर्ता से विभाग को कितने विधानसभा प्रश्न प्राप्त हुये थे, उन पर कब और क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की जाकर कितनी राशि प्राप्त की गई? अद्यतन स्थिति तक बैंक के पास कुल कितनी पूंजी कितने उपभोक्ताओं की पूर्ण रूप से है? शेष पूंजी प्राप्त करते हुये क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतायें। **(ग)** सहकारिता विभाग की प्रदेश में कुल कितनी चल एवं अचल संपत्ति है। जिलेवार संपूर्ण ब्यौरा दें।

**सहकारिता मंत्री : [ (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। ] (क)** जी हाँ। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, म.प्र. के कार्यालयीन पत्र दिनांक 26.11.2024 से उपायुक्त सहकारिता जिला सीहोर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीहोर को जॉच हेतु निर्देशित किया गया। जॉच अधिकारी श्री मनोज शर्मा, सहायक प्रबंधक द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीहोर को प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन दिनांक 26.12.2024 उपायुक्त सहकारिता जिला सीहोर के पत्र दिनांक 16.01.2025 से कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. को दिनांक 27.01.2025 को प्राप्त हुआ। जॉच प्रतिवेदन के तथ्यों से शिकायतकर्ता को पत्र दिनांक 06.02.2025 से अवगत कराया गया। प्रश्नांश की शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–2 अनुसार है।** जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित गुना द्वारा बैंक की शाखा चंदेरी में दोषी पाये गये कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले स्वत्वों से राशि रू. 20.19 लाख शोक्त किया जाकर गबन के विरूद्ध समायोजित कर ली गई है। अद्यतन स्थिति तक बैंक के पास शाखा चंदेरी के गबन से प्रभावित उपभोक्ताओं की पूंजी बैंक के पास नहीं है। गबन से प्रभावित उपभोक्ताओं की पूंजी प्राप्त की जाने हेतु बैंक के द्वारा दोषियों एवं दोषी कर्मचारी के वारिसानों की संपत्ति से वसूली हेतु म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 64 के अंतर्गत न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें गुना में वाद दायर किया गया है तथा सहकारी अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत अटेचमेंट बिफोर आवार्ड की कार्यवाही कर दोषी कर्मचारी एवं उनके वारिसान की संपत्ति बैंक के पक्ष में संलग्न की गई है। म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 64 के अंतर्गत दोषियों की संपत्ति का आवार्ड पारित होने एवं संपत्ति के विक्रय उपरांत प्राप्त राशि से उपभोक्ताओं की गबन राशि का भुगतान किया जा सकेगा। वर्तमान में प्रकरण की जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की शाखा ग्वालियर द्वारा की जा रही है। **(ग)** प्रश्नांश की जानकारी प्रदाय किया जाना संभव नहीं है, कारण यह कि प्रदेश में 55 जिलों में 51,000 से अधिक सहकारी समितियां पंजीकृत है, साथ ही वांछित जानकारी अत्यंत विस्तृत स्वरूप की होने से इसे एकत्र करने एवं इस पर लगने वाले संसाधन तथा होने वाला व्यय इसकी उपयोगिता से अधिक होगा।

## <u>दिनांक 21 मार्च, 2025</u>

### पंजीकृत आर्थिक अपराध

**[ सामान्य प्रशासन ]**

**27. अता.प्र.सं.7 (क्र. 280) श्री लखन घनघोरिया :** क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में भ्रष्टाचार व रिश्वत मांगने से संबंधित लोकायुक्त संगठन एवं आर्थिक अपराध

अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कितने-कितने प्रकरण पंजीकृत किये गये हैं। छापे की कार्यवाही में कितने-कितने मामलों में कितनी-कितनी अनुपातहीन चल एवं अचल सम्पत्ति बरामद की गई है। कितने प्रकरणों में आई.पी.सी. की धारा 41 के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। कितने प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई हैं? बतलावें। वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक की विभागवार व जिलावार जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 की धारा 7 (क) 13 (1) बी 13 (2) के तहत पंजीकृत कितने प्रकरण विवेचना में लंबित है। कितने प्रकरण अभियोजन स्वीकृति के लिये भेजे गये। शासन ने कितने प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति दी है। कितने प्रकरणों में स्वीकृति नहीं दी है। कितने प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये? बतलावें। अधिनियम की छायाप्रति दें। **(ग)** प्रश्नांश (क) में पंजीकृत कितने-कितने प्रकरणों में चालान प्रस्तुत किया गया। कितने प्रकरण लंबित हैं? न्यायालयों में निर्णित कितने प्रकरणों में आरोपियों को सजा सुनाई गई। कितने प्रकरण दोषमुक्त हुये हैं। न्यायालयों में कितने प्रकरण लंबित हैं? बतलावें। दोषमुक्त प्रकरणों की पं.क्र. दिनांक व निर्णय दिनांक सहित सूची दें।

***मुख्यमंत्री** : [ (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। ]* (क) विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा वर्ष 2021 से 07/03/2025 तक की अवधि में रिश्वत मांगने संबंधित (ट्रेप कार्यवाही) कुल 867 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। छापे की कार्यवाही एवं अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के पंजीबद्ध कुल 78 मामलों में रूपये 1,46,85,55,126/- की अनुपातहीन चल एवं अचल संपत्ति प्रथम दृष्टया उजागर हुई है। एक प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी हुई है। सभी 945 प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। वर्ष 2021 से 2025 तक की जिलेवार जानकारी क्रमश: **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–'अ' एवं 'ब' पर है, जिसके कॉलम नं.-10 में** विभाग का नाम अंकित है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में भ्रष्टाचार के 185 व रिश्वत मांगने के 49 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। 44 प्रकरणों में छापे की कार्यवाही की गई है, जिनमें रूपये 1,07,04,919/- बरामद की गई। 11 प्रकरणों में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। **(ख)** विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा उत्तरांश – (क) में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, (संशोधित) 2018 की धारा-7 (क) 13 (1) बी 13 (2) के तहत ट्रेप कार्यवाही से संबंधित पंजीकृत 473 प्रकरण विवेचनाधीन है। कुल 383 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति के लिये भेजे गये। शासन ने 281 प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति दी है। कुल 02 प्रकरणों में स्वीकृति नहीं दी है तथा 98 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु शासन/अन्य निकाय के पास लंबित है। कुल 02 प्रकरणों में आरोपी की मृत्यु के कारण प्रकरण समाप्त हुये है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा 178 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लंबित हैं। 27 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति के लिये भेजे गये थे, जिनमें 22 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्राप्त है एवं 05 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति अप्राप्त है। 07 प्रकरणों में खात्मा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अधिनियम की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। **(ग)** विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वार उत्तरांश (क) में, पंजीकृत, 227 प्रकरणों में चालान प्रस्तुत किया गया है। कुल 57 प्रकरण चालानी कार्यवाही में लंबित है। माननीय विभिन्न न्यायालयों में निर्णित 11 प्रकरणों में आरोपियों को सजा सुनाई गई तथा 07 प्रकरणों में आरोपीगण दोष मुक्त हुये है। विभिन्न माननीय न्यायालयों में 209 प्रकरण लंबित है। दोषमुक्त प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' पर** है, जिसके कॉलम नं.-4 में

प्रकरण क्रमांक, कॉलम नं.-6 में पंजीबद्ध दिनांक व कॉलम नं.-11 में माननीय न्यायालय का निर्णय दिनांक अंकित है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा उत्तरांश ''क'' में पंजीकृत प्रकरणों में 17 चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं। 254 प्रकरण लंबित हैं। न्यायालय में निर्णित प्रकरण में 01 प्रकरण में सजा एवं 02 प्रकरण में दोषमुक्त हुए हैं। न्यायालय में 14 प्रकरण लंबित हैं। दोषमुक्त प्रकरणों की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''इ'' अनुसार** है।

## विभाग द्वारा बनाई गई समिति की जानकारी

## [ सामान्य प्रशासन ]

**28. परि.अता.प्र.सं. 5 (क्र. 389) कुँवर अभिजीत शाह :** क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक आदेश क्रमांक एफ-19-79/2010/1/4 दिनांक 31/08/2010 द्वारा वनखण्ड एवं वर्किंग प्लान में शामिल निजी भूमि के संबंध में किसकी अध्यक्षता में समिति बनाकर किस-किस को सदस्य बनाया गया। **(ख)** समिति की किस-किस दिनांक को बैठक आयोजित हुई किस बैठक में कौन-कौन शामिल हुआ किस बैठक में किस-किस विषय पर चर्चा की जाकर क्या-क्या निर्णय लिया गया, बैठक के मिनिट्स की प्रति सहित बतावें। **(ग)** मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से पत्र क्रमांक 974/एफ25-08/2015 दिनांक 1 जून 2015 में किसे क्या-क्या निर्देश दिए गए इस आदेश, निर्देश का राज्य के किसी भी जिले के कलेक्टर द्वारा प्रश्नांकित दिनांक तक भी पालन नहीं किए जाने का क्या कारण हैं? **(घ)** सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दिनांक 1 जून 2015 का पालन करवाने हेतु क्या कार्यवाही कर रहा है कब तक करेगा?

**मुख्यमंत्री :** ***[ (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। ]*** **(ख)** समिति की बैठक दिनांक 04/10/2010, 23/02/2011, 23/09/2011 एवं दिनांक 09/01/2013 के कार्यवाही विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ, समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश को कार्यवाही हेतु सम्बोधित पत्र में उल्लेखित निर्देश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार** है। उक्त निर्देश के पालन में वन खण्डों में निजी भूमियों के व्यवस्थापन की कार्यवाही अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया में है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** उत्तरांश (ग) के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## निर्वाचन में संलग्न कर्मचारियों की जानकारी

## [ विधि एवं विधायी कार्य ]

**29. अता.प्र.सं.23 (क्र. 857) श्री भंवर सिंह शेखावत :** क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** धार जिला अन्तर्गत सामान्य निर्वाचन में वर्तमान में नियमित पद के विरूद्ध कितने आउटसोर्स कर्मचारी (सहायक प्रोग्रामर, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं भृत्य) कितने वर्षों से कार्यरत हैं? उनके नाम, मोबाईल नम्बर, वरिष्ठता क्रम, कार्य अनुभव, जिले व विधान सभावार जानकारी उपलब्ध करावे। **(ख)** प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में जिलेवार प्रति कर्मचारी जी.एस.टी. एवं अन्य खर्च सहित कम्पनी को कितना रूपया दिया जाता है और उसके एवज में कर्मचारी के खातों में कितना जमा होता है। कुल

अन्तर कितना है प्रति कर्मचारी जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आउटसोर्स कर्मचारी को चुनावीय मानदेय विधान सभा/लोक सभा किस-किस जिले में प्रदाय किया गया, कृपया अवगत करावे। यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित अवगत करावें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के सन्दर्भ में धार जिला अन्तर्गत सामान्य निर्वाचन के कुल कितने नियमित कर्मचारी है और ये किस आधार पर नियमित हैं जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावे। क्या आउटसोर्स कर्मचारियों को शासन नियमित करेगा। यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों। **(घ)** बदनावर विधान सभा एवं धार जिले में शिक्षक या कोई अन्य विभाग के कर्मचारी कितने वर्षों से निर्वाचन के नाम से संलग्न किये गये हैं। इन्हें किस कारण से पुनः उनके विभाग में नहीं भेजा गया, उनके नाम पद नाम एवं मोबाईल नम्बर उपलब्ध करावें।

**मुख्यमंत्री** : *[ (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। ]* **(क)** जिले में जिला निर्वाचन कार्यालय एवं जिले की 07 विधानसभा क्षेत्रों में आउटसोर्स के 32 नियमित पदों के विरूद्ध वर्तमान में कुल 27 कर्मचारी (3 सहायक प्रोग्रामर, 23 डाटा इन्ट्री आपरेटर एवं 01 भृत्य) कार्यरत है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ख)** जिले में फर्म उद्यमिता विकास केन्द्र (सेडमेप) भोपाल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को माह जनवरी, 2025 के पारिश्रमिक देयक अनुसार पदवार पृथक-पृथक स्वीकृत दर अनुसार फर्म के माध्यम से भुगतान किया जाता है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। जिले में लोकसभा निर्वाचन कार्य में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों को स्वीकृति अनुसार मानदेय का भुगतान किया जा चुका है। **(ग)** मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल के पत्र क्र.फा.क्र. 04/1/स्था./2009/वि.निर्वा./160 दिनांक 07.06.2016 अनुसार जिले में सामान्य निर्वाचन अंतर्गत 32 स्वीकृत पदों के विरूद्ध वर्तमान में कुल 27 कर्मचारी आउटसोर्स के नियमित पदों पर कार्यरत है। नियमितीकरण की कार्यवाही का कोई प्रावधान नहीं है। **(घ)** जिला निर्वाचन कार्यालय एवं बदनावर विधानसभा सहित जिले की 07 विधानसभाओं में निर्वाचन कार्य हेतु संलग्न कर्मचारियों से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है।

## बैकलॉग के रिक्त पदों पर भर्ती

**[ सामान्य प्रशासन ]**

**30. परि.अता.प्र.सं. 32 (क्र. 1650) श्री इंजीनियर हरिबाबू राय** : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अशोकनगर जिले में कितने अनुसूचित जाति के बैकलॉग पद रिक्त हैं, इन्हें अभी तक सीधी भर्ती से क्यों नहीं भरा गया जबकि रिक्त पदों की भर्ती कलेक्टर द्वारा की जाने के सामान्य प्रशासन के आदेश हैं। **(ख)** पदवार रिक्त पदों की सूचीबद्ध जानकारी प्रस्तुत करने की कृपा करें। **(ग)** रिक्त पदों को कब तक भर्ती कर पूरा कर लिया जायेगा, समय-सीमा बताएं।

**मुख्यमंत्री** : *[ (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। ]* (क) **से** (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। रिक्त पदों पर भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "दो"</u>

## वित्त विभाग में प्रतिनियुक्ति कर्मियों को पांचवां वेतनमान का लाभ

**[ वित्त ]**

**31. परि.अता.प्र.सं. 63 (क्र. 2543) श्री रजनीश हरवंश सिंह :** क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** संस्थागत वित्त में म.प्र. राज्य तिलहन संघ के प्रतिनियुक्ति/संविलियन किन-किन सेवायुक्तों को पांचवां वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया गया? नाम, पद सहित बतायें? **(ख)** तिलहन संघ के शासन में पदस्थ सेवायुक्तों को पांचवां वेतनमान लाभ की पात्रता हैं कि नहीं? स्पष्ट करें? **(ग)** प्रश्नांश (क) अंतर्गत श्री सतीश गुप्ता, उपसंचालक को पांचवां वेतनमान का लाभ दिया गया है? यदि हाँ, तो किस आधार पर वित्त विभाग से अनुमोदन मिला? वित्त विभाग के अनुमोदन की छायाप्रति दें? **(घ)** प्रश्नांश (क) अंतर्गत कोष एवं लेखा द्वारा विगत 5 वर्षों में पुनरीक्षित वेतनमान देने संबंधी अनुमोदन प्रेषित किया गया हैं? संबंधितों के नाम, पद बतायें।

**उप मुख्यमंत्री, वित्त :** *[ (क) म.प्र.राज्य तिलहन संघ से संचालनालय संस्थागत वित्त में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहे श्री सतीश कुमार गुप्ता, उप संचालक को राज्य शासन में संविलियन पश्चात प्रतिनियुक्ति अवधि का पांचवें वेतनमान में लाभ स्वीकृत किया गया है। (ख) तिलहन संघ के शासन में पदस्थ सेवायुक्तों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी ज्ञाप दिनांक 12.08.2013 एवं वित्त विभाग द्वारा जारी ज्ञाप दिनांक 23.03.2019 अनुसार पात्रता है। (ग) जी हाँ।* ***संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। ]*** (घ) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 12.08.2013 एवं परिपत्र दिनांक 23.08.2016 अनुसार किए गए वेतन निर्धारण का अनुमोदन संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा द्वारा किया गया है। सेवायुक्तों के नाम एवं पदनाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।**

## प्रदेश में रेत खदानों की नीलामी

**[ खनिज साधन ]**

**32. परि.अता.प्र.सं. 64 (क्र. 2555) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे :** क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में रेत खदानों के आवंटन/नीलामी की प्रक्रिया (टेण्डर अथवा बोली) संबंधी पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जाये। **(ख)** प्रदेश में वर्ष 2019 से 2024 तक टेण्डर अथवा बोली के माध्यम से नीलाम की गई रेत खदानों की जिला एवं वर्षवार जानकारी? जिले का नाम, रेत खदान का नाम, सफलतम ठेकेदार/फर्म का नाम, निविदा राशि (अधिकतम बोली) निविदा की शर्तें उत्खनन कार्य प्रारंभ करने का दिनांक एवं जिलेवार कितना राजस्व प्राप्त हुआ? **(ग)** आलोच्य अवधि में आवंटित की गई रेत खदानों में से कितनी खदानों से उत्खनन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ? की जानकारी जिसमें प्रत्येक रेत खदान का कार्य प्रारंभ नहीं होने के क्या कारण रहे व प्रशासन द्वारा उसके निदान हेतु क्या-क्या कार्यवाहियाँ की गई? जिलावार वर्षवार जानकारी दी जाये। **(घ)** आलोच्य अवधि में किन-किन रेत खदानों के संचालकों पर दण्डात्मक रूप से राशि का अधिरोपण किया व इनमें से किसके द्वारा राशि जमा करायी गयी व किसके ऊपर राशि बकाया है? जिलावार एवं वर्षवार जानकारी दी जाये। **(ड.)** प्रदेश में वर्ष 2023-24 में नीलाम की गई रेत खदानों में से कौन-कौन सी

खदानों पर उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ तथा किन पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया? उत्खनन कार्य प्रारंभ नहीं होने के कारण है तथा शासन द्वारा इन खदानों को प्रारंभ कराने हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये? जिलेवार, खदान का नाम, फर्म का नाम, कार्य प्रारंभ दिनांक सहित बंद खदानों के बारे में भी फर्म का नाम सहित प्रारंभ कराने हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी दी जाये?

**मुख्यमंत्री :** *[ (क) प्रदेश में रेत खदानों के आवंटन/नीलामी की प्रक्रिया अधिसूचित मध्यप्रदेश रेत खनन, परिवहन, भण्डारण तथा व्यापार) नियम, 2019 के तहत संपादित की जाती है। रेत खदानों के समूह में उत्खनन एवं विक्रय के कार्य के लिए माइन डेवलपर कम ऑपरेटर की नियुक्ति हेतु ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र की छायाप्रति* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर दर्शित*** *है। **(ख) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है। ]*** **(ख)** वर्ष 2019 से अक्टूबर 2022 तक रेत खदानों का निवर्तन ई-निविदा के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा किया गया। **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ पर दर्शित** है। नवम्बर 2021 से मई 2023 तक रेत खदानों का निवर्तन ई-निविदा के माध्यम से जिला स्तर से किया गया। **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब पर दर्शित** है। जून 2023 से प्रश्न दिनांक तक मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा, रेत खदानों से उत्खनन एवं विक्रय का कार्य ई-निविदा सह नीलामी के माध्यम से चयनित माईन डेवलपर कम ऑपरेटर का चयन किया जा रहा है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स पर दर्शित** है। **(ग)** आलोच्य अवधि में आवंटित की गई रेत खदानों में से कितनी खदानों से उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया है एवं कार्य प्रारंभ नहीं होने के कारण एवं प्रशासन द्वारा किए गए निदान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ, ब एवं स पर दर्शित** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द पर दर्शित** है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स पर दर्शित** है। शेष जानकारी उत्तरांश (ग) अनुसार है।

## कटनी जिले में घटित अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति

## [ गृह ]

**33. परि.अता.प्र.सं. 81 (क्र. 2620) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह :** क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विगत-03 वर्षों में बड़वारा विधानसभा अंतर्गत पुलिस-थानावार कितने और कौन-कौन से अपराध किन-किन धाराओं में कब-कब दर्ज हुए? प्रश्न दिनांक तक किन-किन प्रकरणों में क्या-क्या कार्यवाही किन-किन प्रकरणों में किन-किन आरोपियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में कब-कब चालान प्रस्तुत किए गए? किन-किन प्रकरणों में किन-किन कारणों से अब तक चालान प्रस्तुत नहीं हैं? **(ख)** विगत-02 वर्षों में कटनी-जिले के पुलिस-थानों के प्रकरणों की वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कब-कब समीक्षा की? क्या-क्या निर्देश दिये गए? प्रकरणवार बताएं और मादक पदार्थों के विक्रय और आर्थिक/सामाजिक अपराधों की रोकथाम के लिए शासन/विभाग द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों पर कृत कार्यवाही से अवगत कराएं और विगत-01 वर्ष में किन-किन विषयों पर नागरिकों/जन-प्रतिनिधियों/संगठनों द्वारा सौंपे गए ज्ञापनों पर ज्ञापनवार क्या-क्या कार्यवाही की गयी? **(ग)** क्या कटनी-जिले में पुलिस-थानों/चौकियों के सामने एवं अन्य स्थानों पर पुलिस द्वारा नाके लगाकर वाहनों सहित अन्य जांच की जाती हैं? यदि हाँ, तो किस नियम/निर्देश से? किस प्रकार एवं क्यों?

विगत-01 वर्ष में किन-किन पुलिस-थानों/चौकियों के कौन-कौन पुलिस-कर्मियों द्वारा किन आदेशों/निर्देशों से किस-समय से किस-समय तक जांच-नाके लगाए और तैनात होकर क्या-क्या कार्य/कार्यवाही की गयी? **(घ)** क्या कटनी-जिले में घटित अपराधों एवं इनकी रोकथाम के लिए विगत-02 वर्षों में की गयी कार्यवाहियाँ और कानून-व्यवस्था की स्थिति संतुष्टिपूर्ण हैं? यदि हाँ, तो कैसे? नहीं तो क्या कार्यवाही किस प्रकार एवं कब तक की जायेगी?

**मुख्यमंत्री :** *[ (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। ]* **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। नागरिकों/जन-प्रतिनिधियों/संगठनों द्वारा पुलिस विभाग को सौंपे गये ज्ञापनों की संख्या निरंक है। अन्य विभागों को सौंपे गये ज्ञापनों की जानकारी संबंधित विभाग से लिया जाना समीचीन होगा। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार** है।

## आय-व्यय में नियम विरूद्ध बचत खातों का उपयोग

## [ विज्ञान और प्रौद्योगिकी ]

**34. ता.प्र.सं. 15 (क्र. 2732) श्री जयवर्द्धन सिंह :** क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के अता. प्रश्न क्र. 3925, उत्तर दिनांक 16.07.2024 के प्रश्नांश 'क' के उत्तर में संलग्न परिशिष्ट के क्र. 2 में अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है, जिसमें बताये गये पते पर अचल संपत्ति नहीं है और संपत्ति धारण वर्ष 2024-25 में करना बताया है? सिद्ध करें कैसे? यदि नहीं, तो गलत जानकारी देकर सदन की अवमानना करने के लिये कौन जिम्मेदार है? **(ख)** उपरोक्त के अनुक्रम में चल संपत्ति के परिशिष्ट में क्र. 6 पर नेटवर्किंग इंस्टॉलेशन में राशि रूपये 24,597.30 खरीदना बताया गया है? संपूर्ण राशि का बिन्दुवार, कार्यवार, सामानवार, क्रय-विक्रय पत्रक अक्षरतः हिसाब दें। **(ग)** इसी प्रकार अचल संपत्ति के परिशिष्ट में नीमच में नि:शुल्क भूमि प्राप्त की गई, उसे किसे और किस दर पर कितनी अवधि के लिये दिया गया? संपूर्ण जानकारी एकल नस्ती सहित बतायें। **(घ)** विभाग में दो बचत खाते हैं, बचत खाता खोलने के नियम बतायें और उसमें प्राप्त समस्त आय का बैंक स्टेटमेन्ट, आय पत्रक एवं इसी प्रकार समस्त व्यय का स्टेटमेन्ट, व्यय पत्रक सहित कब-कब और कितना-कितना ब्याज इन खातों में आया? ब्याज के पैसों का किसके अनुमोदन पर कितना व्यय कहां-कहां किया गया? नियम निर्देश, आदेश, बैंक स्टेटमेन्ट, आय-व्यय पत्रक ऑडिट रिपोर्ट सहित बतायें। एफ.डी. से प्राप्त ब्याज की राशि क्यों छुपाई गई? कारण सहित बतायें। **(ड.)** प्रश्नांश 'क' के संबंध में समस्त प्राप्त देयक, उसका सत्यापन, सत्यापन उपरांत किस फर्म/एजेन्सी को कितना और कब भुगतान किया गया? सहित संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर बतायें। **(च)** उपरोक्त अवधि में विभाग की कुल कितनी आय किस-किस कार्य से किस प्रयोजन, कब-कब और कितनी-कितनी हुई? संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर पृथक-पृथक बतायें।

**मुख्यमंत्री : [** *(क) से (च) जानकारी संकलित की जा रही है।* **] (क)** विभाग के अधीनस्थ मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा धारित अचल संपत्ति के संबंध मे प्रश्नकर्ता के अतारांकित

प्रश्न क्र. 3925 के उत्तर दिनांक 16.07.2024 के प्रश्नांश 'क' के उत्तर में संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 के क्रमांक 02, मे अंकित अचल संपत्ति का पता टंकण त्रुटि के कारण त्रुटिपूर्ण दर्ज हो गया था। इस अचल संपत्ति के पूर्ण पते का विवरण, वन भवन कॉम्प्लेक्स, ई-ब्लॉक, द्वितीय तल, तुलसी नगर, लिंक रोड नंबर-02 नगर पालिका निगम भोपाल है। पते के प्रमाण स्वरूप रजिस्ट्री की छायाप्रति **पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। टंकण त्रुटि के लिए संबंधित कर्मी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। **(ग)** उल्लेखित भूमि परियोजना क्रियान्वयन हेतु म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सौंपी गई है। उक्त भूमि का आवंटन वर्तमान में अन्य किसी को नहीं किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** बैंक खातों के संचालन और नए खाते खोलने के अधिकार प्रबंध संचालक को Delegation of Power के तहत प्रदान किए गए हैं। **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। दोनों बैंक खातों के संबंध में अपेक्षित आय-व्यय के विवरण के तारतम्य में दोनों बैंक खातों के लेखों में संधारित Ledger Statement और इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार** है। अर्जित ब्याज को निगम की आय में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि योजनाओं में आवश्यक्तानुसार उपयोग किया जाता है, जो कि निर्धारित प्रक्रिया व सक्षम अनुमोदन के तहत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अर्जित ब्याज की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार** है। एफ.डी.आर. से प्राप्त ब्याज की राशि को पूर्व में छुपाया नहीं गया था। पिछली जानकारी में बैंक का नाम, ब्याज दर और राशि की पूरी जानकारी प्रदान की गई थी। सभी एफ.डी.आर. 01 वर्ष की अवधि के लिए थी, जो मार्च-अप्रैल 2025 में परिपक्व होंगी। परिपक्वता के समय बैंक द्वारा ब्याज का भुगतान निगम को किया जायेगा। पिछली जानकारी में FDR परिपक्व नहीं होने के कारण, ब्याज की वास्तविक राशि को नहीं दिखाया गया था, बल्कि केवल ब्याज दर का उल्लेख किया गया था। अब मय ब्याज की अनंतिम गणना के आधार पर FDR की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार** है। **(ड.)** अचल संपत्ति के संबंध में किये गये भुगतान से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-7 अनुसार** है। **(च)** विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम की वित्तीय वर्ष 2024-25 (माह, फरवरी-2025 तक) कुल आय रूपये 157 करोड़ है, विवरण **पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-8 अनुसार** है। मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा MPCERT की जानकारी निरंक है।

<u>पृथक वितरित उत्तर</u>

## <u>दिनांक 24 मार्च, 2025</u>

### विस्थापित परिवारों को पुनर्वास पट्टा

**[ राजस्व ]**

**35. परि.अता.प्र.सं. 63 (क्र. 1939) श्री कुँवर सिंह टेकाम** : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रिहन्द बांध के डूब क्षेत्र ग्राम देवरी, तहसील सिंगरौली, नवगठित जिला सिंगरौली के विस्थापित परिवारों को वर्ष 1960-61 में ग्राम गोभा की राजस्व भूमि का पुनर्वास पट्टा श्री रमाशंकर

वैसवार, श्री अमरजीत बैसवार, श्री रामरक्षा वैसवार एवं अन्य परिवारों को दिया गया था? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पुनर्वास पट्टाधारी वर्ष 1960-61 से राजस्व की भूमि पर काबिज काश्त के साथ आबाद हैं? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करायें। ग्राम गोभा की जिस भूमि का वर्ष 1960-61 में पुनर्वास पट्टा दिया गया था, क्या उस समय उक्त भूमि राजस्व की थी या वन भूमि थी? जानकारी उपलब्ध करायें। यदि वन भूमि थी तो राजस्व विभाग के द्वारा पुनर्वास पट्टा कैसे जारी किया गया था? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में विस्थापित परिवारों को पुनर्वास पट्टा राजस्व विभाग की भूमि पर दिया गया था, लेकिन आज 64 वर्षों बाद वन विभाग राजस्व की भूमि को वन भूमि बताकर जबरन वृक्षारोपण करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करायें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में विस्थापित परिवारों को पुनर्वास पट्टा राजस्व भूमि वर्ष 1960-61 में दी गई थी, अब वन भूमि कैसे हो गई? जानकारी उपलब्ध करायें। पुनर्वास पट्टा के तहत काबिज काश्त एवं आबाद विस्थापित परिवारों को यथावत रहने के लिये शासन स्तर पर क्या निर्णय लिया जावेगा?

**राजस्व मंत्री :** [ ***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ] **(क)** अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग-सिगरौली जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 324/विधान सभा/2025, दिनांक 04.03.2025 अनुसार सिंगरौली जिले के तहसील सिंगरौली अंर्तगत रिहन्द बांध के डूब क्षेत्र ग्राम देवरी, तहसील सिंगरौली के विस्थापित परिवारों को वर्ष 1960-61 में पुनर्वास पट्टा दिये जाने के संबंध में अभिलेख उपलब्ध नहीं है, साथ ही जिला अभिलेखागार में उक्त के संबंध में कोई प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। **(ख)** अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग-सिंगरौली जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 324/विधानसभा/2025, दिनांक 04.03.2025 अनुसार वर्तमान खसरा अभिलेख (2024-25) के अनुसार ग्राम मुनगहवा पट. हल्का गोभा में अमरजीत पिता कमला प्रसाद बैसवार के नाम कुल 11 किता रकबा 1.9600 हे., बृजेन्द्र पिता कमला प्रसाद बैस कुल 11 किता रकबा 1.9600 हे., जगेसिया बेवा रमाशंकर बैस कुल 9 किता रकबा 1.2700 हे., प्रियंका सुकृति आकृति पिता जवाहरलाल बैस कुल 10 किता, ललित कुमार पिता रमाशंकर बैस कुल 14 किता रकबा 3.300 हे., रामाधार पिता रामदेव बैस कुल 1 किता रकबा 0.800 हे. भूमि दर्ज है। पूर्व अभिलेख पुनर्वास पट्टा एवं वन या राजस्व भूमि के अभिलेख उपलब्ध नहीं है। साथ ही जिला अभिलेखागार में उक्त के संबंध में कोई प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। **(ग)** उत्तरांश (ख) अनुसार। **(घ)** उत्तरांश (ख) अनुसार। उक्त के संबंध में शासन की कोई योजना प्रचलित नहीं है।

### स्टार्स परियोजना में व्यय राशि की जानकारी
### [ स्कूल शिक्षा ]

**36. परि.अता.प्र.सं. 112 (क्र. 2749) श्री बाला बच्चन :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 2528 दिनांक 10.07.2024 के प्रश्नांश (ख) उत्तर में राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सिमेट) एवं मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को जो राशि प्रदाय की गई उसका व्यय जिन कार्यों में किया गया, इसकी जानकारी बिलों की छायाप्रति एवं TDS कटौत्रा सहित पृथक-पृथक उपरोक्त संदर्भित प्रश्न के प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में देवें। क्या कारण है कि केवल संस्थाओं के नाम देकर प्रश्नांश (ख) के उत्तर में व्यय की पूर्ण जानकारी नहीं दी

गई? कारण स्पष्ट करें। ऐसा करने वाले संबंधित अधिकारियों के नाम, पदनाम बतावें कि विधानसभा प्रश्न में जानकारी छिपाने वाले ऐसे अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा? **(ख)** प्रश्न दिनांक की स्थिति में स्टार्स परियोजना के बैंक खाते में कितनी राशि है? वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में प्राप्त आवंटन एवं उसके समक्ष वर्षवार व्यय की जानकारी देंवे। **(ग)** वर्ष 2024-25 में स्टार्स परियोजना में प्रश्न दिनांक तक व्यय राशि की जानकारी भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म/व्यक्ति नाम, राशि भुगतान दिनांक एवं TDS कटोत्रा सहित देंवे। फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों की छायाप्रति भी देंवे। **(घ)** प्रश्नांश (क) अनुसार राशि के अनियमित व्यय एवं मनमाने आंवटन के उत्तरदायी अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा?

**स्कूल शिक्षा मंत्री :** [ *(क) स्टार्स परियोजना अंतर्गत राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमेट) को राशि रू. 21.00 करोड़ प्रधानाध्यापकों एवं जिला स्रोत समूह (डी.आर.जी.) के प्रशिक्षण हेतु राशि जारी की गयी थी। इसी प्रकार राशि रू. 6.00 करोड़ राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु राशि जारी की गयी थी। सीमेट एक शासकीय संस्था है। अतः उन्हें प्रदाय की गयी राशि पर इस कार्यालय द्वारा कोई भी टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं किया गया है। सीमेट द्वारा कराये गये प्रशिक्षण में किये गये व्यय एवं टी.डी.एस. की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "1" अनुसार*** *है। इसी प्रकार कार्यालय के रिनोवेशन हेतु लघु उद्योग निगम को निर्माण एजेन्सी तय करते हुए राशि रू. 24.00 लाख का भुगतान किया गया। लघु उद्योग निगम द्वारा कराये गये कार्यों के फर्म को किया गया भुगतान एवं टी.डी.एस. कटौत्रा की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "2" अनुसार*** *है। किसी भी अधिकारी द्वारा कोई जानकारी नहीं छिपायी गयी है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।* ***(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "3" अनुसार। (ग)*** *स्टार्स परियोजना अंतर्गत एस.एन.ए. खाता संधारित है जिसमें समस्त जिले के आईए खाते में व्यय सीमा प्रदाय की जाती है। भारत सरकार से स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार सभी जिलों को निर्धारित व्यय सीमा अंतर्गत नियमानुसार व्यय सीमा जारी की जाती है, जिससे जिले स्वीकृत गतिविधियों में राशि नियमानुसार व्यय करते है। वर्ष 2024-25 में जिलों द्वारा व्यय एवं टी.डी.एस. कटौत्रा सहित* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** *राज्य कार्यालय द्वारा किये गये व्यय एवं टी.डी.एस. कटौत्रा की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "4" अनुसार*** *है।* ***(घ)*** *किसी भी राशि का कोई अनियमित व्यय एवं मनमाने ढंग से आवंटन नहीं किया गया अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।* ] (ग) शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे पेन ड्राइव अनुसार** है।

## प्रदेश में नवजात शिशु, शिशु बाल मृत्यु दर

## [ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ]

**37. ता.प्र.सं. 2 (क्र. 2830) श्री प्रताप ग्रेवाल :** क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश की लोक स्वास्थ्य अधोसंरचना एवं स्वास्थ्य सेवा पर कैग 2024 का प्रतिवेदन संख्या 6 में उल्लेखित टिप्पणियों से शासन क्या यह मानता है कि क्या प्रदेश की स्वास्थ्य अधोसंरचना एवं सेवा संतोषजनक है? यदि हाँ, तो ऐसे मानने के आधार बिन्दु क्या है? **(ख)** क्या कैग ने प्रतिवेदन में 8 विषयों पर तथ्य परक निरीक्षण में यह पाया कि स्वास्थ्य

अधोसंरचना एवं सेवा निम्न गुणवत्ता की है तथा इस कारण प्रदेश नवजात शिशु, शिशु बाल मृत्यु दर में देश में प्रथम तथा गर्भवती महिला मृत्यु दर में देश में तीसरे स्थान पर है? **(ग)** कैग ने प्रतिवेदन में 9 अध्याय में 2016 बिन्दुओं पर प्रदेश की स्वास्थ्य अधोसंरचना एवं सेवा में गंभीर कमियां पाई हैं, इन्हें दूर करने के लिये कैग प्रतिवेदन के बाद क्या-क्या प्रयास किये गये? विस्तृत जानकारी दें। **(घ)** विभिन्न केटेगरी के चिकित्सालयों में जनवरी 2025 में शासकीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक आई.पी.एच.एस. अनुसार राज्य शासन द्वारा स्वीकृत, कार्यरत आई.पी.एच.एस. से कम संख्या और उनका प्रतिशत स्वीकृत पद से कम संख्या और उनका प्रतिशत, की सूची विशेषज्ञ, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ तथा पैरामेडिकल स्टाफ अनुसार बतावें। **(ङ.)** कैग के प्रतिवेदन के पैरा 4.8.5 में उल्लेखित 192 मामले की विस्तृत सूची आपूर्तिकर्ता के नाम, दवा का नाम, डी.डी.ओ. का नाम, दिनांक तथा स्थानीय दर सहित देवें तथा बतावें कि अनु सेल्स, अन्य मेडिकल द्वारा वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक आपूर्ति की गई दवा के नाम, दर, डी.डी.ओ. का नाम, दिनांक, कुल मात्रा, कुल राशि, भुगतान की राशि सहित देवें।

**उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [** ***(क) से (ङ.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]**
**(क)** जी हाँ। एन.एफ.एच.एस. 4 एवं एन.एफ.एच.एस. 5 के तुलनात्मक अध्ययन में प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में संतोषजनक सुधार हुआ है। उदाहरणतः प्रथम त्रैमासिक-प्रसव पूर्व जांच नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-4 में 53 प्रतिशत थी, जो नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-5 मे 75.4 प्रतिशत प्रतिवेदित है, गर्भवती महिलायें जिनकी कम से कम 4 प्रसवपूर्व जाँच भेंटें नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-4 में 35.7 प्रतिशत थी, जो नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-5 में 57.5 प्रतिशत प्रतिवेदित है, संस्थागत प्रसव में नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-4 में 80.8 प्रतिशत थी, जो नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-5 में 90.7 प्रतिशत प्रतिवेदित है। प्रसव पश्चात देखभाल में नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-4 में 54.9 प्रतिशत थी, जो नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-5 में 83.5 प्रतिशत प्रतिवेदित है। **(ख)** उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में उत्तर उपस्थित नहीं होता। **(ग)** केग से वर्षान्त 2022 की रिर्पोट वित्त विभाग के पत्र दिनांक 22.02.2025 के माध्यम से विभाग को प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट पर नियमानुसार परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाती है। प्रदेश में मातृ मृत्युदर व शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु "वर्थ वेटिंग होम", आर.सी.एच./अनमोल पोर्टल में सुधार, डिसीजन सर्पोट सिस्टम आदि विकसित किये गए हैं। इसके अतिरिक्त रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन मण्डल को मांगपत्र प्रेषित किये गए हैं। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ङ.)** वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक ई-औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से किये गये स्थानीय क्रय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। मेसर्स अनुसेल्स तथा मेसर्स अन्य मेडिकल द्वारा वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक आपूर्ति की गई दवा एवं अन्य विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है।

<u>पृथक वितरित उत्तर</u>

---